लोक-सभा बाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.87
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय—सूची

अंक ३५—गुरुवार, २६ मार्च, १९६४/६ चैत्र, १८८६ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७५४	कपड़ा मशीनों की खरीद	२६६१—६३
७५५	रोगों का उन्मूलन	२६६४—६६
७५६	परिवहन नीति तथा समन्वय समिति	२६६७—६८
७५७	राज्यों को सहायता	२६६८—२७०२
७५८	स्नातकों में बेरोजगारी	२७०२—०६
७५९	शिल्पित उत्पादन तथा पारेषण समन्वय संघ	२७०६—०७
७६०	टिक्करपाड़ा बांध परियोजना	२७०७—०८
७६२	स्वास्थ्य बीमा	२७०८—१०
७६४	सामाजिक सुरक्षा उपाय	२७१०—१३
७६५	भारत-नेपाल नदी घाटी परियोजनायें	२७१३—१४
७६७	मकान मालिक सरकारी कर्मचारी	२७१४—१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
७६१	साहू जैन समवाय समूह के कृत्यों की जांच	२७१५
७६३	सिनेमा-गृह के निकट लड़कियों के स्कूल के लिये भूमि	२७१५—१६
७६८	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति	२७१६
७६९	मूल्यों के विनियंत्रण का प्रभाव	२७१७
७७०	हृदय और स्नायु-शल्य चिकित्सा	२७१७—१८
७७१	विद्युत परियोजनायें	२७१८
७७२	बैंक ऋण	२७१८—१९
७७३	संसद् के लिये प्रेस	२७१९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 35—Thursday, March 26, 1964/Chaitra 6, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.	Subject	Page
754	Purchase of Textile Machinery	2691—93
755	Eradication of Disease	2694—96
756	Committee on Transport Policy and Co-ordination	2697–98
757	Assistance to States	2697—2702
758	Unemployment among Graduates	2702—2706
759	U.C.P.T.E.	2706–07
760	Tikkerpara Dam Project	2707–08
762	Health Insurance	2708—10
764	Social Security Measures	2710—13
765	Indo-Nepalese River Valley Projects	2713–14
767	Government Employees owning Houses	2714–15

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
761	Enquiry into Affairs of M/s. Sahu-Jain Group of Companies	2715
763	Land for Girls School near Cinema House	2715–16
768	D.Ps. from East Pakistan	2716
769	Impact of Decontrol of Prices	2717
770	Cardiac and Neuro-Surgery	2717–18
771	Power Projects	2718
772	Bank Credit	2718–19
773	Press for Parliament	2719

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५४३	उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य	२७१९
१५४४	उड़ीसा में बिजली का उत्पादन	२७२०
१५४५	दंडकारण्य के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच	२७२०
१५४६	बल्लेमेला बांध	२७२०–२१
१५४७	बांधों के निर्माण के लिये ऋण	२७२१
१५४८	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	२७२१
१५४९	सालंदी बांध परियोजना	२७२१
१५५०	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण योजनायें	२७२२
१५५१	विद्युत् बोर्ड	२७२२
१५५२	शाहजहां रोड, नई दिल्ली के फ्लैट	२७२२–२३
१५५३	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा	२७२३
१५५४	बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिये आवश्यक बिजली	२७२३–२४
१५५५	बिहार में बिजली का उत्पादन	२७२४
१५५६	पौन्टा और ताजेवाला के बीच बांध	२७२४–२५
१५५७	खड़गवासला बांध	२७२५
१५५८	मेडिकल कालिज	२७२६
१५५९	दमदम हवाई अड्डे पर पकड़ा गया अवैध सोना	२७२६
१५६०	अवैध गांजा	२७२६–२७
१५६१	नये तापीय बिजलीघर	२७२७
१५६२	पश्चिम बंगाल की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता	२७२७–२८
१५६३	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से सहायता	२७२८
१५६४	श्रीसैलम जल-विद्युत परियोजना	२७२८
१५६५	नई दिल्ली के इरविन अस्पताल की नर्सें	२७२८–२९
१५६६	जामा मस्जिद	२७२९
१५६७	स्टाफ कारें	२७२९–३०
१५६८	बम्बई में जल सम्भरण	२७३०
१५६९	राजस्थान में ग्रामीण जल सम्भरण	२७३०–३१
१५७०	संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि	२७३१
१५७१	दिल्ली में स्वर्णकारों को पुन: रोजगार से लगाया जाना	२७३१–३२
१५७२	राजस्थान में गन्दी बस्तियों की सफाई	२७३२

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
1543	Local Development Works in Orissa	2719
1544	Generation of Electricity in Orissa	2720
1545	Inquiries against Officials of Dandakaranya	2720
1546	Ballemela Dam	2720–21
1547	Loans for Construction of Dams	2721
1548	Hindustan Housing Factory	2721
1549	Salandi Dam Project	2721
1550	Irrigation and Flood Control Schemes	2722
1551	Electricity Boards	2722–23
1552	Flats on Shahjahan Road, New Delhi	2723
1553	Medical Examination for Central Government Servants	2723–24
1554	Power Required for Electric Trains	2724
1555	Power Generation in Bihar	2724–25
1556	Dam between Paonta and Tajewala	2725
1557	Khadakwasala Dam	2726
1558	Medical Colleges	2726
1559	Contraband Gold Recovered at Dum Dum Airport	2726–27
1560	Contraband Ganja	2727
1561	New Thermal Power Stations	2727–28
1562	Power Requirement of West Bengal	2728
1563	Aid from German Democratic Republic	2728
1564	Srisailam Hydro-electric Project	2728–29
1565	Nurses in Irwin Hospital, New Delhi	2729
1566	Jama Masjid	2729–30
1567	Staff Cars	2730
1568	Water Supply in Bombay	2730–31
1569	Rural Water Supply in Rajasthan	2731
1570	U. N. Special Fund	2731–32
1571	Rehabilitation of Goldsmiths in Delhi	2732
1572	Slum Clearance in Rajasthan	2732

प्रश्नों के लिखित उत्तर –क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५७३	मकान-निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र . . .	२७३३
१५७४	अल्प बचत प्रमाणपत्र	२७३३
१५७५	नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	२७३३–३४
१५७६	रामकृष्णपुरम में दुकानें	२७३४
१५७७	तृतीय योजना का मध्यकालीन मूल्यांकन . . .	७७३४–३५
१५७८	श्रीसैलम और पोचमपाद परियोजनायें	२७३५
१५७९	नागार्जुन सागर बांध	२७३५–३६
५/५८०	महाराष्ट्र में ग्रामीण जल संभरण	१७३६
१५८१	नईदिल्ली में पंचकुई रोड पर क्वार्टर	२७३६
१५८२	बकाया किराये की वसूली	२७३६–३७
१५८३	पंजाब में शरणार्थियों को ऋण	२७३७
१५८४	आय-कर विभाग में स्थायी वकील	२७३७—३९
१५८५	काठमाण्डू-त्रिशूली सड़क	२७३९
१५८६	केरल में बागान आवास योजना	२७३९
१५८७	पंजाब को सहायता में कमी	७७३९
१५८८	गांधी सागर बांध	२७३९–४०
१५८९	पंजाब में अनुसन्धान योजनाएं	२७४०
१५९०	पंजाब में सिंचाई और विद्युत क्षमता	२७४०
१५९१	रामकृष्णपुरम् में क्वार्टर	२७४०–४१
१५९२	मनीपुर में बहुप्रयोजनीय परियोजना	२७४१
१५९३	छिद्रल कंक्रीट संयंत्र	२७४१–४२
१५९४	सोने की चीजों की बिक्री	२७४२
१५९५	कालकाजी कालोनी, दिल्ली	२७४२–४३
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७४३
	प्राक्कलन समिति	
	उन्चासवां प्रतिवेदन	२७४४
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में . . .	२७४४
	अनुदानों की मांगें	२७४४—८१
	डाक और तार विभाग	२७४४—५३
	श्री ब० कु० दास	२७४४–४५

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
1573	Applications for House-building Loans	2733
1574	Small Savings Certificates	2733
1575	Govt. Quarters in New Delhi	2733–34
1576	Shops in Ramakrishnapuram	2734
1577	Mid. Term Appraisal of Third Plan	2734–35
1578	Srisailam and Pochampad Projects	2735
1579	Nagarjunasagar Dam	2735–36
1580	Rural Water Supply in Maharashtra	2736
1581	Quarters on Panchkuin Road, New Delhi	2736
1582	Recovery of Rent Arrears	2736–37
1583	Loans to Refugees in Punjab	2737
1584	Standing Counsels in Income-Tax Deptt.	2737–38
1585	Kathmandu-Trisuli Road	2738
1586	Plantation Housing Scheme in Kerala	2739
1587	Shortfall in Assistance to Punjab	2739
1588	Gandhi Sagar Dam	2739–40
1589	Research Schemes in Punjab	2740
1590	Irrigation and Power Potential in Punjab	2740
1591	Quarters in Ramakrishnapuram	2740–41
1592	Multipurpose Project in Manipur	2741
1593	Cellular Concrete Plants	2741–42
1594	Sale of Gold Articles	2742
1595	Kalkaji Colony, Delhi	2742–43

Papers laid on the Table 2743

Estimates Committee—
Forty-ninth Report 2744

Re: Calling Attention Notice 2744

Demands for Grants 2744—81
Department of Posts and Telegraphs 2744—53
Shri B. K. Das 2744–45

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	श्री ना० नि० पटेल	२७४५
	श्री वारियर	२७४५–४६
	श्री हरिश्चन्द्र माथर	२७४६–४७
	श्री च० कां० भट्टाचार्य	२७४७–४८
	श्री लीलाधर कटकी	२७४८
	श्री प्रभात कार	२८४८
	श्री शिकरे	२७४८
	श्री अ० कु० सेन	२७४८—५३
	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	२७५४—८१
	श्री सरजू पाण्डेय	२७५४—५६
	श्री दि० सिं० चौधरी	२७५६–५७
	श्री नरसिन्हा रेड्डी	२७५७–५८
	श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	२७५९–६०
	श्री कर्णी सिंहजी	२७६९–७०
	श्रीमती रेणुका राय	२७७०–७१
	श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी	२७७२–७३
	श्रीमती सत्यभामा देवी	२७७४
	श्री बागड़ी	२७७४–७५
	श्री शिंदे	२७७५–७६
	श्री काशीराम गुप्त	२७७७–७८
	श्री शं० शा० मोरे	२७७८–७९
	श्री मि० सू० मूर्ति	२७७९–८०
	श्री रामेश्वरानन्द	२७८०–८१
	संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को मामला निर्दिष्ट करने के बारे में वक्तव्य	२७७७
	श्री हाथी	२७७७

Demands for Grants	Subject	Page
	Shri N. N. Patel	2745
	Shri Warior	2745–46
	Shri Harish Chandra Mathur	2746–47
	Shri C. K. Bhattacharyya	2747–48
	Shri Liladhar Kotoki	2748
	Shri Prabhat Kar	2748
	Shri Shinkre	2748
	Shri A. K. Sen	2749—53
	Ministry of Food and Agriculture	2754—81
	Shri Sarjoo Pandey	2754—56
	Shri D. S. Chaudhuri	2756–57
	Shri Narasimha Reddy	2757–58
	Shri J. P. Jyotishi	2759–60
	Shri Karni Singh ji	2769–70
	Shrimati Renuka Roy	2770–71
	Shri Surendranath Dwivedy	2772–73
	Shrimati Satyabhama Devi	2774
	Shri Bagri	2774–75
	Shri Shinde	2775–76
	Shri Kashi Ram Gupta	2777–78
	Shri S. S. More	2778–79
	Shri M. S. Murti	2779–80
	Shri Rameshwaranand	2780–81
Statement *re*: reference of matter by President to Supreme Court under Article 143 of Constitution		2777
	Shri Hathi	2777

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक–सभा

LOK SABHA

गुरुवार, २६ मार्च, १९६४/६ चैत्र, १८८६ (शक)

Thursday, March 26, 1964/Chaitra 6, 1886 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
Mr. Speaker in the chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कपड़ा मशीनों की खरीद

+

*७५४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कपड़ा मशीनों की खरीद के लिये जापान सरकार से १५० लाख डालर का ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). जी, हां । कपड़ा मशीनों के लिये सम्भरणकर्ता ऋण देने के प्रश्न पर जापान सरकार विचार कर रही है ।

श्री वारियर : क्या वह मशीनें इस देश में बनाई जाने वाली मशीनों से कुछ भिन्न किस्म की होंगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हम यहां पर भी इन कपड़ा मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु वास्तव में औद्योगिक उपयोग के लिये कपड़ा मशीनों की हमारी कुल आवश्यकता इससे पूरी नहीं हो पाती । इसलिये ऐसी मशीनें जापान से मंगाई जायेगी ।

श्री वारियर : क्या इन मशीनों के आवंटन के सम्बन्ध में भी सरकार ने निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : निश्चित ही, इन मशीनों के आवंटन के बारे में सरकार निश्चय करेगी और जिस विशेष प्रकार की मशीनें जापान से मंगाना चाहेंगी उसकी एक सूची उन लोगों को दे दी गई है।

श्री दाजी : क्या सरकार यह बता सकती है कि इस योजना के अधीन किस प्रकार की कपड़ा मशीनों का आयात किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): इसके अन्तर्गत लगभग सभी प्रकार की कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित मशीनें आ जाती हैं क्योंकि इस देश में हम जिन मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात्, कताई फ्रेम्स, धुनाई मशीनें और कुछ सहायक मशीनें, वे पर्याप्त नहीं हैं । फिर हम अभी तक ब्लोरूम मशीनों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहे हैं । इसलिये, इस योजना के अधीन कपड़ा उद्योग की सभी मशीनें आती हैं, वे मशीनें भी जिनका हम इस देश में निर्माण कर रहे हैं ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या जिन नये कारखानों के लिये हाल ही में लाइसेंस दिये गये हैं उनकी समस्त आवश्यकताओं को इस ऋण रूपी सहायता से पूरा किया जा सकेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : पंचवर्षीय योजना के अधीन हमारी कुल आवश्यकतायें बहुत अधिक हैं । पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने और नये कारखानों में मशीनें लगाने दोनों ही प्रयोजनों के लिये कपड़ा मशीनों की हमारी आवश्यकतायें लगभग ३२० करोड़ रुपये की हैं? हमारे अपने उत्पादन की इसके एक तिहाई भी होने की सम्भावना नहीं है । इसलिये यह बताना बहुत कठिन है कि लगभग ८ करोड़ रुपये के इस विशेष ऋण से नई कपड़ा मिलों की आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी अथवा पुरानी मिलों की। सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा मशीनों का आवंटन किया जा रहा है ।

श्री अ० प्र० जैन : इस ऋण के उपयोग की अवधि के दौरान अपेक्षित कुल मशीनों की कितने प्रतिशत मशीनें इस ऋण से खरीदी जायेंगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने बताया है, पंचवर्षीय योजना काल के दौरान लगभग ३२० करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी । सम्भावना यह है कि हमारा उत्पादन इसका लगभग चौथाई होगा । यह ऋण केवल ८ करोड़ रुपये का होगा और इसलिये माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि इससे हमारी आवश्यकताओं का बहुत थोड़ा भाग पूरा किया जा सकेगा ।

रोगों का उन्मूलन

*७५५. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे रोग कौन से हैं जिन से हमारे देश में सब से अधिक प्राण हानि होती है ; और

(ख) उनका उन्मूलन करने अथवा नियंत्रण करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) भारत में निम्न रोगों को मृत्यु का मुख्य कारण समझा जाता है :—

ज्वर...

श्री हरि विष्णु कामत : ज्वर ? किस प्रकार के ज्वर ?

डा० द० स० राजू : मैं वह बता रहा हूं ।

ज्वर, श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी रोग (जिसमें फेफड़े का क्षय रोग सम्मिलित है), पेचिश और अतिसार, चेचक और हैजा ।

(ख) क्योंकि 'स्वास्थ्य' राज्य सूची का एक विषय है अतः अनेक प्रकार के रोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य का सूत्रपात किया है और मलेरिया और चेचक का उन्मूलन करने के लिये और क्षय रोग तथा अन्य बड़े संक्रमणीय रोगों पर नियंत्रण करने के लिये देशव्यापी आन्दोलनों को बढ़ावा देने के हेतु सहायक अनुदान देकर और अन्य रूपों में राज्य सरकारों को सहायता दे रही है। मलेरिया उन्मूलन आन्दोलन १९५८से चलाया जा रहा है और आशा है कि मार्च १९६४ के अन्त तक लगभग ८ करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका कार्य पूरा हो जायेगा । अधिक यूनिटें अपना कार्य पूरा कर लेंगी और प्रति वर्ष संधारण अवस्था में पहुंचती जायेगी । आशा है कि चेचक उन्मूलन आन्दोलन १९६५ में पूरा हो जायेगा । चिकित्सालयों की स्थापना करके और निवासस्थानीय उपचार की व्यवस्था करके क्षयरोग पर नियंत्रण किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि तृतीय योजना काल के अन्त तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक क्लिनिक अवश्य स्थापित हो जायेगा। बी० सी० जी० के टीके भी लगाये जा रहे हैं। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्भरण व्यवस्था में सुधार के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिससे कि हैजा और आंतों के रोगों में भारी कमी हो जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि कुछ आधुनिक, तथाकथित अत्याधिक सभ्य देशों में आजकल कैंसर और हृदय रोगों से सबसे अधिक प्राण हानि होती है और यदि हां, तो क्या हमारे देश में आधुनिक सभ्यता की प्रगति की गति को तीव्र करने का सरकार का विचार है अथवा उसकी गति को मन्द करने अथवा अवरुद्ध करने का विचार है जिससे कि हमारे देश में केंसर और हृदय रोगों की वृद्धि को रोका जा सके ?

डा० द० स० राजू : जहां तक कैंसर का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि, यूरोपीय देशों और अन्य उन्नत देशों में यह रोग बहुत आम है । परन्तु हमारी समस्या तो संक्रमणीय रोगों से सम्बन्धित है जिनके कारण यहां पर सबसे अधिक प्राणहानि होती है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का विचार आधुनिक सभ्यता की प्रगति की गति को तीव्र करने का है अथवा उसे अवरुद्ध करने का है जिससे कि ऐसे रोगों को होने से रोका जा सके।

डा० द० स० राजू : हम दोनों ही कार्य कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : वह दोनों कार्य किस प्रकार कर सकते हैं ;

अध्यक्ष महोदय : वह यह कह रहे हैं कि सभ्यता के बढ़ने से कुछ रोग होते हैं। अब यदि सभ्यता को बढ़ने दिया जायेगा तो उन रोगों के भी पैदा होने की सम्भावना है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह मामला सभ्यता का उतना नहीं है जितना कि यह तथ्य है कि प्रत्येक देश में प्रारम्भिक अवस्था में संक्रामक रोगों का बहुत अधिक जोर होता है। उन्हीं रोगों पर उनका सारा ध्यान केन्द्रित रहता है। जैसे ही इन रोगों पर नियंत्रण कर लिया जाता है, तो अन्य रोग, जैसे, कि कैंसर, वृद्धावस्था के विक्षासी रोग, हृदय रोग आदि, बहुत अधिक जोर पकड़ लेते हैं और उन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगता है। पश्चिमी देशों में वे लोग दूसरी अवस्था में पहुंच गये हैं। भारत में हम पहली ही अवस्था में चल रहे हैं। परन्तु जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है, हम कैंसर और हृदय रोगों की समस्या की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रोगों के उपचारात्मक पहलू की अपेक्षा निरोधक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, लोगों के लिये अच्छे भोजन और साफ वातावरण की उतनी व्यवस्था करने के अतिरिक्त जितनी कि वे कर सकते हैं, निरोधक दृष्टिकोण से हठयोग पद्धति की सम्भावनाओं की तथा उपचारात्मक दृष्टिकोण से खर्चीली एलैपेथिक चिकित्सा पद्धति की अपेक्षा होम्योपैथी और आयुर्वेद पद्धतियों की चिकित्सा सम्बन्धी सम्भावनाओं की खोज करने का है ?

डा० सुशीला नायर : इस समय संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने वाले जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वे सभी मुख्यतया निरोधक कार्यक्रम हैं। होम्योपेथी और आयुर्वेद मुख्यतया उपचारात्मक मार्ग हैं और राज्य सरकारें अनेक स्थानों पर उनका उपयोग कर रही है जहां कि वे उन्हें उचित समझती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने ध्यान देकर नहीं सुना। मैंने निरोधक दृष्टिकोण से हठयोग के महत्व के सम्बन्ध में पूछा था ....

अध्यक्ष महोदय : वह अपने अनुपूरक प्रश्न में हठयोग के सम्बन्ध में केवल पूछ ही नहीं रहे हैं अपितु उसका अभ्यास भी कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस विषय पर आपने जो प्रकाश डाला है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

मेरा प्रश्न यह था कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उपचारात्मक पहलू की अपेक्षा निरोधक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए, क्या निरोधक दृष्टिकोण से सरकार ने हठयोग की सम्भावनाओं की खोज की है ?

डा० सुशीला नायर : रोगों के निरोध के लिए दो मार्ग हैं। एक तो अनेक ढंगों से संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करने का मार्ग है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा है व्यक्ति विशेष के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करना जिससे कि वह रोग का अधिक मुकाबला कर सके। बाद वाले मार्ग के सम्बन्ध में एक ओर तो हम आहार पौष्टिकता में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ मामलों में हमने योग पद्धति के आसनों और प्राकृतिक चिकित्सा आदि का उपयोग किया है। व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य पर इन प्रणालियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अनुसन्धान योजनायें चल रही हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सर्वसाधारण के एकमत्यानुसार चिन्ता को मृत्यु का सबसे खराब कारण माना जाता है और यदि हां, तो विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल द्वारा उत्पन्न की गई चिन्ताओं को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे सकती हैं। परन्तु इस विशेष मामले में चिन्तायें उत्पन्न करने वाले माननीय सदस्य हैं; माननीय मंत्री नहीं।

श्री कपूर सिंह : सदन इस मामले के बारे में बहुत चिन्तित है। माननीय मंत्री इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

डा० सुशीला नायर : सत्तारूढ़ दल पर किये गये अनावश्यक प्रहार को छोड़ कर मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि चिन्ता स्वास्थ्य को बुरा करने वाले बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के हमारे कार्यक्रम हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों के अधीन माननीय सदस्यों को बहुत अधिक लाभ होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आशा करता हूं कि मंत्रीगण भी इससे लाभ उठायेंगे।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में तो माननीय मंत्री ने प्रश्न के अन्तिम भाग का ही उत्तर दिया है।

Dr. Govind Das : 80 per cent of India's population lives in villages and mostly they are still given Ayurvedic treatment. Keeping this in view, is any special country-wide programme being implemented for making Ayurvedic treatment more scientific and for opening Ayurvedic clinics in vigllages ?

Mr. Speaker : Now the hon. Member is asking a general question as to whether Ayurvedic clinics are being opened in villages, while the main question relates to eradication of diseases.

Dr. Govind Das : I wanted to know whether in villages.....

Mr. Speaker: The question relating to making the Ayurvedic treatment more scientific and opening of clinics in villages is a very general one.

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has stated that Malaria is also one of the greatest killers in the country. May I know whether the Anti-

Malaria Scheme which is now being implemented will be continued or discontinued? Secondly, is the incidence of Malaria same as before or it has decreased ?

Dr. Sushila Nayar : In the past Malaria used to be fatal disease; but now if is not so. Also cases of Malaria are only few. As my hon. colleague has stated about 80 million people live in those areas which were Malaria ridden but now Malaria Eradication Programme has been completed there and all this special staff etc. will be withdrawn from there after 1st April. Similarly this Malaria Eradication Programme is being implemented in the entire country and is nearing completion very successfully.

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जब कि उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों में, विशेषरूप से तराई क्षेत्र में, मलेरिया रोग वर्ष के कुछ महीनों में संक्रामक रोग के रूप में फैलता है, तिस पर भी मलेरिया उन्मूलन विभाग यह रिपोर्ट भेज देता है कि उन क्षेत्रों में मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है ?

डा० सुशीला नायर : हमें यह ज्ञात है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेषरूप से उन क्षेत्रों में जो कि अन्य देशों अर्थात् पूर्वी बंगाल और नेपाल के साथ मिले हुए हैं, मलेरिया रोग से लोग पीड़ित होते रहते हैं क्योंकि वहां पर लोगों का एक ओर से दूसरी ओर को प्रव्रजन होता रहता है। यही कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग २५ दल अभी भी दवाई छिड़कने का कार्य और अन्य अनेक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार उन क्षेत्रों में अपने प्रयत्नों में हमने कमी नहीं की है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री का ध्यान आज के समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दोषयुक्त चेचक के टीके के कारण एक बच्चा अंधा हो गया है और दूसरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, और यदि हां, तो टीकों को लगाये जाने के लिए बाहर भेजे जाने से पूर्व प्रयोगशाला में उनका परीक्षण कराने के लिए क्या वह कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार मैंने पढ़ा है। जहां तक बच्चे के अंधे हो जाने वाले मामले का सम्बन्ध है, उसकी केवल हमारे अपने विशेषज्ञ ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी जांच कर रहे हैं । यह सच है कि ऐसा बताया गया है कि टीके लगवाने के पंद्रह दिन पश्चात् बच्चे के नेत्रों की दृष्टि चली गई। परन्तु, विशेषज्ञों का यह कहना है कि दृष्टि में परिवर्तन के मामले ऐसे नहीं हैं जिन्हें चेचक के टीके के कारण होने वाले किसी मस्तिष्क रोग के साथ सम्बद्ध किया जा सके। तथापि इस मामले को हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संस्थाओं को भेजा है। इस मामले के बारे में जांच करने के लिए हम प्रत्येक सम्भव कार्य कर रहे हैं। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस टीके से ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, तो मैं यह निवेदन करती हूं कि हम लगभग २० करोड़ लोगों को चेचक के टीके लगा चुके हैं। टीका लगाये जाने से बिगाड़ पैदा होने वाले १७ या १८ मामलों के समाचार मिले हैं, टीकों के एक करोड़ मामलों में एक से भी कम बिगाड़ पैदा होने वाले मामले की इस दर से हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में चेचक के टीकों से बिगाड़ पैदा होने वाले मामले अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम हैं।

परिवहन नीति तथा समन्वय समिति

*७५६ **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री उमानाथ :
श्री बड़े :
श्री राम हरख यादव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या समिति के काम को तेज़ किया जा रहा है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) से (ग). दिनांक २ दिसम्बर, १९६३ तथा २७ फरवरी १९६४ को क्रमश: तारांकित प्रश्न संख्या ३१२ तथा ३४४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की ओर ध्यान दिलाया गया है । परिवहन नीति तथा समन्वय समिति हाल ही में पुनर्गठित की गई है और यह आशा की जाती है कि अगले पांच अथवा छ: महीनों में समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि आवश्यक जानकारी के पर्याप्त रूप में न मिलने के कारण समिति के कार्य में बहुत बाधा पड़ी थी। क्या यह सच है कि समिति के भूतपूर्व सभापति, श्री नियोगी, ने इस समिति से विरक्ति में और लगभग निराशा में अपना त्यागपत्र दिया था और इसका कारण केवल यही नहीं था कि आवश्यक जानकारी देने के मामले में उन्हें राज्य सरकारों से सहयोग नहीं मिल रहा था, परन्तु यह भी था, कि हमारे विदेश स्थित दूतावास इस मामले से सम्बन्धित सभापति महोदय द्वारा उनको लिखे गये पत्रों को लेकर बैठ जाते थे और तब तक उनका उत्तर नहीं देते थे जब तक कि स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें लताड़ा-फटकारा न जाता ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: दिसम्बर में तथा फरवरी में दोनों ही अवसरों पर सभा-पटल पर रखे गये विवरणों में विस्तृत उत्तर दिया गया था । उनके त्यागपत्र से सम्बन्धित प्रश्न का भी उत्तर वहां दिया गया था । उसके तीन कारण थे । गृह-कार्य मंत्री के पत्र का भी उल्लेख किया गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि श्री नियोगी के त्यागपत्र देने के पश्चात् समिति के कार्य में लगभग कोई प्रगति नहीं हुई है ? यदि इसका उत्तर नकारात्मक है, तो उसका कार्य किस अवस्था पर पहुंच गया है ? क्या सरकार कम से कम मोटे तौर पर यह बता सकती है कि अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : चार या पांच महीनों में, जैसा कि बताया जा चुका है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस मामले में दो कारणों का विशेषरूप से उल्लेख किया गया था जिन के सम्बन्ध में सदन में भी चिन्ता व्यक्त की गई थी। एक था विश्व बैंक के अध्ययन में हस्तक्षेप और दूसरा था समिति में अधिकारियों का पूरे तौर से छाये हुये रहना जिस से सभापति का कार्य रुक गया था और उस में प्रगति नहीं हो पायी थी। इन बातों के सम्बन्ध में सभापति की राय को सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के क्या कारण थे? वे किस प्रकार यह कहते हैं कि वे समिति पर आच्छादित नहीं थे अथवा उन्होंने समिति के कार्य में बाधा नहीं डाली थी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सम्मानपूर्वक, मैं यह निवेदन करता हूं कि स्थिति ठीक ठीक नहीं बताई गई है। कारण इस प्रकार है : पहला कारण कोयला परिवहन सम्बन्धी विश्व बैंक के अध्ययन दल के कार्य और उसके समिति के कार्य के साथ सम्बन्ध के बारे में था। जहां तक इसका सम्बन्ध है इस मामले में समिति के कार्य पर आच्छादित रहने अथवा अतिरेक का कोई प्रश्न ही नहीं था। दूसरा समिति को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव से सम्बन्धित था। हम यह अनुभव करते थे कि ऐसा कारण आवश्यक नहीं है क्योंकि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका था। तीसरे तत्कालीन श्रम मंत्री, वर्तमान गृह-कार्य मंत्री ने, यह लिखा था कि प्रतिवेदन चार अथवा पांच महीनों के अन्दर ही शीघ्र दिया जाना चाहिये। उस समय तक बहुत से प्रश्न संसद् में पूछे जा चुके थे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह कैसे यह कहते हैं कि अतिछादन नहीं किया गया था ? आखिर सभापति महोदय ने जब यह कहा था कि अतिछादन हो रहा है तो उन्होंने इसके कारण भी तो बताये होंगे और यह सिद्ध किया होगा कि अतिछादन हो रहा था।

अध्यक्ष महोदय : यह तर्क करने वाली बात है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कौन कौन से मामले अन्तर्गत थे ? यह तर्क करने का प्रश्न नहीं है, यह जानकारी लेने के लिए किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे यह कहते हैं कि अतिछादन नहीं किया गया था—यह तो तर्क प्रारम्भ करने वाली ही बात है।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि विश्व बैंक दल के निर्देश-पद बाद में बढ़ा दिए गये थे और उस में सभी साधनों से किया जाने वाला परिवहन तथा सभी वस्तुओं का परिवहन सम्मिलित कर दिया गया था।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वह दल रेल, सड़क और नहर परिवहन की पूर्ण जानकारी लेना चाहता था। एक साधारण ढंग से उनका इस से सम्बन्ध था। इस से तनिक भी अतिछादन नहीं किया गया।

राज्यों को सहायता

\+

*७५७. **श्री कछवाय** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले १९६४–६५ के लिये राज्यों की विकास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता लगभग ५५ करोड़ रुपये तक बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(घ) इस अतिरिक्त सहायता में से आसाम तथा अन्य राज्यों को अलग अलग क्या मिलेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्यों को केन्द्रीय सहायता--१९६४-६५

राज्य	२६-९-१९६३ को राज्यों को सूचित की गई केन्द्रीय सहायता	२२-१-१९६४ को केन्द्रीय सहायता
		(करोड़ रुपयों में)
आंध्र-प्रदेश	३९.५०	४३.०५
आसाम	१४.४०	२२.१०
बिहार	४७.४०	५१.८०
गुजरात	१९.७०	२१.९५
जम्मू तथा काश्मीर	१३.४०	१३.९५
केरल	२२.००	२६.२०
मध्य प्रदेश	३९.३०	४७.२०
मद्रास	४०.३०	४३.४५
महाराष्ट्र	३६.००	३६.१०
मैसूर	२२.२०	२९.७५
उड़ीसा	२९.००	३४.२०
पंजाब	२९.१०	३२.१०
राजस्थान	३१.९०	३९.५५
उत्तर प्रदेश	७८.००	७८.३०
पश्चिम बंगाल	३६.८०	३८.८०
कुल योग	४९९.००	५५८.५०

Shri Kachhavaiya : Will this central assistance being provided to states be utilised for agricultural purposes or for some other purposes ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में इसके लिये ५०० करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र द्वारा दी जानी थी और ३५० करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जानी थी। ४९९ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आवंटन भी बता दिया गया था ।

राज्य सरकारों ने १९६४ –६५ की योजनाओं के मसविदे के लिये कुल मिलाकर १,००१ करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। इसके लिये कार्यकारी दलों ने १,०४८ करोड़ रुपये की लागत की सिफारिश की और चर्चा करने के पश्चात् लागत की राशि ९४१ करोड़ रूपये निर्धारित की गई थी। संसाधनों संबंधी कार्यकारी दल ने राज्यों के संसाधनों का ३५३ करोड़ रुपये के होने का अनमान लगाया था । ४९९ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को इस में मिलाने के पश्चात् राज्यों की योजनाओं के लिये निर्धारित राशि से यह ८९ करोड़ रुपये कम रहती थी। इस कमी के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के साथ ४ जनवरी, १९६४ को चर्चा की गई थी। और राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन को बढ़ाकर ५७५ करोड़ रुपये करने के लिये सहमति दी गई थी, जिस में से ५५८ करोड़ ५ लाख रुपये राज्यों को आवंटित कर दिये गये हैं और १६ करोड़ ५० लाख रुपये केन्द्र द्वारा अपने पास रख लिये गये हैं। इस १६ करोड़ ५० लाख रुपयों में से १५ करोड़ रुपये कृषि कार्यक्रमों की लागत में वृद्धि करने के लिये है और १ करोड़ ५० लाख रुपये कुछ महत्वपूर्ण समाज सेवा के कार्यक्रमों के लिये।

Shri Kachhavaiya : Do Government propose to increase the amount of Central assistance for Madhya Pradesh, keekping in view the fact that it is a very big State and the amount allocated for it is inadequate ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: मध्य प्रदेश के लिये वह ३९ करोड़ ३० लाख रुपये की थी। अब इसे बढ़ाकर ४७ करोड़ २० लाख रुपये कर दिया गया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : What are the names of those States who have stated that the amounts allocated to them are inadequate and what decision has been taken on the demand of Rajasthan for more allocation ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: क्या मैं आंकड़े पढ़ कर सुना दूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्यों से सम्बन्धित आंकड़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । दर असल, प्रत्येक राज्य ने यह कहा होगा कि उन्हें अधिक आवंटन दिया जाये। वह केवल राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: राजस्थान के लिये सहायता की राशि ३१ करोड़ ९० लाख रुपये से बढ़ाकर ३८ करोड़ ५५ लाख रुपये कर दी गई है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Rajasthan Government approached for more allocation due to famine conditions there. May I know whether the funds for this purpose have been included in this allocation or a separate allocation will be made ?

अध्यक्ष महोदय : अकाल की स्थिति के लिये क्या अलग राशि निर्धारित की गई है अथवा वह इसी में सम्मिलित है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): अकाल के लिये दी गई सहायता पर व्यय की गई राशि इस में सम्मिलित नहीं है । समस्या तो यह है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ अन्य कार्य भी किये जाने हैं। केवल अकाल के लिये सहायता के ही समबन्ध में नहीं अपितु अन्य उपायों की भी सरकार जांच कर रही है । अकाल के परिणामस्वरूप, यदि सहायता प्रयोजनों के लिये अन्य कुछ व्यय भी किया जाना आवश्यक समझा जायेगा तो उसकी भी जांच की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : सुना नहीं जा सका ।

श्री रंगा : श्रीमन्, कदाचित आप उत्तर सुन सके हों परन्तु हम तो नहीं सुन सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के बारे में जांच की जा रही है । यदि अधिक धन की आवश्यकता पड़ी तो वे इसकी व्यवस्था करेंगे ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को और रुपया दिया है । वित्त मंत्री ने यह बताया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने यह प्रार्थना की थी कि या तो नागार्जुन सागर परियोजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले अथवा उसके लिये अधिक रुपया राज्य सरकार को दिया जाये । क्या योजना आयोग ने इसके लिये विशेष व्यवस्था कर दी है जिस से कि आंध्र प्रदेश राज्य के विकास पर जो भार पड़ा हुआ है वह हलका हो जाये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह एक ऐसा मामला है जिसकी सदन में जांच करना हमारे लिये सम्भव नहीं है । राज्यों की जो योजनायें हैं उन्हें चलाने का उनको उचित अधिकार है । वास्तव में उन के पास पूरे संसाधन नहीं हैं परन्तु केन्द्र के संसाधन भी तो असीमित नहीं हैं । इसी बात के बारे में योजना आयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ बातचीत करता है तथा पूर्ववर्तितायें निर्धारित करता है । इस प्रकार इसके रीति विज्ञान पर चर्चा करना हमारे लिये कठिन है । समय मेरे सहयोगी ने धन राशि का जो उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त मैं सदन को और कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Patel Committee on development of four districts of Uttar Pradesh. namely Deoria, Azamgarh, Jaunpur and Gazipur, was appointed by the Government sometime ago. How much amount has been sanctioned by the Government, on the basis of the recommendations made in the report submitted by this Patel Committee, for development of those districts; on what development works this amount will be utilised and by what time ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक मैं समझ सका हूं यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित है। जो सहायता भी दी गई थी तथा जो अग्रिम अध्ययन किये गये थे उसके सम्बन्ध में पृथक पृथक उत्तर दिये जा चुके हैं।

श्री विभूति मिश्र : प्रधान मंत्री ने बार बार जो यह वक्तव्य दिये हैं कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में सब से कम है उनको ध्यान में रखते हुए क्या बिहार को विकास कार्य के लिए अधिक अतिरिक्त सहायता देने का सरकार का विचार है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय संसाधनों की संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राय की आवश्यकताओं पर विचार किया जायेगा ।

Shri Gulshan : What are the details of the Central Assistance given to Punjab and also the details of the assistance out of it meant for Harijan welfare.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: जैसाकि मैं बता चुका हूं यह समाज कल्याण बोर्ड के अधीन आता है। यह कदाचित एक कठिन शीर्ष है। परन्तु मैं यह बता दूं कि पंजाब के मामले में इसे २९ करोड़ १० लाख रुपये से बढ़ा कर ३२ करोड़ १९ लाख रुपये कर दिया गया है ।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है या नहीं कि गत वर्ष आसाम में भारी बाढ़ों के कारण . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि प्रश्न पूछेंगे तो एक ही प्रश्न में १५ मिनिट अथवा इसके लगभग समय लग जायेगा ।

श्री बसुमतारी : यह प्रश्न योजना के सम्बन्ध में है और प्रश्न के भाग (ख) में आसाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। क्या यह बात ठीक है अथवा नहीं कि आसाम राज्य में गत वर्ष जो सबसे भारी बाढ़ें आई थी उनके कारण सहायता देने के लिये आसाम सरकार ने केन्द्र से अतिरिक्त आवंटन की प्रार्थना की थी परन्तु वह प्रार्थना ठुकरा दी गई थी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय वित्त मंत्री ने राजस्थान के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है उसी से इसका उत्तर निकलता है। यदि राजस्थान और आसाम में विशेष स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो उन पर विशेषरूप से विचार किया जायेगा और प्रबन्ध किया जायेगा।

स्नातकों में बेरोजगारी

\+

*७५८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगार स्नातकों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ;

(ख) इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार कर लिया है तथा कोई निर्णय कर लिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) और (ख). देश में बेरोजगार स्नातकों की कुल संख्या के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों से प्रत्येक वर्ष के अन्त की स्नातकों और उत्तर-स्नातकों की संख्याओं के आंकड़ों को देख कर यह पता चलता है कि देश में

बेरोजगार स्नातकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। १९६०–१९६३ की अवधि के प्रसंगोचित आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर में स्नातकों की संख्या
१९६०	४६,५८४
१९६१	५५,७८६
१९६२	६३,७८४
१९६३	६७,८३०

(ग) सरकार इस समस्या पर कुछ समय से विचार करती रही है और आशा है कि तृतीय योजना के कार्यक्रमों में यह कुछ हद तक हल कर ली जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : इन लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: यह कार्य तृतीय योजना में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है। रोजगार दफ्तरों के इन स्नातकों में इंजीनियरी और चिकित्सा विज्ञान आदि के स्नातक भी सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष के अन्त में, जहां तक डाक्टरों और इंजीनियरों का सम्बन्ध है/और बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये भी, हमें उच्च प्रविधिक दक्षता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक समझा जाये तो मैं आंकड़े बता सकता हूं।

श्री विभूति मिश्र : इस सब प्रयत्नों के बावजूद भी बहुत सारे स्नातक बेरोजगार हैं। इसलिए उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार और क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? इस सम्बन्ध में तृतीय योजना में अब तक असफलता ही हाथ लगी है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि इस बात को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है कि देश में बेरोजगार स्नातकों के संख्या बढ़ रही है। परन्तु रिक्त स्थानों के लिए अनिवार्य रूप से अधिसूचना दिये जाने के सम्बन्ध में भी तो अधिनियम पारित कर दिया गया है। रोजगार दफ्तार इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में हमने परामर्श-दाता ब्यूरो खोल रखे हैं जहां वे लोग अपने नाम रजिस्टर करवाते हैं और ये ब्यूरो रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में उनको उपयुक्त सलाह देते हैं।

Shri Brij Bihari Mehrotra : How many graduates are provided with employment opportunities by the Employment Exchanges during a year and how many of them remain unemployed even after their registration ?

अध्यक्ष महोदय : इनमें से कितने स्नातकों को वास्तव में रोजगार पर लगा दिया गया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं इसके आंकड़े दे सकता हूं, परन्तु इस समय वे मेरे पास नहीं हैं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या योजना मंत्री अथवा योजना आयोग ने कभी यह जानने का प्रयत्न किया है कि कृषि स्नातक, चिकित्सा स्नातक, प्रविधिक स्नातक और इंजीनियरी स्नातक अलग अलग कितने कितने बेरोजगारी में हैं और क्या, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग में, इस समस्या का अध्ययन करने के लिए और उपयुक्त रोजगार देने के लिए और उनकी शिक्षा को नया रूप देने के लिए प्रयत्न करने का उनका विचार है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जहां तक रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों का सम्बन्ध है उनके आंकड़े कुछ धोखा देने वाले हैं। वे इतने ठीक नहीं हो सकते जितने कि अन्य मामलों में हैं। उदाहरणार्थ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि रोजगार पर लगे हुए हों और अपने नाम उन्होंने यह सोच कर रजिस्टर करा लिये हों कि इससे उन्हें अधिक अच्छा रोजगार शायद मिल सके। इस प्रकार यह एक बड़ी जटिल समस्या है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री चे० रा० रा० पट्टाभिरामन् : बेरोजगार कृषि स्नातकों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन स्नातकों में केवल कला स्नातक ही हैं अथवा विज्ञान स्नातक भी उनमें सम्मिलित हैं ? इन स्नातकों को रोजगार देने के लिए अध्यापकों के ५०,००० पदों को बनाने की योजना का क्या हुआ ?

श्री चे० रा० पट्टाभि**रामन :** वास्तव में बहुत से मामलों में हमें दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और हम उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत से स्थान रिक्त पड़े हुए हैं क्योंकि उपयुक्त प्रविधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। यह एक जटिल प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अध्यापकों के ५०,००० पदों का जो उल्लेख किया है, वह बात हमारे दिमाग में है। हम इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि उनके लिये पर्याप्त रोजगार के अवसरों की व्यवस्था हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय उपमंत्री ने स्नातकों की जो संख्या बताई है उसमें केवल कला के ही स्नातक हैं अथवा विज्ञान के स्नातक भी सम्मिलित हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस प्रश्न के लिये मुझे विधिवत् सूचना दी जाये।

Shri Yashpal Singh : On the one hand, Government claims that there is a shortage required of technical hands which on the other hand hundreds of technical personnel are seen unemployed; may I know the reason for it ?

Mr. Speaker : It has been replied many times.

श्री स्वैन : माननीय मंत्री द्वारा लगाये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में बेरोजगार स्नातकों की सख्या बहुत अधिक है। क्या यह सच है कि इसका कारण यह है कि हमारी स्नातक-पूर्व शिक्षा की उपेक्षा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप हमारे स्नातकगण निम्न-स्तर के होते हैं और वे रोजगार के मार्गों को खोज निकालने में अपने को असमर्थ पाते हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : शिक्षा के निम्न स्तर के सम्बन्ध में मैं उत्तर नही दे सकता। जहां तक उनकी सख्या का सम्बन्ध है यह सही है कि उसमें वृद्धि हो रही है। परन्तु एक व्यक्ति जो आज अपना नाम रजिस्टर करवाता है कल अपना नाम कटवा सकता है...

श्री स्वैल : मेरा प्रश्न यह था कि क्या हमारी स्नातक-पूर्व शिक्षा की उपेक्षा के कारण ही आज हमारे स्नातकों का स्तर निम्न है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : श्रीमन्, मैं इस बारे में नहीं जानता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या विभिन्न नामों वाली श्रेणियों के अधीन--चिकित्सा, इंजीनियरी, कला आदि--स्नातकों के गुणदोषों और उनकी कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए और उनके उपयोग किये जाने के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : यह आंकड़े मेरे सह मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं और मैं उन्हें ले सकता हूं ।

श्री जो० ना० हजारिका : बेरोजगार स्नातकों में से कितने कला स्नातक हैं और चतुर्थ योजना में उनमें से कितनों को रोजगार पर लगाये जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी उनके पास नहीं है ?

Dr. Govind Das : Is it not a fact that in regard to unemployment of graduates it has many times been brought to the notice of Government that reorientation of our education system is very necessary and that all recommendations made in this connection are not being implemented ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : यह प्रश्न शिक्षा पद्धति के बारे में है, जो कि शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सभी बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने का कार्य भार सरकार ने स्वय अपने ऊपर ले लिया है और यदि नहीं, तो उनके लिये उपयुक्त मार्गों की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं । जिससे कि वे लोग स्वयं अपने लिये रोजगार खोज सकें ।

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनेकों ब्यूरो खोले हुए हैं । इसके अतिरिक्त , शिशिक्षु अधिनियम के अधीन, सभी नियोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे रिक्तस्थानों की सूचना दें । मैंने दूसरे अधिनियम का भी उल्लेख किया है । इस प्रकार हम स्थिति सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मेरा प्रश्न यह नहीं है । क्या इन सभी बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने का कार्यभार सरकार ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है और यदि नहीं, तो उनके लिये उन मार्गों अथवा अवसरों की व्यवस्था करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं जिनसे कि वे लोग स्वयं ही अपने लिये रोजगार खोज सकें ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : पंचवर्षीय योजना यह बताती है कि हम ग्राम्य औद्योगीकरण करने जा रहे हैं । उन में से बहुत सों की उसमें खप जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, तृतीय योजना में और भी ऐसे बहुत से शीर्ष हैं जिनके अधीन ये स्नातक रोजगार में लग जायेंगे ।

श्री दाजी : मंत्री महोदय ने बहुत सी योजनाओं और परियोजनाओं का उल्लेख किया है और यह भी कहा है कि इन सब के बावजूद भी बेरोजगार स्नातकों की संख्या में वृद्धि हुई है । इसके परिणाम स्वरूप, क्या सरकार इन बेरोजगार स्नातकों को खपाने के लिये ५०,००० अध्यापकों वाली योजना के समान अन्य किसी विशिष्ट योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : स्वयं उस योजना में ही बहुत सारे स्नातक रोजगार पर लग जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस प्रकार की कोई और योजना है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : इस समस्या पर निरन्तर विचार किया जा रहा है। बस इतना ही मैं कह सकता हूं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार यह विश्वास करती है कि स्वयं विश्वविद्यालय स्नातक शिक्षा ही उपयोगी रोजगार पाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : कौन सी बाधायें, श्रीमन्? मैं प्रश्न के दूसरे भाग को नहीं सुन सका ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा

श्री रंगा : क्या हम यह मान लें कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि वह केवल शिक्षित बेरोजगारों को ही रोजगार देने की बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और बेरोजगार अशिक्षित अथवा अस्नातक व्यक्तियों को रोजगार देने के प्रश्न को निम्न पूर्ववर्तिता देगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् : यह बात नहीं है । दो महीने पूर्व विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो की प्रथम अखिल-भारतीय गोष्ठी बनारस में हुई थी । उसका अनुसरण किया गया है। मैं विभिन्न गोष्ठियों और वहां पर हुई चर्चाओं के बारे में यहां पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न लिया जाये। हमने ४० मिनट के समय में केवल पांच प्रश्न ही पूरे किये हैं ।

विद्युत उत्पादन तथा पारेषण समन्वय संघ

*७५९. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् उत्पादन तथा पारेषण समन्वय संघ के कुछेक देशों में इंजीनियरों का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और राज्य विद्युत बोर्डों के कुछ चुने हुए इंजिनियरों को विद्युत उत्पादन तथा पारेषण समन्वय संघ के देशों की और अमेरिका को भेजने का विचार है । इसका उद्देश्य उन देशों में विद्युत प्रणालियों के एकीकृत संचालन की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना है ।

टिक्करपाड़ा बांध परियोजना

\+

*७६०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री गो० महन्ती :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा की टिक्करपाड़ा बांध परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित होने वाली केन्द्रीय योजनाओं में शामिल है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी नहीं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या हम यह समझें कि जिस परियोजना के कारण लगभग पांच लाख लोग बेघरबार हो जायेंगे और जिसके लिए लगभग ३०० करोड़ रुपये की जरुरत होगी और जिसकी नींव दुर्भाग्य से प्रधान मंत्री ने रखी थी--और हमें खेद है कि उनकी बीमारी अधिकांश उसी कारण थी--उस पर योजना आयोग या केन्द्रीय पानी बिजली आयोग या किसी सरकारी अधिकारी या प्रधान मंत्री के साथ किसी भी समय चर्चा नहीं की गयी थी और फिर भी राज्य सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उत्तर क्या था ?

डा० कु० ल० राव : मैं ने बताया था कि केन्द्रीय सरकार के पास इस परियोजना के कोई निश्चित ब्यौरे नहीं हैं और प्रधान मंत्री ने आधार शिला नहीं रखी थी बल्कि एक स्मारकशिला रखी थी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इस प्रश्न पर सरकार के किसी अधिकारी के साथ किसी समय कोई चर्चा हुई थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : स्थिति सब को मालूम है । १९४८ में जब हीराकुड योजना शरू की गयी थी तब टिक्करपाडा बांध के और दो दौरों की रूपरेखा बनायी गयी थी। इसलिए यह मूल एकीकृत योजना का एक अंग है । मेरे सहयोगी ने पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि प्रधान मंत्री ने एक स्मारक शिला रखी थी जिसका आशय यह था कि काम आरम्भ किया जायगा। काम का ब्यौरा, खर्च और उस योजना के ढांचे के सम्बन्ध में सारी बातें अभी तय करनी हैं । यह योजना वास्तव में कब कार्यान्वित की जायगी, हम अभी नहीं बता सकते ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या हम यह समझें कि भारत सरकार का इस परियोजना से इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उड़ीसा के आयोजन बोर्ड के अध्यक्ष ने विधान सभा में कहा था कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय पानी बिजली आयोग के इंजीनियरों के परामर्श से इस परियोजना का ब्यौरा तैयार किया है । उस क्षेत्र में भारत सरकार के तत्वाधान में किये जाने वाले सर्वेक्षण के लिए सहायता मांगने वाले लोगों को नोटिस दी गयी है । वह नोटिस हमारे पास है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ठीक है, नोटिसें दी जा रही हैं। इस योजना का सर्वेक्षण करने और संभावनाओं का अनुमान लगाने के उद्देश्य भी बताये गये हैं । योजना किस प्रकार की होगी यह बाद में निश्चित किया जायगा। इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि भारत सरकार वचनबद्ध है या नहीं। इस समय हम केवल योजनाओं का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री रंगा : क्या योजना आयोग या केन्द्रीय पानी बिजली आयोग से कभी परामर्श किया गया था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : किसी ऊंचे स्तर पर इस विषय पर चर्चा हुई थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी जानते हैं कि सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

श्री अ० प्र० जैन : क्या इस तरह की स्मारक शिला पहली बार रखी गयी थी या पहले अन्य किसी परियोजना में रखी गयी थी और यदि हां, तो किस परियोजना में ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, भारत सरकार को सभी बड़ी परियोजनाओं में दिलचस्पी है। इसलिए वह सभी बड़ी परियोजनाओं के जांच पड़ताल को प्रोत्साहन देती है ।

श्री गो० महन्ती : क्या यह टिक्करपाड़ा परियोजना हिराकुड बांध परियोजना का एक अंग है ?

डा० कु० ल० राव : पहले महानदी के प्रत्येक बेसिन का अध्ययन करते समय, टिक्कर-पाड़ा बांध परियोजना पर विचार किया जा रहा था ?।

Health Insurance

*762. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Public Health Association has requested Government to nationalise the Health services and to introduce health insurance in the country ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Healh (Dr. D. S. Raju): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Vishwa Nath Pandey : Is it a fact that the Health Minister was present in this Conference and there were deliberations on the nationalisation of health services and on the health insurance. Had she expressed her ideas in that Conference in this regard ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : The hon. Deputy Minister stated just now that there was no request for nationalisation, but the President of this Conference had expressed some ideas in his presidential address. There were also proposals for health insurance, for Compulsory Government Service for all doctors for a few years, and for nationalisation of health services.

Shri Vishwa Nath Pandey : It is necessary in the interest of the nation that health services be nationalised and there should be health insurance. Then why Government are unable to implement that programme ? What are the difficulties before it ?

Dr. Sushila Nayar : To some extent work of insurance scheme is going on. It is being done through Employees State Insurance for all industrial workers. It has also been done through the health scheme for Central Government Servants. Government Servants Scheme is being extended to some extent on a contribution of Rs. 7 or 8 per month, it would be made applicable to those who are now non-entitled. But we have no means today to introduce National Health Scheme on the Country wide basis.

Shri Braj Bihari Merhotra : Will non-Government people get benefit of Health Insurance Scheme in those regions where it is applicable, if they agree to pay contribution ?

Dr. Sushila Nayar : Under the Government Servants Scheme in Delhi we have decided that others living in Government Servants Colonies would be able to avail themselves of this scheme if they pay contribution of Rs. 7 or 8 per month.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए कितने धन की जरूरत होगी । इसके लिए कोई सर्वेक्षण या अनुमान किया गया है ? यदि हां, तो कितने साधन की आवश्यकता है और यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो क्यों नहीं ?

डा० सुशीला नायर : इस योजना को सफलता से चलाने के लिए केवल धन की ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की भी जरूरत होती है । वह हमारे पास अभी नहीं हैं ।

Shri Yashpal Singh : When is the Health Insurance Scheme likely to be completed and when it would be enforced every where ?

Dr. Sushila Nayar : It is difficult to say that at present.

Shri Prakash Vir Shastri : Have any decisions been taken to bring teachers of Government Schools in Delhi under the Contributory Health Services Scheme

Dr. Sushila Nayar : Recommendations have been received for different groups, which have been implemented from time to time after due consideration. Government of India is not responsible with regard to School teachers. They are under Delhi Administration which would consider over their requirements.

श्री स० मो० बनर्जी : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना कम से कम दिल्ली में तो पेंशनरों के लिए लागू की जाएगी। उस योजना का क्यो हुआ और क्या पेंशनरों को इस योजना के अधीन लाया जाएगा ?

डा० द० स० राजू : यह पेंशनरों के लिए अभी विचाराधीन है।

श्री कपूर सिंह : क्या पर्याप्त साधनों, सामग्री के अभाव के अलावा सरकार ने ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीयकरण की बुराइयों का अध्ययन किया है ?

डा० सुशीला नायर : हमारे अनेक पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का अध्ययन किया है और मैंने भी कुछ हद तक उसका अध्ययन किया है। मैं यह कहूंगी कि वह दुनिया की सब से अच्छी योजनाओं में से एक है।

सामाजिक सुरक्षा उपाय

*७६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री १३ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारियों की समिति को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में क्या विशेष मामले सौंपे गए थे तथा इसके कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देने की आशा है ; और

(ख) समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समिति को सौंपे गए मामले निम्नलिखित विषयों के संबंध में, प्राय: सभी नियुक्त कर्मचारियों और केन्द्रीय तथा राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने के लिए हैं :—

(क) परिवार के लिए पेंशनें और सम्बद्ध लाभ,

(ख) सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें,

(ग) चिकित्सा सुविधाएं,

(च) मकानों की सुविधाएं,

(ङ) बिजली खरीदने के लिए वित्तीय सुरक्षा,

(च) बुढ़ापे की पेंशनें आदि।

समिति आवश्यक बात इकट्ठी करने के बाद समय समय पर प्रत्येक पद पर विचार करती है और सरकार को सिफारिश करती है।

२. समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं :—

(१) श्री वी० टी० दहेजिया, सेक्रटरी, वित्त मंत्रालय, राजस्व और व्यय विभाग (अध्यक्ष) ।

(२) श्री पी० एस० मेनन, सेक्रटरी, श्रम और रोजगार मंत्रालय ।

(३) श्री एस० पी० सिंह, स्पेशल सेक्रटरी, गृह-कार्य मंत्रालय ।

(४) श्री पी० सी० मैथ्यू, स्पेशल सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय ।

(५) श्री जी० सी० कटोच, जाइंट सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय, (सदस्य सचिव) ।

इसके अलावा, श्री एस० बूथलिंगम, सेक्रेटरी, समन्वय विभाग और श्री बी० एन० दातार, योजना आयोग के श्रम और रोजगार विभाग के प्रमुख भी इस समिति के कार्य से संबंधित हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह समिति कब बनायी गयी थी, उसकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या हैं और उनके बारे में क्या हुआ ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने जो भी मदें बतायी हैं उनसे संबंधित काफी समस्याओं का अध्ययन यह समिति कर रही है। समस्याओं की पेचीदगी के कारण इस समिति को अपनी सारी सिफारिश निश्चित करने में कुछ समय लगेगा । लेकिन समिति ने यह निश्चय किया है कि जब किसी विषय का विवेचन किया गया है, तब उसकी सिफारिश सरकार के लिए उपलब्ध होगी । कुछ योजनाओं पर सरकार ने विचार किया है जैसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना । यह योजना अब भी सरकार के विचाराधीन है। मैं यह बताना चाहती थी कि ज्यों ज्यों समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, त्यों त्यों सरकार समय समय पर उन पर विचार करेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं जानता हूं कि यह एक स्थायी समिति जैसी है और वह अपनी सिफारिशें करेगी । लेकिन मेरा प्रश्न यह था क्या इस वर्ष के दौरान उसने कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : आरम्भ में यह समिति कुछ योजनाओं के संबंध में, जैसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, वित्त मंत्रालय को राय देने के लिए बनायी गयी थी और उसी सिलसिले में सामाजिक सुरक्षा के बड़े पहलू पर भी विचार किया गया । मेरे सहयोगी, श्रम मंत्री ने घोषित किया कि उनका मंत्रालय उन पहलुओं का काम शुरू कर रहा है जबकि यह समिति मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है और उनकी जरूरतों की कुछ कमी पूरी करने के लिए है। यह समिति समय समय पर विशेष समस्याओं का विवेचन करती है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही हम पेंशनरों को कुछ सहायता दे सकते हैं । सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन की योजना चालू की है । दूसरी बातों पर भी विचार किया जा रहा है । यदि सरकार ये निश्चय स्वीकार कर ले तो वे जाहिर कर दिए जायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उत्तर केवल सेवाओं तक ही सीमित है और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या सरकार ने इस बड़े प्रश्न पर विचार किया है और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन है और वर्ष के दौरान क्या आशा की जा सकती है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह बता नहीं सकता कि क्या आशा की जा सकती है क्योंकि इन मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। जब यह समिति बनायी गयी थी तो उसे पेंशन, शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं आदि के संबंध में सभी नियुक्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कहा गया था। समय सूची बताना मेरे लिए कठिन है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है कि दूसरे मंत्रालय इस मामले में क्या करते हैं। सरकार सम्पूर्ण समस्या पर विचार करती है। जब हम कोई निश्चय करेंगे तो वे बता दिये जायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गए विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि वह बहुत सीमित योजना है। तो क्या सरकार के साधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इतनी व्यापक योजना आरम्भ की जा सके और वे कब तक इनमें पर्याप्त हो सकेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वह बहुत बड़ी और भयंकर समस्या है। लेकिन यदि संभव हुआ तो हम प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार इस समस्या को सुलझायेंगे।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण से और माननीय मंत्री के कथन से यह मालूम होता है कि समिति सभी नियुक्त व्यक्तियों के प्रश्न की छानबीन कर रही है। उस हालत में क्या यह समिति जिसमें बहुत व्यस्त पदाधिकारी हैं, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरा पूरा ध्यान दे सकेगी और यदि नहीं तो क्यों वह व्यापक आधार पर सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू करने के विषय पर विचार करेगी।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमने यह काम अभी शुरू किया है और अब श्रम मंत्रालय शुरू कर रहा है और योजना पूरी करने के लिए इस मंत्रालय को समय समय पर हर मदद दी जाएगी।

Shri M.L. Dwivedi : Regarding the subjects referred to the Committee, it has been written :

"समिति समय समय पर प्रत्येक मद पर संगत बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करती है . . . . ."

I would like to know when this Committee was constituted and what are the details of the work done by this Committee and how many recommendations have been accepted by Government ?

Shri matiTarkeshwari Sinha : The hon. Minister has replied to it just now. I think the hon. Member must have heardit.

श्री स० मो० बनर्जी : यह समिति सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं पर विचार करने वाली है। क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल उन्हीं के बच्चों को शिक्षा भत्ता दिया जायेगा जिनके बच्चे अपने मां-बाप से १० मील दूर रहते हैं और यदि हां, तो क्या यह समिति इस असंगत स्थिति को दूर करने के लिए कोई निश्चय करने जा रही है, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वेतन आयोग की सिफारिशों में इस त्रुटि की ओर मेरा ध्यान दिलाने के लिए मैं उनका आभारी हूं। इसकी भी जांच की जायेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को रहने की सुविधा देने के प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: यह कार्यवाही के लिए सुझाव है और उस पर विचार किया जायगा ।

भारत-नेपाल नदी घाटी परियोजनायें

\+

*७६५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह फरवरी १९६४ के अन्तिम सप्ताह में भारत-नेपाल नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिये नेपाल गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने नेपाल सरकार से किन विशिष्ट मामलों पर बातचीत की थी तथा उसके क्या परिणाम निकले?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कू० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न के बारे में चर्चा हुई थी:

(१) गंडक परियोजना तथा नेपाल में नेपाल बांध के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि देना ।

(२) गंडक करार में छोटा संशोधन, और

(३) नेपाल में कोसी नहर बांध के लिए भूमि देना ।

महामहिम सरकार ने गंडक परियोजनाओं के लिये तुरंत भूमि देना स्वीकार कर लिया है ।

गंडक करार के प्रारूप में छोटे संशोधन करने के बारे में समझौता हो गया है ।

पश्चिम कोसी नहर के लिये भूमि देने के बारे में और आगे बातचीत करना स्वीकार कर लिया गया था ।

श्री विभूति मिश्र : गंडक करार में क्या छोटे संशोधन हुए?

डा० कु० ल० राव : वे तकनीकी हैं । इनमें से एक नहर के लिये नेपाल सरकार को चालन सुविधा देने के बारे में है । इसके अधीन नेपाल सरकार को डोन ब्रान्च नहर के लिये बहुत धन देना है । इसी प्रकार के दो अन्य तकनीकी संशोधन हैं ।

श्री विभूति मिश्र : गंडक परियोजना को शीघ्र पूरा करने में इस करार से कहां तक सहायता मिलेगी?

डा० कु० ल० राव : मेरा निवेदन है कि नेपाल बांध का काम जो वर्षों से रुका पड़ा था इसी आधार पर आरंभ किया गया है ।

श्री श्रीनारायण दास : पश्चिम कोसी नहर के बारे में नेपाल सरकार ने क्या कठिनाइयां बताई थी और अग्रेतर चर्चा के लिए क्या कोई तिथि निश्चित की गई थी ?

डा० कु० ल० राव: महामहिम सरकार ने यह कहा था कि सरकारी क्षेत्र, जिसमें से नहर गजरती हैं, की जनता को कुछ सुविधायें दी जानी चाहिए जिससे उनको होने वाली कठिनाइयां उनको महसूस न हो सकें। बातचीत के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्री क० ग० तिवारी : नेपाल सरकार को बिजली और पानी के मामले में क्या सहायता दी गई है ?

डा० कु० ल० राव : गंडक परियोजना में बिजली घर भारत सरकार बनायेगी और जब नेपाल सरकार १० मैगावाट की बिजली का उत्पादन कर लेगी तब भारत को वापस मिल जायेगा। कोसी परियोजना में बिजली आधे मूल्य पर हम दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ पांडेय: क्या वर्षा ऋतु से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

डा० कु० ल० राव: मैं ऐसी आशा करता हूं।

मकान मालिक सरकारी कर्मचारी

*७६७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली में अपनें मकान हैं, उनको सरकारी क्वार्टरों का आवंटन नहीं किया जायेगा;

(ख) ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनके दिल्ली में मकान होने पर भी वे सरकारी क्वार्टरों में रह रहेहैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों में रहने देने की अनुमति देने के क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। यदि किसी अधिकारी को क्वार्टर दे दिया गया तो उसको गैर सरकारी मान लिया जाता है तथा उससे बाजार किराया लिया जाता है।

(ख) लगभग ३४० जहां तक सामान्य मूल्यंकानों का संबंध है।

(ग) ये आवंटन बहुत पहले किए गए थे और प्रत्येक मामले में आवंटन कारणों को बताना कठिन होगा ? परन्तु प्रत्येक मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

श्री रिशांग किशिंग : दिल्ली में जिन सरकारी कर्मचारियों के मकान हैं क्या वह किन शर्तों पर सरकारी क्वार्टरों में रह सकते हैं और अपने मकानों को किराये पर दे सकते हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : दिल्ली में बहुत से सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान हैं परन्तु सरकारी क्वाटरों में रह रहे हैं। इसलिये हमने समस्या को दो भागों में बांट दिया है। (१) वह लोग जो सरकारी क्वाटरों में रहते हैं परन्तु स्वयं मकान मालिक है। (२) वह लोग जो मकान मालिक हैं परन्तु क्वार्टर लेना चाहते हैं। इसकी दूसरी श्रेणी के लोगों के बारे में बता चुका हूं कि यदि कोई मकान मालिक क्वार्टर लेना चाहता है तो उसको हम गैर सरकारी व्यक्ति मानते हैं और पूरा बाजार किराया लेते हैं। पहले मामलों पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

साहू जैन समवाय समूह के कृत्यों की जांच

*७६१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साहू जैन समवाय समूह के कृत्यों की जांच के लिये नियुक्त निरीक्षक ने सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) निरीक्षक ने अब तक कोई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Land Fok Girls School near Cinema House

*763. { **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Kishan Patnayak :

Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased tost ate :

(*a*) whether it is a fact that land has been allotted for Jain Girls Schoo building at a distance of only 30 feet across the road facing Eros Cinema in New Delhi.

(*b*) if so, whether his Ministry have received any representations from the residents to the effect that it is not proper to locate a Girls School in front of cinema house; and

(*c*) if so, whether Government are contemplating to allot some other land for the school ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) दिल्ली विकास अस्थाई प्राधिकार तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा १९५७ में जंगपुरा कालोनी का नक्शा स्वीकार कर लिया गया था जिसमें प्राइमरी स्कूल के लिए स्थान इरोज़ सिनेमा के निकट दिया गया था। आवेदन पर स्थान जैन शिक्षा समाज को आवटित कर दिया गया था।

(ख) जी हां। वहां के रहने वाले कुछ निवासियों से।

(ग) लगभग दो वर्ष पूर्व किए गए आवंटन को रद्द करना उचित नहीं समझा जाता।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति

*७६८. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ही० न० मुकर्जी :
श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य जाने वाले रास्ते में राजपुर के मार्गवर्ती शिविर, माना में पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं ;

(ख) पूर्व पाकिस्तान में जनवरी में हुए दंगों के बाद पश्चिम बंगाल से अब तक कितने ऐसे लोग आये हैं ;

(ग) क्या कृषि योग्य बनाई गई भूमि अब आप्रव्रजकों को बसाने के लिये तैयार है ; और

(घ) उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सरकारों ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को भूमि देने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी हां। २० मार्च, १९६४ को माना शिविर में ६५३९ परिवार पहुंचे जिनमें २७,३८८ व्यक्ति थे।

(ग) जिस भूमि में कृष्यकरण कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है वह इतनी ही नहीं है कि पुराने शरणार्थियों तथा आदिम जाति के लोगों को दी जा सके।

(घ) मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों को कहा गया है कि नये शरणार्थीयों के लिये दण्डकारण्य विकास अधिकारी को कृष्यकरण के लिए अतिरिक्त भूमि दी जाये। आशा है कि ऐसा कर सकेंगे।

मूल्यों के विनियंत्रण का प्रभाव

*८७६९. श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री प्र चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श० न० चतुर्वेदी :
श्री मणियंगाडन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, १९६३ में किए गए १६ वस्तुओं के मूल्यों के **विनियंत्रण** के पुरन्त प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) अधिकांश वस्तुओं के कारखाना मूल्य निश्चित किए गए थे तथा थोक अथवा खुदरा मूल्यों पर कोई नियत्रण नहीं था। विनियंत्रण के बाद कुछ वस्तुओं के कारखाना मूल्य बढ़ गये और कुछ वस्तुओं के बाजार भाव भी बढ़ गये। टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य ६ प्रतिशत तथा कास्टिक सोडे के १० प्रतिशत बढ़ गए हैं। रेयन यार्न के ३.७ प्रतिशत तथा कपड़ा धोने के साबुन के कुछ मूल्य बढ़ गये हैं। कुछ स्थानों पर सोडा ऐश के मूल्य ६ प्रतिशत बढ़े हैं। अन्य वस्तुओं जैसे स्टेपल फाइबर और शीट ग्लास के मूल्य या तो बढ़े ही नहीं हैं अथवा कुछ कम हो गये हैं।

हृदय और स्नायु शल्य चिकित्सा

*७७०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों में किन देशों ने हृदय और स्नायु-शल्य चिकित्सा में अत्यधिक प्रगति की है ;

(ख) क्या सरकार ने उन देशों के साथ सहयोग का कोई तरीका निकाला है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विश्व के विभिन्न भागों के बहुत से केन्द्रों में हृदय और स्नायु-शल्य चिकित्सा में पर्याप्त प्रगति हो गई है। बहुत से केन्द्र विभिन्न विश्व-विद्यालयों तथा/अथवा अस्पतालों से संबद्ध हैं। हृदय और स्नायु-शल्य चिकित्सा अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, नार्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, इटली, स्विटजरलैंड, जर्मनी, पोलैन्ड, फ्रान्स, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड देशों में की जा रही है।

(ख) और (ग). विदेशों में उपरोक्त दोनों प्रकार की शल्य चिकित्सा के नवीनतम विकास की जानकारी के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारें यूरोप के विभिन्न देशों को उपयुक्त डाक्टरों को भेज रही है और प्रसिद्ध हृदय और स्नायु शल्य चिकित्सकों को भारत बुला रही है जिससे वह यहां पर डाक्टरों को सिखा सकें।

विद्युत परियोजनायें

*७७१. श्री महेश्वर नायक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कोल्ला वैकैया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विद्युत परियोजनायें जो शुरू में चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की जानी थी, योजना आयोग द्वारा, प्राथमिकता के आधार पर चालू योजना में क्रियान्वित के लिये मंजूर कर ली गई हैं ;

(ख) ऐसी परियोजनायें कितनी हैं तथा उनकी स्थापित क्षमता क्या होगी और प्रत्येक पर अनुमानत: कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) ये कहां कहां पर स्थापित होंगी तथा इनके कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--२५९०/६४**]।

बैंक ऋण

*७७२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने हाल में ही इन वस्तुओं पर दिये जाने वाले ऋणों का विनियमन करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) किन वस्तुओं पर दिये जाने वाले ऋणों का विनियमन किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) रिजर्व बैंक के हाल के निदेशों के अधीन धान और चावल पर अनुसूचित बैंकों द्वारा दी जाने वाली पेशगी की अधिकतम सीमा और प्रतिबन्धित कर दी गई है। १ मई,

१९६४ से मूंगफली पर पेशगी की सीमा कम की जा रही है और अन्य खाद्यान्नों (गेहूं के अतिरिक्त) की सीमा वही रखी जा रही है। चीनी और तिलहन, मूंगफली के अतिरिक्त पर पेशगी अप्रैल, १९६३ तथा दिसम्बर, १९५९ में निर्धारित कर दी गई थी। बैंकों को परामर्श दिया गया है कि पेशगी की सीमा बनाये रखें।

(ग) यह निमेश धान और चावल, अन्य खाद्यान्नों (गेहूं के अतिरिक्त) मूंगफली तथा अन्य तिलहन (मूंगफली के अतिरिक्त) तथा चीनी पर लागू होते हैं।

संसद के लिए प्रेस

*७७३. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **निर्माण, आवस तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के लिये एक अलग प्रेस बनाने की परियोजना योजना के अनुसार प्रगति कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थिति में है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). रिंग रोड, नई दिल्ली में नया प्रेस बनाने के लिये १४६ लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। ब्योरेवार आयोजन तथा प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य अगले कुछ वर्षों में आरम्भ होने की संभावना है।

क्योंकि छपाई का काम बहुत बढ़ गया है अतः मिन्टो रोड प्रेस को बन्द करने का विचार नहीं है। जब रिंग रोड प्रेस काम करना शुरू कर देगी तब संसद कार्य का वितरण इस प्रेस और मिन्टो रोड प्रेस में कर दिया जायेगा।

उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य

१५४३. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में राज्य में स्थानीय विकास कार्यों के लिये उड़ीसा को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) १९६४-६५ के लिये उड़ीसा को उक्त प्रयोजनों के लिये कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन्): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में स्थानीय विकास कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार को २२.९०५ लाख रु० का केन्द्रीय अनुदान दिया गया है।

(ख) १९६४-६५ के स्थानीय विकास कार्यों के लिये निधियों के राज्य-वार आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है।

उड़ीसा में बिजली का उत्पादन

१५४४. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की बिजली उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ख) क्या उस राज्य में १९६४-६५ में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) २८७,४६० किलोवाट ।

(ख) और (ग) १९६४-६५ में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा नहीं है। तथापि १९६५-६६ में तालचेर तापीय विद्युत केन्द्र (थर्मल स्टेशन) से १८७,५०० किलोवाट बिजली प्राप्त होने की आशा है।

दण्डकारण्य के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच

१५४५. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा दंडकारण्य परियोजना के पदाधिकारियों के विरुद्ध कितनी जांचें की गई ; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है और दण्ड दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्लेमेला बांध

१५४६. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के कोरापेट जिले में बल्लेमेला बांध परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरे होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 'सर्ज टैंक' के स्थान पर और सुरंग के लिये छिद्रण कार्य पूरा हो गया है और 'हैड वर्क', 'पेन-स्टाक अलाइनमेंट' और 'टेल-रेस' के लिये स्थान साफ करने का काम भी पूरा हो गया है। ३ करोड़ रुपये के मूल्य की निर्माण-मशीनें प्राप्त की जा रही हैं। विद्युत संयंत्र और उपकरण के लिये एक रूसी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रथम यूनिट में वर्ष १९६९-७० में वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन होने की आशा है जब कि पूरी परियोजना के पांचवीं योजनावधि के आरम्भ में पूरे हो जाने की आशा है।

बांधों के निर्माण के लिये ऋण

१५४७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को बांधों के निर्माण के लिये जो ऋण दिये गये थे उन में से कितने अभी तक लौटाये नहीं गये हैं ;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने समय-सीमा को बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

१५४८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का मध्यम आय वर्गों के लिये गृह-निर्माण संबंधी सस्ता सामान बनाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : इस फैक्टरी का गृह-निर्माण सामान तैयार करने के लिये एक पूर्व निर्माण संयत्र (प्रीफैब्रिकेशन प्लान्ट) स्थापित करने का विचार है जिससे इमारतों के निर्माण पर कम खर्चा आयेगा और इमारतें शीघ्र बनाई जा सकेंगी ।

सालंदी बांध परियोजना

१५४९. **श्री गो० महन्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सालंदी बांध परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है :

(ख) क्या पुरानी परियोजना को नया रूप देने की कोई योजना है; और

(ग) इस का निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) १९६७-६८ तक ।

(ख) यह परियोजना १९६३ में दुबारा बनाई गयी थी तथा योजना आयोग द्वारा पुनरीक्षित परियोजना जनवरी, १९६४ में स्वीकार की गई थी ।

(ग) बांध पिक-अप गैरेज और नहरों के निर्माण का कार्य चल रहा है । बांध में नींव की खुदाई सम्बन्धी लगभग ५० प्रतिशत काम, राजगिरी का ५ प्रतिशत काम, नहर में मिट्टी का लगभग २० प्रतिशत काम और पिक-अप बैरेज में नींव की खुदाई का लगभग २५ प्रतिशत काम दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक पूरा हो गया था ।

दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक १७८·१ लाख रुपये व्यय हुए हैं ।

Irrigation and Flood Control Schemes

1550. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the irrigation and flood control schemes relating to the State of Bihar which were sanctioned for implementation during the Third Plan period have been held up due to lack of Central financial assistance ; and

(b) if so, the steps being taken to meet this financial crisis ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Government are giving specific loans for Kosi, Gandak and approved flood control schemes. Work on these schemes is in progress. However, to speed up the progress, the question of giving accelerated financial assistance is under active consideration.

The other irrigation schemes are being financed by the State Government either from their own resources or from the loans given to them on lump sum basis for Miscellaneous Development Schemes. Phasing of expenditure from lump sum loans meant for Miscellaneous Development Schemes is left to the State Government and can be done by them in such a manner as not to deprive any important scheme from its due share. The question of hold-up of these schemes due to lack of Central assistance, therefore, does not arise.

(b) Does not arise.

विद्युत् बोर्ड

१५५१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारिक आधार पर चलाये जाने वाले विद्युत् बोर्डों के नाम क्या हैं और समस्त बोर्डों को व्यापारिक आधार पर चलाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में यदि कोई सलाह दी है तो वह क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ की धारा ५ के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य विद्युत् बोर्डों का सामान्य कर्तव्य यह है कि वे विद्युत-जनन के समन्वित विकास को बढ़ावा दें और अपने अपने राज्य में अधिक कुशलता और मितव्ययता के साथ बिजली का संभरण तथा वितरण करें और ऐसा करते समय उन क्षेत्रों के विकास कार्यों का विशेष ध्यान रखें जहां इस समय उपर्युक्त अधिनियम की धारा १८ में परिभाषित किसी लाइसेंसधारी द्वारा बिजली नहीं दी रही है या पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही है। इस तरह बोर्डों ने ऐसे क्षेत्रों को भी बिजली का संभरण करना है जो आरम्भ में लाभ पहुंचाने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर अधिनियम की धारा ५९ में उपबन्ध है कि जहां तक व्यवहार्य हो तथा धारा ६३ के अन्तर्गत राज्य सरकारों से कोई अर्थ सहायता लेने के पश्चात् ये बोर्ड अधिनियम के अधीन अपना कार्यसंचालन घाटे पर नहीं करेंगे और तदनुसार समय समय पर अपने शुल्क में परिवर्तन करेंगे । तथापि, १९६१-६२ में विभिन्न बोर्डों की आय सामान्यत: बहुत कम थी। १९६१-६२ के लिये विभिन्न बोर्डों के

वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५९१ / ६४] इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) योजना आयोग ने विद्युत् उपक्रमों की मूल्य नीति की जांच करने तथा इस बारे में सिफारिशें करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया है जिस में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा कुछेक प्रमुख राज्य विद्युत् बोर्डों के प्रतिनिधि हैं। दल के प्रतिवेदन के अप्रैल, १९६४ तक आने की संभावना है।

(२) विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों के वित्तीय कार्यकरण की जांच करने तथा बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपायों की सिफारिश करने के लिए राज्य मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है जिसके नियोजक मद्रास के उद्योग मंत्री श्री आर० वेंकटारमन् हैं। समिति के प्रतिवेदन के अक्तूबर, १९६४ तक आने की संभावना है।

(ख) इस बारे में इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कोई परामर्श नहीं दिया है।

शाहजहां रोड, नई दिल्ली के फ्लैट

१५५२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग भवन, शाहजहां रोड, नई दिल्ली के सामने बनाये गये किन्हीं फ्लैटों को इस बीच उपयुक्त श्रेणी के कर्मचारियों को दे दिया गया है और यदि हां, तो कितने फ्लैटों को; और

(ख) निर्माण कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है और क्या पूरे किये गये फ्लैटों में जल तथा बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है और यदि हां, तो कितनों में ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) श्रेणी ५ के ८, श्रेणी ६ के ३२ तथा श्रेणी ७ के ३ फ्लैट इस बीच पूरे किये जा चुके हैं और हकदार अधिकारियों को दे दिये गये हैं। इन फ्लैटों में जल, विद्युत् तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। श्रेणी ५ के शेष ३६ फ्लैटों तथा श्रेणी ७ के १९ फ्लैटों का निर्माण कार्य जारी है। ये इस वर्ष अक्तूबर तक पात्र अधिकारियों को दे दिये जायेंगे।

Medical Examination for Central Government Servants.

1553. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) the number of Government servants who applied to the Director General of Health Services for medical examination in 1962 and 1963 and the number of those who were examined and the number outstanding ;

(*b*) the number of persons called for medical examination every day ; and

(*c*) whether it is a fact that an employee gets his turn in six months time and if so the steps being taken to improve matters;

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (*a*) 2,417 Government servants applied for medical check-up at the Health Clinic in 1962. All of them have been examined. In 1963, out of 1,246 persons who applied for a check-up, 680 were examined and 566 are yet to be examined.

(*b*) The daily average of Government servants called for a check-up was 22 during 1962 and 25 during 1963(inclusive of recheck and those compulsorily checked up proior to the issue of entitlement cards).

(*c*) This is not a fact and the Director is being instructed to take steps to clear the backlog of those who have asked for a check up.

बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिये आवश्यक बिजली

१५५४. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे से रेलगाड़ियां चलाने के लिये प्रयोग की जा रही बिजली पर शुल्क की दरें समान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे को रेलगाड़ियां चलाने के लिये विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों, दामोदर घाटी निगम आदि द्वारा बिजली दी जाती है और इन में से प्रत्येक निकाय के बिजली संभरण के विभिन्न दर हैं। तथापि रेलवे बोर्ड के कहने पर इस विषय पर बातचीत की जा रही है और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकले हैं ।

बिहार में बिजली का उत्पादन

१५५५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र से बिजली के उत्पादन के उचित विकास के लिये उस राज्य में कोयले की कीमत कम करने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में बिजली घरों से कोयले का ४७ रु० प्रति टन के हिसाब से मूल्य वसूल किया जाता है जब कि अन्य राज्यों के बिजली घरों से १५ रु० प्रति टन मूल्य वसूल किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली की अधिक दरों के कारणों पर ध्यान दिया है क्योंकि विशेषकर औद्योगिक प्रयोग के लिये अधिक दरों पर बिजली के दिये जाने से उद्योग नहीं पनप सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में कोयले की कीमत में जो अन्तर है उसे दूर किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (घ). कोयला खानों द्वारा सब उपभोक्ताओं को, जिनमें बिहार अथवा अन्य राज्यों के बिजलीघर भी शामिल हैं, कोयला कंट्रोल दर पर दिया जाता है। बिजली घरों पर दिए जाने वाले कोयले की लागत में कोयला खानों से ढुलाई की लागत शामिल होगी जो अन्य बातों के साथ साथ दूरी तथा परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्तर बिहार में बरौनी तापीय विद्युत् केन्द्र (थर्मल स्टेशन) पर कोयले की संभरण लागत ३४.५० रु० प्रति टन है। दक्षिण बिहार में पथराटू तापीय विद्युत् केन्द्र (थर्मल स्टेशन) पर, जिसका निर्माण किया जा रहा है, कोयले की संभरण लागत २४ रु० प्रति टन होगी ।

(ग) बिहार में बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिये राज्य विद्युत् बोर्ड उत्तरदायी है जो कि विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। अन्य बातों के साथ साथ यह बोर्ड राज्य में सुचारु रूप से बिजली के उत्पादन, संभरण तथा वितरण के समन्वित विकास को प्रोत्साहन देने के लिये उत्तरदायी है। यह बोर्ड उस क्षेत्र में जहां कोई लाइसेंसधारी नहीं है ऐसे विकास की ओर विशेष ध्यान देगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बोर्ड का एक मुख्य कर्तव्य यह होगा कि वह अल्प विकसित क्षेत्रों को, जो कि प्रारम्भ में अधिकांशतया लाभप्रद नहीं होते हैं, बिजली का संभरण करे। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड को अपना कार्य इस प्रकार करना है कि इसे हानि न हो और इस उद्देश्य के लिये इसे समय समय पर अपने संभरण मूल्यों में समायोजन करना होता है ।

बोर्ड ने उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार में बिजली के संभरण के लिये विभिन्न प्रशुल्क निर्धारित किए हैं। दक्षिण बिहार में संभरण दरों की प्रदेश के अन्य स्थानों में विद्यमान दरों से तुलना की जा सकती है । उत्तर बिहार में इक्के दुक्के डीजल पम्पों से उत्पन्न की जाने वाली बिजली का संभरण किया जाता है जिसकी उत्पादन लागत अधिक है। उत्तर बिहार में उत्पादन तथा संभरण दरों के अधिक होने का यही कारण है और कीयले की अधिक कीमतें इसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं। उत्तर बिहार में परौनी तापीय विद्युत् केन्द्र (थर्मल स्टेशन) के प्रथम दो एककों के चालू होने से राज्य प्राधिकारों ने उन क्षेत्रों में जिनको इस केन्द्र से बिजली का संभरण किया जायगा प्रशुल्क दरों को कम करने का निर्णय किया है। १-४-६४ से इन क्षेत्रों में प्रशुल्क वही होगा जो दक्षिण बिहार में है ।

पौन्टा और ताजवाला के बीच बांध

१५५६. श्री दे० द० पुरी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी के जल का सिंचाई और विद्युत् उत्पादन में प्रयोग करने के लिये पौन्टा और ताजेवाला के बीच एक बांध बनाने के प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पौन्टा और ताजेवाला के बीच यमुना नदी पर कोच बांध परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव ७ नवम्बर १९६३ को हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में हुए निर्णय के अनुसार आस्थगित कर दिया गया है।

खड़गवासला बांध

१५५७. **श्री नाथपाई :**
श्री जेधे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खड़गवासला बांध के पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). बांध की मरम्मत के प्रस्तावों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की राय मांगने के अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता की प्रार्थना नहीं की है ।

मेडिकल कालेज

१५५८. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्हता-प्राप्त और अनुभवी गैर-सरकारी डाक्टरों को, मडिकल कालेजों में अंश-कालिक अध्यापकों के रूप में, सेवाओं का उपयोग करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या वर्ष १९६४-६५ में इस प्रयोजन के लिये कोई वित्तीय व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह धन राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गैर-सरकारी डाक्टरों को अंश-कालिक अध्यापकों के रूप में नियुक्त करने की कोई योजना नहीं है । नीति यह है कि कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किया जाये । फिर भी कुछ कालेजों में पूर्णकालिक अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये कुछ उपयुक्त गैर-सरकारी डाक्टरों को अंशकालिक या मानसेवी आधार पर नियोजित किया जाता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Contraband gold recovered at Dum Dum Air port

1559. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the custom authorities at Dum Dum Air Port, Calcutta recovered 34 Kilos of contraband gold valued at about Rupees eight lakhs from a German passenger in the first week of December, 1963; and

(*b*) if so, the action being taken by Government in this connection ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (*a*) The Calcutta Customs authorities recovered 34 kilograms of gold valued at about Rs. 1·8 lakhs (at the international rate) from a German passenger at the Dum Dum Air Port on the 5th December, 1963.

(*b*) The seized gold has since been confiscated, and a personal penalty of Rs. 5,000 has been imposed on the passenger. He is also being prosecuted in a Court of Law.

Contraband Ganja

1560. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that there was exchange of fire for some time between the Police and Ganja smugglers on the 3rd December, 1963 in Dharhaniyan village in Chauthan P.S. near Khajaria in Bihar and the Police seized 84 bags of contraband Ganja; and

(*b*) if so, the action being taken by Government in this connection?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The case is under investigation by the State Police (Excise). 8 persons have been arrested and 2543·00 kgms. of non-duty paid Ganja has been seized.

नये तापीय बिजलीघर

१५६१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल और बिहार क्षेत्र में कोयला खानों के समीप बड़े तापीय बिजली घरों की श्रंखला स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन बिजली घरों पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी और उसी के हाथ में इनका प्रबन्ध भी रहेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र में निम्नलिखित बड़े तापीय बिजली घर पहिले से ही हैं :—

बोकारो (दामोदर घाटी निगम) . . .	२५५ मेगावाट
दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) . . .	१६५ मेगावाट
दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) . . .	६० मेगावाट

इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्षेत्र में निम्नलिखित नए तापीय बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है :

चन्द्रपुर (दामोदर घाटी निगम) . . .	४२० मेगावाट
पथरातु (बिहार)	४०० मेगावाट

और मौजूदा बिजली घरों में निम्नलिखित विस्तार-कार्य चल रहा है :

दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) . .	१४० मेगावाट
दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) . . .	३७५ मेगावाट

(ख) इन बिजली घरों के निर्माण पर दामोदर घाटी निगम अथवा संबंधित राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा धन लगाया जा रहा है और इनका प्रबन्ध भी वही चला रहे हैं। जहां तक दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों का सम्बन्ध है, केन्द्र द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अनुसार, उनकी पूंजी लागत का एक तिहाई भाग वहन किया जाता है।

पश्चिम बंगाल की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता

१५६२. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में पश्चिम बंगाल की बिजली सम्बन्धी कुल मांग कितनी होगी और इसमें से दामोदर घाटी निगम से ऐसी कितनी बिजली दी जायेगी जो अधिनियम के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम को देनी चाहिये ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में (दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र को छोड़कर) चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान स्वीकृत क्षमता की तुलना में बिजली की कितनी कमी होने की संभावना है और इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५९२ / ६४]

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से सहायता

१५६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने भारत को दीर्घकालीन सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सहायता को स्वीकार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी हां, उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वे उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में बातचीत करना चाहते हैं जिनके लिये दीर्घकालीन सहायता की आवश्यकता है। यह मामला विचाराधीन है।

श्री सैलम जल-विद्युत् परियोजना

१५६४. **श्री स० ब० पाटिल :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री सैलम जल-विद्युत परियोजना में कितनी मात्रा में बिजली पैदा की जायगी ;

(ख) अन्य प्रयोजनों के लिये कितना पानी दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार इस योजना से सहमत नहीं हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) श्री सैलम से छोड़े जाने वाले पानी के आधार पर, जो १८० टी०एम०सी० फीट तक सीमित है, 'लोड' के ६० प्रतिशत की दर के हिसाब से २२४,००० किलोवाट ।

(ख) इस समय और पानी छोड़े जाने की आशा नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उन्होंने १८० टी०एम०सी० फीट पानी छोड़े जाने के आधार पर आपत्ति प्रकट की है। वे यह भी चाहते हैं कि गोदावरी सम्पर्क सम्बन्धी जांच पूरी होने और अन्तिम रूप से आवंटन किए जाने तक श्री सैलम के बारे में निर्णय लम्बित रहे ।

Nurses in Irwin Hospital, New Delhi

1565. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether her attention has been drawn to the news item in the "Indian Obeserver" dated the 21st February, 1964 published from Delhi regarding Nurses in Irwin Hospital ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). The statements are vague and do not even refer specifically to the Irwin Hospital. As far as Government is aware there is no situation of the type in either of the institutions mentioned which would justify a general enquiry ;

जामा मस्जिद

१५६६. **श्री राम हरख यादव :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जामा मस्जिद को नया रूप दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य पर लगभग कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). जामा मस्जिद के चारों ओर के क्षेत्र का पुनर्विकास किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत तीन परियोजनायें हैं, अर्थात् :—

जामा मस्जिद के चारों ओर के क्षेत्र का पुनर्विकास—अनुमानित लागत ४.३६ लाख रुपये

इस परियोजना का उद्देश्य जामा मस्जिद के पूर्व की ओर के क्षेत्र में एक बाजार[1] बनाना है जिसमें दुकानें भूमि के नीचे की मंजिल (तहखाने) में होंगी । उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में रमणीयता

[1]Piazza.

के लिये वृक्ष लगाये जायेंगे। उस क्षेत्र में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की जायेगी। जामा मस्जिद में तेज प्रकाश वाली बत्तियां लगाई जायेंगी और सड़कों पर भी प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।

(२) भूमि के नीचे की मंजिल (तहखानों) में दुकानों का निर्माण--

अनुमानित लागत ७.२८ लाख रुपये

इस परियोजना का उद्देश्य जामा मस्जिद के चारों ओर गंदी और कच्ची बनी हुई दुकानों को हटाना और इन दुकानों के मालिकों को भूमि के नीचे की मंजिल (तहखाने) में बनाई गई ७३ दुकानों में बसाना है। प्रत्येक दुकान का फर्श क्षेत्रफल १३९ वर्ग फुट होगा।

(३) जामा मस्जिद के पूर्व की ओर के क्षेत्र का नव-निर्माण --

अनुमानित लागत--९.७४ लाख रुपये

जामा मस्जिद के महत्व को बनाये रखने के लिए जामा मस्जिद के पूर्व की ओर के क्षेत्र का नव-निर्माण करने तथा वहां एक 'पार्क' बनाने का प्रस्ताव है। कारों और मोटर गाड़ियों के खड़े करने के लिए भी दो स्थान बनाये जायेंगे। बगीचों' पैदल-पथ, नहरों और झरनों, प्रतिफलक तालाब आदि के अतिरिक्त खजूर और अन्य सजावटी वृक्ष तथा बाल वृक्ष भी लगाये जायेंगे। झरनों के लिए पानी में बिजली लगाये जाने का भी प्रस्ताव है।

Staff Cars

1567. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government officials are permitted to use staff cars for official work ;

(b) if so, whether they are entitled to allowances during such tours ;

(c) whether it is a fact that a Government official gets double the daily allowance when he remains out of office for more than six hours even while using staff car ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) **Yes**, Sir.

(b) and (c). They are entitled to *half* daily allowance for journeys beyond 8 kilometres from the headquarters if the absence from headquarters exceeds 6 hours but does not exceed 12 hours.

(d) This does not arise.

Water Supply in Bombay

1568. Shri Baswant : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have studied several schemes submitted for augmentation of water supply in Bombay ;

(b) which scheme has been given priority ; and

(c) the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) No, Sir. In fact, no formal and finalised proposal has been received officially from the Government of Maharashtra.

(b) and (c). Do not arise.

राजस्थान में ग्रामीण जल संभरण

१५६९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६४–६५ में राजस्थान के लिए ग्रामीण जल संभरण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय के सुझाव पर यह राशि १ करोड़ रुपये से घटा कर २० लाख रुपये कर दी गई है ; और

(ग) इस कटौती को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने वर्ष १९६४–६५ के लिए ग्रामीण जल संभरण के लिए, राज्य योजना के अन्तर्गत ३३ लाख रुपये की व्यवस्था की थी। कार्यकारी दल ने इस प्रयोजन के लिये १ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए निर्धारित की गई वास्तविक राशि के बारे में नहीं बताया है।

संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि

१५७०. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के निदेशक ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारत में किन-किन स्थानों का दौरा किया और उनकी यात्रा के दौरान किन-किन विशेष मामलों पर उनके साथ बातचीत की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के संचालन विभाग के निदेशक श्री मादर कोहेन २८ फरवरी, १९६४ से ११ मार्च, १९६४ तक भारत में रहे। उनका कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता बोर्ड के रेजीडेन्ट प्रतिनिधि ने तैयार किया था, जिसमें विशेष निधि द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति देखने के उद्देश्य से कलकत्ता, बम्बई और पूना का दौरा भी शामिल था। उन्होंने नई दिल्ली में संबंधित

मंत्रालयों के अधिकारियों से विशेष निधि की सहायता से चलायी जा रही परियोजनाओं और भविष्य में विशेष निधि की सहायता से चालू की जाने वाली परियोजनाओं के विषय में भी बातचीत की थी। बातचीत साधारण तथा जांच पड़ताल सम्बंधी रही।

दिल्ली में स्वर्णकारों को पुनः रोजगार से लगाया जाना

१५७१. **श्री राम हरख यादव :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्वर्णकारों को पुनः रोजगार से लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या ये सुविधायें देश के अन्य भागों में सब स्वर्णकारों को उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(१) मान्यता प्राप्त बेसिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों को दाखिला और निःशुल्क शिक्षा देने के मामलों मे विशेष रियायत दी जाती है।

(२) विस्थापित स्वर्णकारों के प्रशिक्षण के लिए पोलीटेकनिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। उन्हें छात्रवृति भी दी जायेगी।

(३) विस्थापित स्वर्णकारों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता तथा आयु संबंधी छूट दी गई है।

(४) विस्थापित स्वर्णकारों को कोई उद्योग चलाने तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए ऋण के रूप में सहायता की व्यवस्था की गई है।

(ख) देश के दूसरे भागों में साधारणतः इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से इसी प्रकार की योजनायें बनाने को कहा है। फिर भी योजना का ब्योरा तैयार करना राज्य सरकारों और प्रशासनों पर छोड़ दिया है।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों की सफाई

१५७२. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में वर्ष १९६३-६४ में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : २ लाख रुपये—१.५० लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के तौर पर और ५० हजार रुपये राजस्थान सरकार ने दिये हैं।

मकान-निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र

१५७३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६४ को राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान-निर्माण ऋणों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) सरकार ने कितने आवेदनपत्र स्वीकार किये हैं ; और

(ग) ३१ जनवरी, १९६४ तक राजस्थान के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितना ऋण मंजूर किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ६६

(ख) ४७

(ग) ४.४३ लाख रुपये ।

अल्प बचत प्रमाण पत्र

१५७४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मई से दिसम्बर, १९६३ तक की अवधि में अल्प बचत प्रमाण-पत्रों के जरिये कितनी रकम एकत्र की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : लगभग १.६७ करोड़ रुपये ।

नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

१५७५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि शहर के बीचों-बीच बसे सभी क्षेत्रों, जैसे गोल मार्कीट, आराम बाग, चित्रगुप्त रोड, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में अनेक सरकारी क्वार्टरों में वे सरकारी कर्मचारी रहते हैं जो वास्तव में काफी उच्च श्रेणी के आवास के पात्र हैं ;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि उन पदाधिकारियों ने, जब कि उनको अपनी श्रेणी का क्वार्टर अन्यत्र आवंटित किया गया, इन क्वार्टरों को खाली करने से इन्कार कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आवंटन के नियमों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन पदाधिकारियों को वहां से निकाला जा सके और कम आय-वाले सरकारी कर्मचारियों को होने वाली परेशानी दूर की जाये जो अपने कार्यालय के पास अपनी श्रेणी के मकान के आवंटित किये जाने से वंचित हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). सरकारी पदाधिकारी को आवंटन के समय उसके वेतन के आधार पर आवंटन नियमों के अन्तर्गत मकान आवंटित किया जाता है। सामान्य पूल में मकानों की भारी कमी होने के कारण ऐसा होता है कि समय बीतने पर जबकि सरकारी पदाधिकारी के वेतन में वृद्धि हो जाती है और वह बड़े मकान के लिये हकदार हो जाता है, उसको बड़े मकान के आवंटन में अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इतने समय में वह पहले मकान में ही रहता है। १५ मई, १९६३ से लागू किये गये पुनरीक्षित आवंटन नियमों के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि जब कोई पदाधिकारी बड़े मकान का उस को आवंटन किये जाने पर उसे लेने से इन्कार कर देता है तो उसको उस बड़े मकान के लिये या जिस मकान में वह रहता है उसके लिये किराया, दोनों में से जो भी अधिक हो, देना पड़ता है और ६ महीनों तक उसको नया आवंटन नहीं किया जाता।

रामकृष्ण पुरम में दुकानें

१५७६. **श्री रा० बरूआ :**
श्री कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हकदार पटरी पर बैठने वालों के वैध दावों की उपेक्षा की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) रामकृष्णपुरम में दुकानों का आवंटन विभिन्न व्यापारियों के संतुलित प्रतिनिधान को ध्यान में रख कर और 'अलाटी' की क्षमता देखते हुए किया गया है।

(ख) यदि कोई हकदार पटरी वाला उपरोक्त बातें पूरी करता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ उसके मामले पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तृतीय योजना का मध्यकालीन मूल्यांकन

१५७७. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **योजना** मंत्री तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्याकन के परिशिष्ट के पृष्ठ १७९ के सम्बंध में, जिसमें यह बताया गया है कि "विभिन्न राज्यों में अपेक्षतया कम विकसित क्षेत्रों में विशेष समस्यायें हैं और उनके स्थिर और समेकित रूप से विकास किये जाने की आवश्यकता है" यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कौन से क्षेत्रों को "अपेक्षतया कम विकसित क्षेत्रों" की श्रेणी में रखा जा रहा है ; और

(ख) इन क्षेत्रों के स्थिर और समेकित विकास के लिये किन साधनों को इकट्ठा किया जा रहा है और कितना उपबन्ध किया जा रहा है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) प्रादेशिक विकास के निर्देशकों के विषय पर योजना आयोग के ४ अगस्त, १९६२ के उत्तर में आसाम सरकार ने निम्नलिखित पिछड़े क्षेत्रों के बारे में बताया है :—

(१) खासी तथा जयन्तिया (२) गारो (३) मिकिर और (४) मिजो जिले के स्वायत्त पहाड़ी जिले ।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष १९६३–६६ में १५० लाख अतिरिक्त परिव्यय पर मिजो जिले के विकास के तेजी से चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का अनुमोदन किया । सड़क, जल-संभरण, शिक्षा, भू-संरक्षण आदि के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों को गतिमान किया जा रहा है ।

राज्य सरकार से अन्य पिछड़े क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रीसैलम और पोचमपाद परियोजनायें

१५७८. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में पोचमपाद और श्रीसैलम परियोजनाओं के लिये कोई ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(ग) इसकी क्या शर्तें हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नागार्जुन सागर बांध

१५७९. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर बांध के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुयी है;

(ख) क्या बांध और जल-विद्युत् बिजली घर का निर्माण वर्ष १९६६ तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) नागार्जुनसागर परियोजना के निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है; और

(घ) ब्याज की दर क्या है और यह किस तिथि से लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बांध के लिये राजगीरी और कंक्रीट के कुल काम का ६३ प्रतिशत किया गया है ।

(ख) यह आशा की जाती है कि एफ० आर० एल० (+) ५४६ तक बांध का निर्माण-वर्ष १९६७ में पूरा हो जायेगा । लेकिन जून १९६६ के सीज़न तक बांध उतनी ऊंचाई तक बनाया जायेगा जितनी कि नहर पद्धति से सिंचाई के विकास के लिये नहरों में जल छोड़े जाने के लिये पर्याप्त हो । जल-विद्युत् योजना का अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(ग) ६,८२१·२३ लाख रुपये।

(घ) २० दिसम्बर, १९६२ को और इसके बाद मंजूर किये गये ऋण के बारे में ब्याज की दर कार्य-व्यय पूरा करने के लिये ५¼ प्रतिशत प्रति वर्ष है जबकि इस तिथि से पूर्व मंजूर किये गये ऋण पर ब्याज की दर ४½ प्रतिशत प्रति वर्ष है। २५-६-१९६३ को ब्याज को भुगताने के लिये मंजूर किये गये ३,६४,२३,२४३ रुपये के ऋण पर ब्याज ४½ प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

ब्याज उस तिथि से लगाया जायेगा जिस तिथि को ऋण राज्य सरकार को दिया जायेगा।

Rural Water Supply in Maharashtra

1580. Shri Baswant : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the number of rural water supply schemes received from the State Government of Maharashtra during 1963-64 so far ; and

(b) the number of schemes approved so far ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Seven water supply schemes have been received for approval from the Government of Maharashtra during 1963-64 so far.

(b) Two.

नई दिल्ली में पंचकुई रोड पर क्वार्टर

१५८१. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचकुई रोड पर क्वार्टरों के पुनर्निर्माण के फलस्वरूप उनकी संख्या लगभग दुगुनी हो गयी है;

(ख) क्या गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुयी है जिसमें इन क्वार्टरों में से कुछ क्वार्टरों को प्रेस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटन के लिये प्रेस पूल में देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) पंचकुई रोड पर टाइप I के ६११ क्वार्टर गिराये गये और उनके स्थान पर ७२० क्वार्टर बनाये जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बकाया किराये की वसूली

१५८२. श्री हेमराज : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजसम्पत् निदेशालय ने सेवानिवृत्त पदाधिकारियों अथवा सेवा निवृत्त और मृत पदाधिकारियों के आश्रितों से बकाया किराये की वसूली के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) निदेशालय में ऐसे कितने मामले लम्बित हैं जहां वर्ष १९६३ से और इससे पहले छः वर्ष पहले तक का किराया बाकी है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). सरकारी पदाधिकारियों को आवंटित आवास के किराये उनके मासिक वेतन से ही वसूल कर लिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में, कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केवल एक सरकारी पदाधिकारी के मामले में उनकी सेवा में अन्तराय की अवधि के दौरान के लिये लागू मूलभूत नियम ४५-ख के अन्तर्गत दिये जाने किराये से और मूलभूत नियम ४५-क के अन्तर्गत दिये गये किराये के अन्तर की वसूली के लिये उनके अन्तिम लेखे लम्बित हैं।

पंजाब में शरणार्थियों को ऋण

१५८३. **श्री गुलशन :**
श्री य० ना० सिंह :
श्री प० ह० भील :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में कुछ कितने शरणार्थियों को प्रति परिवार २०० रुपये तक का ऋण दिया गया;

(ख) क्या बाद में सरकार ने यह घोषणा की थी कि इन ऋणों को वापस नहीं लिया जायेगा;

(ग) क्या अब पंजाब में शरणार्थियों से वसूली की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क), (ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(ख) ३१-३-१९५४ तक पश्चिमी पाकिस्तान के गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को चाहे जो भी रकम दी गयी हो, ३०० रुपये तक छोटे नगरीय और ग्रामीण ऋण (गैर-कृषि कार्य के लिये) और शिक्षा ऋण (भारत में) दिये जा रहे हैं यदि हकदार ऋणियों ने अपनी अपनी राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन-पत्र भेज दिये हों।

आय-कर विभाग में स्थायी वकील

१५८४. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न ज़ोनों के आयकर विभाग के स्थायी वकीलों के लिये नियुक्ति की नई शर्तें रखी हैं जो उन शर्तों से बहुत खराब हैं जिन पर उनको नियुक्त किया गया था और जिसके फलस्वरूप उनकी उपलब्धि कम हो गयी है; और

(ख) क्या किसी स्थायी वकील ने नयी शर्तें मानने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आयकर विभाग में बिभिन्न कार्यों पर स्थायी वकील सामान्यत: शुरू में एक वर्ष के लिये आपसी समझौते पर रखे जाते हैं। इसके बाद इसका हर वर्ष नवीकरण किया जाता है यदि यह व्यवस्था दोनों को सरल लगे। इस नियुक्ति को दोनों ओर से एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

कुछ समय पूर्व विधि मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि आय-कर विभाग में सभी स्थायी वकीलों की नियुक्ति एक स्टैण्डर्ड तरीके से हो। तब से वकीलों की नयी अथवा जारी नियुक्ति के प्रस्तावों पर विचार करते समय, यथासंभव, निर्धारित स्टैण्डर्ड तरीके की नियुक्ति की शर्तें रखी गयी हैं। स्टैण्डर्ड तरीके की शर्तें, जिसमें कुछ बारे में शर्तों की वैज्ञानिक व्यवस्था है, हर मामले में आपसी परामर्श से ही स्वीकार की जाती हैं।

(ख) अधिकांश मामलों में स्टैण्डर्ड तरीके की शर्तों को स्थायी वकीलों ने मान लिया है। एक मामले में, वकील ने शर्तों को नहीं माना और उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गयी है।

काठमाण्डू-त्रिशूली सड़क

१५८५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमाण्डू-त्रिशूली सड़क के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति की गयी है; और

(ख) इस पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) कुछ नालों को छोड़कर, जो पूरे होने वाले हैं, अधिकांश नालियों का निर्माण पूरा हो गया है। पूरे किये गये काम में ताड़ी और त्रिशूली नदियों पर दो मुख्य पुल शामिल हैं जिनका हाल ही में महामहिम नेपालाधिराज द्वारा उद्घाटन किया गया है। प्रतिधारण दीवार आदि बनायी जा रही हैं और इनके शीघ्र ही पूरा किये जाने की संभावना है।

रास्ते को, जो लगभग १४·५ मील है, पक्का करने और कंकरीट डालने का काम प्रगति पर है और वह जून, १९६४ से पहले पूरा हो जायेगा। फिर इस पर भारी वर्षा के दौरान होने वाली कुछ तोड़फोड़ के अतिरिक्त वर्ष भर ट्रक चल सकेंगे।

(ख) फरवरी, १९६३ से पूर्व के वर्षों में यह कार्य प्रादेशिक परिवहन संगठन द्वारा किया जाता रहा। इस सड़क का निर्माण-कार्य त्रिशूली परियोजना प्रशासन द्वारा सम्हाले जाने के बाद से फरवरी, १९६४ के अन्त तक इस पर लगभग १८ लाख रुपये व्यय हुए।

केरल में बागान आवास योजना

१५८६. श्री प० कुन्हन : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को राज्य में बागान श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ख) अब तक कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) बस्ती-वार पृथक्-पृथक् अभी तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) २.७३ लाख रुपये।

(ख) और (ग). दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक बागान मालिकों को राज्य-सरकार द्वारा कुल २ लाख रुपये दिये गये बताते हैं। तब तक १२४ मकान पूरे किये गये थे। राज्य सरकार से मकानों के बस्ती-वार आंकड़े मांगे गये हैं और वे प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

पंजाब को सहायता में कमी

१५८७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य को तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में दी गयी सहायता में कमी हुयी है; और

(ख) यदि हां, तो पूरी धनराशि देकर कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं। एक योजना को छोड़ कर, जिसके लिये २·७५ लाख रुपये तक के दावे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, वर्ष १९६१–६२ के लिये सहायता अन्तिम रूप से निबटा दी गयी है और उसमें कोई कमी नहीं हुयी है। वर्ष १९६२–६३ के लिये राज्य-सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर अन्तिम समायोजन अभी किया जाना है परन्तु अस्थायी भुगतान किया जा चुका है। वर्ष १९६३–६४ के लिये भी अभी तक किसी भी विकास मद के अन्तर्गत अन्तिम रूप से कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गयी है; परन्तु मार्गोपाय पेशगियां दे दी गयी हैं और सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा अस्थायी भुगतान किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बताये गये वास्तविक व्यय के आधार पर देय धनराशि तै की जा रही है और अन्तिम भुगतान किया जा रहा है। इतने समय में अन्तिम रूप से निबटारा होने तक, मार्गोपाय पेशगियां और अस्थायी भुगतान किया जा रहा है।

Gandhi Sagar Dam

1588. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is considerable disparity in the rates of electricity supplied from Gandhi Sagar Dam to Rajasthan and Madhya Pradesh ; and

(b) whether Government propose to bring them at par and if so, when ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No. Gandhi Sagar Dam being a joint venture of the States of Madhya Pradesh and Rajasthan, power therefrom is shared equally by the two States. The costof the power to the two States is the same.

(b) Does not arise.

पंजाब में अनुसन्धान योजनायें

१५८९. श्री दलजीत सिंह क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री बोर्ड ने पंजाब में वर्ष १९६४–६५ में कोई अनुसन्धान योजनायें मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है; और

(ग) वर्ष १९६३–६४ में ऐसी योजनाओं के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). पंजाब में अनुसन्धान केन्द्रों के लिये वर्ष १९६४–६५ के लिये अभी तक कोई नयी अनुसन्धान योजना मंजूर नहीं की गयी है। तथापि, उन को पहले आवंटित योजनाओं का वे अगले वित्तीय वर्ष में अध्ययन करते रहेंगे। अमृतसर स्थित अनुसन्धान संस्था को चालू वित्तीय वर्ष में १ लाख रुपये का सहाय्य-अनुदान मंजूर किया गया है ।

पंजाब में सिंचाई और विद्युत् क्षमता

१५९०. श्री दलजीत सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १९६४–६५ में सिंचाई और विद्युत् की अतिरिक्त क्षमता का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या फैसला किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

रामकृष्णपुरम् में क्वार्टर

१५९१. { श्री हेम बरुआ :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से कुछ सरकारी क्वार्टर खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्वार्टर आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में बहुप्रयोजनीय परियोजना

१५९२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने मनीपुर में लोकटाक झील पर बहुप्रयोजनीय परियोजना आरम्भ करने के लिये सर्वेक्षण किया और क्याइस योजना का अनमोदन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) योजना की प्राक्कलित लागत क्या है. और

(घ) इस को कब आरम्भ किया जायगाऔर कब पूरा किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पहले के केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने पड़पाल आरम्भ की थी और बाद में यह मनीपुर प्रशासन द्वारा जारी रही। मनीपुर प्रशासन द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन की केन्द्रीय जल तथा विद्यत् आयोग द्वारा जांच की गई है और अब इस में आयोग के तर्कों को ध्यान में रखते हुए मनीपुर प्रशासन द्वारा संशोधन किये जाने हैं। अभी इस योजना का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) यह एक बहुप्रयोजनीय परियोजना है। लोकटाक झील से पानी को पास की लीमटाक घाटी में ले जाया जायेगा ताकि इसे लगभग ९०० फुट की ऊंचाई से इस्तेमाल किया जा सके।

आरम्भ में एक एक हजार किलोवाट की क्षमता के केवल दो जनरेटिंग यूनिट स्थापित किये जाने हैं। बाद में बिजली की क्षमता को एक एक हजार किलोवाट की क्षमता के ३ और जनरेटिंग यूनिट स्थापित कर के ५००० किलोवाट तक बढ़ाया जायेगा। अन्त में इस में निरन्तर विद्युत् का अथवा ८०००० किलोवाट का ५० प्रतिशत की दर से लगभग ४०००० किलोवाट का उत्पादन होगा।

(ग) मूलत: २००० किलोवाट बिजली के उत्पादन के लिये प्रथम प्रक्रम की लागत का मनीपुर प्रशासन ने २·४८ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था जिस में ट्रांसमिशन लाइनों की लागत शामिल नहीं है। तथापि, केन्द्रीय जल तथा विद्यत् आयोग के तर्कों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की लागत बदल जायेगी।

(घ) काम आरम्भ करने के बाद योजना को लगभग ३ वर्ष में पूरा किया जा सकेगा।

छिद्रल कंक्रीट संयंत्र[1]

१५९३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के सहयोग से दो छिद्रल कंक्रीट संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर लिया गया है जिस में 'फ्लाई एश' का प्रयोग किया जायेगा; और

[1]Cellular concrete plants

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) मामला अभी है विचाराधीन है ।

Sale of Gold articles

1594. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have allowed the sale of articles made of pure gold which were manufactured before the announcement of gold control order ; and

(b) if so, the time limit specified for the sale of such articles and the weight of articles allowed to be sold ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No, Sir. Dealers have, however, been permitted to export ornaments and articles of gold of a purity exceeding fourteen carats manufactured prior to the promulgation of Gold Control Rules provided the gold content thereof does not exceed forty per cent by value.

(b) Such export, which had been permitted upto the 31st March, 1964, is being extended to 30th June, 1964. There is no restriction as to the weight of the articles.

कालकाजी कालोनी, दिल्ली

१५९५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १८ अप्रैल, १९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये, जो दिल्ली में व्यवसाय कर रहे हैं, प्रस्तावित कालकाजी कालोनी के लिये भूमि के विकास का कार्य कब से पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ग गज भूमि की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है,

(घ) यदि हां, तो भूमि का आवंटन कब किया जायेगा; है

(ङ) इस आवंटन का आधार या कसौटी क्या है; और

(च) इस योजना से कितने परिवारों को लाभ होने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। इस के इस वर्ष तक पूरा होने की संभावना है ।

(ख) विकास कार्य पूरा होने पर ही लागत का पता चलेगा ।

(ग) आवेदन पत्रों और पट्टेनामे के प्रारूप तैयार किये जा रहे हैं । प्रारूप को अन्तिम रूप देते ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे ।

(घ) अगले वर्ष वर्षा के आरम्भ में ।

(ङ) मुख्य कसौटी यह है कि विस्थापित व्यक्ति दिल्ली में बसा हो और व्यवसाय करता हो और उस का अपना मकान न हो ।

(च) लगभग १५५० ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, बंगाल वित्त (बिक्री कर), अधिनियम तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(१) भारत प्रतिरक्षा एक्ट, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक २ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८१ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (चौथा संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २५८६/६४]

(२) सीमा-शुल्क एक्ट, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति : --

(क) दिनांक १ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १८० ।

(ख) दिनांक १४ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ४४८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २५८७/६४]

(३) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) एक्ट, १९४१ की धारा २६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी, १९६४ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(४५)/६३-फिन(ई) की एक प्रति जिस में दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) नियम, १९६३ के दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २५८८/६४]

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :--

(क) दिनांक १४ बार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तीसरा संशोधन, नियम, १९६४) ।

(ख) दिनांक १४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४७ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, १९६४

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २५८९/६४]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
उनचासवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय भारत का राज्य व्यापार निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में प्राक्कलन समिति का उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICE

Shri Brij Raj Singh (Bareilly): I had given notice of a Calling Attention Motion. The C.P.I. has a plan to overthrow the Government, about which I wanted to know the reaction of the Government.....

Mr. Speaker : I have disallowed that Motion. If the hon. Member wants to say anything in that connection, he can see me in my chamber.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I had also given notice of a Call Attention Motion regarding the incident in Jammu.....

Mr. Speaker : To get up like this, when I have disallowed the Motion, amounts to interrupting the proceedings.

Shri Onkar Lal Berwa : Instead of disallowing the Call Attention Motions, it is better that we make a rule that no discussion can take place in the House regarding Jammu and Kashmir.

Mr. Speaker : I am helpless in the matter because a number of Members of the same party sometimes give lots of notices, whereas only one such Motion can be discussed in a day. I would appeal that only one notice should be given by one Party. I would also appeal to the hon. Members not to obstruct the proceedings of the House like this. If any hon. Member has any grievance, he can come to me and convince. If he convinces me, I can allow the Motion to be raised.

Shri Onkar Lal Berwa : Since we receive the intimation regarding the rejection of our Motion after coming here, naturally we raise the point in the House.

Mr. Speaker : The notices keep on pouring in right till the moment I start for the House. Therefore, it is not possible to give intimation before.

The House itself has given me the right to decide whether a particular Motion should be admitted or not. If hon. Members are not satisfied with my decision, the only alternative is that they can take away that right from me.

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*
डाक और तार विभाग—जारी

श्री ब० कु० दास : (कंटाई) : माननीय मंत्री ने बताया कि प्रतीक्षक सूची में टेलीफोनों की संख्या २·४ लाख है परन्तु उन्होंने ने यह नहीं बताया कि यह मांग किस प्रकार पूरी की जायगी । प्रत्येक वर्ष मे ६५,००० टेलीफोन लगाये जाते हैं । इस गति से मांग को पूरा करने में कम से कम चार

वर्ष लग जायेंगे । इसी प्रकार प्रतीक्षक सूची में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या १००० है। इस की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मद्रास, बंगलौर और रूपनारायणपुर में कारखानों का विस्तार किया जाना वांछनीय है ।

जहां तक शिकायत संगठन का संबंध है वर्ष १९६३ मे शेष शिकायतों की संख्या १३,८९७ थी। वर्ष १९६१, १९६२ में भी काफी संख्या में शिकायतों के बारे में कार्यवाही नहीं की गयी। मेरा अनुरोध है कि शिकायतों को निपटाने में इतना विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ।

हावड़ा के आर० एम० एस० विभाग को पश्चिम बंगाल पी एम० जी सर्कल के अधीन रखा जाना चाहिये । इसी प्रकार हावड़ा नगर के डाक घरों को तथा उप-डाकघरों को कलकत्ता प्रशासन के अधीन रखा जाना चाहिये ।

Shri N. N. Patel (Bulsar) : I rise to support the Demands of this Department and congratulate its employees. As compared to the Departments of Police and Railways, the employees of this Department have no other source of income except their meagre salaries, and their duties relatively are tough and hard. A postman has sometimes to climb three or four storeys to deliver a single letter. Medical, housing and other educational facilities for these employees are most inadequate.

Complaints regarding telephones are often made, but no attention is being given to the hardships faced by the employees of this Department who have to work under heat and pressure. I suggest that their offices should be air conditioned. The retiring rooms for the lady staff of the exchange are most unsatisfactory.

The telephone operators and other staff of the Gujarat Circle should, as far as possible, be transferred to their respective Districts, because otherwise they have to face lots of inconvenience.

The work on the construction of building for head post office in Surat proper should be expedited. A head post office wan sanctioned for Bulsar three years back, but the work on it has not started as yet.

The demands of Taluka Panchayats in Gujarat for telephones are not being met due to paucity of poles. I suggest that wooden poles should be put up. This way their demands could be met.

Uniforms should be provided to the postmen at the earliest possible time.

श्री वारियर (त्रिचूर) : बैल टैलीफोन कम्पनी को जो टैंडर स्वीकार किया गया है उस के बारे में बहुत सी बातें प्रकाश में आई हैं, परन्तु अभी कुछ और तथ्य भी हैं जो अभी प्रकाश में नहीं लाये गये । यह मामला काफी गम्भीर है । हमारी आर्थिक एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टि से टैलीफोन व्यवस्था तथा संचार व्यवस्था काफी महत्व रखती है । बैल टैलीफोन कम्पनी अमरीकन टैलीफोन व्यवस्था के नियंत्रण में है । ट्यूनीशिया में उस समवाय को केवल तारें बिछाने का काम दिया गया था परन्तु यहां पर इन्हें क्रास-बार टैलीफोन एक्सचेंज के लिये ठेका दिया गया है । माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिये कि क्या इस समवाय को क्रास-बार टैलीफोन एक्सचेंज के सिलसिले में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है ? क्या वह स्वयं इस का निर्माण करती रही है अथवा वह यह काम किसी अन्य सहयोगी सार्थ के जरिये करायेगी ? क्या सरकार ने ट्यूनीशिया से यह जानने का प्रयत्न किया है कि इस समवाय द्वारा क्या और कैसा काम किया गया ? हमारे पास ट्यूनीशिया के पत्रों की फोटो-स्टैट प्रतियां हैं जिन से पता चलता है कि यह समवाय दोषरहित नहीं है ।

विदेशी तकनीकी कर्मचारी एक्सचेंज व्यवस्था में स्वयं कई वर्षों तक काम करेंगे । तो क्या इस प्रकार हमारे जो सन्देश होंगे उन की जानकारी विदेशियों को नहीं हो जायगी ? यदि वह जानकारी शत्रु देशों को दे दी जाय तो हमें हानि पहुंच सकती है । इसलिए इस में सुरक्षा का प्रश्न भी निहित है । इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाय ।

यदि इस समवाय का कोई अनुसन्धान और विकास विभाग अपना है, और उस से वांछनीय परिणाम भविष्य में नहीं निकलते, तो आपात की दृष्टि से हम किस पर निर्भर करेंगे, इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

हमें यह भी पता चला है कि इस समवाय के टेंडर के बारे में सभी विशेषज्ञ एकमत से सहमत नहीं हुए और एक व्यक्ति ने अपना निर्णय दूसरों पर लादने की कोशिश की । इस बारे में तथ्य क्या हैं हमें बताया जाय । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल में भी यह निर्णय एकमत से लिया गया था ?

कुछ प्रकार के उपकरण ऐसे होते हैं जिन पर आरम्भ में लागत कम होती है परन्तु उन के कार्य-संचालन में लागत अधिक आती है । क्या सरकार ने अन्य समवायों के प्रस्तावों की दृष्टि में यह देखा था कि समय अनुसूची के अनुसार इस की उत्पादन लागत अनुकूल है ? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या अन्य समवायों के टेंडर विशेषज्ञों द्वारा देखे गये थे और उन का उचित निरीक्षण किया गया था ? क्या डाक तथा तार बोर्ड को विश्वास में लिया गया था ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और टेंडर को अन्तिम रूप देने से पूर्व सारी स्थिति का पुनर्विलोकन करें ।

डाक तथा तार विभाग के आयव्ययक में अधिक धन की व्यवस्था करना अनुचित है । उस की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

रेलवे डाक सेवा के सेविवर्ग को स्टेशन से बाहर रहने पर जो भत्ता मिलता है वह अपर्याप्त है । डाक छांटने वाले सार्टरों को ५० नये पैसे तक भत्ता दिया जाता है । यह वर्ष १९५२ में निर्धारित किया गया था । परन्तु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं । यह भत्ता पूर्णतः अपर्याप्त है । यह राशि बढ़ाई जानी चाहिये । कर्मचारियों को पहले छः घंटों के लिये कुछ नहीं दिया जाता । इस नियम में भी परिवर्तन की आवश्यकता है ।

कई राज्यों में विभागातिरिक्त सेविवर्ग के लिये राजन समिति की सिफारिशों को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया । इस शिकायत को भी दूर करना चाहिये । इन कर्मचारियों के लिये भत्ते ४ अथवा ५ वर्ष पहले निर्धारित किये गये थे । अब उन का भी पुनर्विलोकन होना चाहिये । उन के भत्ते बढ़ाये जाने चाहियें ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि यदि आचरण नियमों के नियम ५ को विभागातिरिक्त कर्मचारियों पर लागू किया जाय तो कोई ऐसा उपबन्ध भी होना चाहिये जिस से उन की सेवायें स्थायी बनाई जा सकें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : जब डाक तथा तार बोर्ड गठित किया गया तो इस के बारे में कई माननीय सदस्यों ने असहमति प्रकट की थी और कहा था कि वह गठन उचित रूप से नहीं हो रहा है । उस समय के मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि इस बोर्ड के कार्य-संचालन को एक वर्ष तक देख कर फिर पुनर्विलोकन किया जायगा । परन्तु अब तक कोई पुनर्विलोकन नहीं

किया गया है । बोर्ड के उच्चतर स्तर पर कपट-योग चल रहा है । इस संगठन के अध्यक्ष ही जब एक विवादास्पद व्यक्ति हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि विभाग पर इस का क्या असर पड़ता होगा । एक सदस्य को समय से पहले ही सेवा-निवृत्त हो जाने के लिये कहा गया । यह एक गम्भीर विषय है । बोर्ड के सदस्यों में कटु असन्तोष पाया जाता है । आशा है कि माननीय मंत्री सभा को आश्वासन देंगे कि इस स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जायगा । यह भी मालूम हुआ था कि एक सदस्य के लिए अतिरिक्त-पद पैदा किया गया परन्तु बाद में वह पद समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार की अनियमितायें नहीं होनी चाहियें ।

नये क्रास-बार टैलीफोन एक्सचेंज के लिये जो टैंडर स्वीकार किया गया है उस के बारे में बहुत सी बातें हमारे सुनने में आई हैं । यह भी सुनने में आया है कि इस बारे में कुछ सूचना दबाई गई और बोर्ड के एक तकनीकी सदस्य की राय नहीं मानी गई । मेरा कहना है कि इस टैंडर को स्वीकार करने से सरकार को काफी हानि उठानी पड़ेगी । हम ने यह भी सुना है कि पहले पांच प्रतिस्पर्धी थे परन्तु जब फिर टैंडर मांगे गये तो तीन प्रतिस्पर्धी रह गये । फिर टैंडर इस कारण बुलाये गये चूंकि वह तुलनात्मक आधार पर नहीं थे । फिर टैंडर के बारे में निर्णय लेने के लिये कई बार समय बढ़ाया गया और जब निर्णय लिया गया तो वह उचित ढंग से नहीं लिया गया । इसलिये यह मामला श्री नन्दा द्वारा नियुक्त सतर्कता आयुक्त के सुपुर्द किया जाना चाहिये । यह जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिये और यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि तथ्यों को दबाया नहीं जायगा ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विभाग ने स्मृति टिकटें जारी कर के प्रशंसनीय काम किया है । मेरा सुझाव है कि २५ मई को श्री रास बिहारी बोस की वर्ष गांठ के अवसर पर उन की स्मृति में टिकट जारी की जाय चूंकि वह भी इस क्रांतिकारी युग के महान् नेता थे ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कलकत्ता और उत्तरी बंगाल के बीच एक सीधी टैलीफोन लाईन की व्यवस्था होनी चाहिये । अब सभी टैलीफोन लाईनें कटिहार, बिहार, से जाती हैं जिस का परिणाम यह होता है कि जब मैं पश्चिमी दिनाजपुर के साथ सम्पर्क चाहता हूं तो मुझे २४ से ३६ घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । फिर यह कहा जाता है कि चूंकि कटिहार की लाईनें व्यस्त हैं इसलिए सम्पर्क नहीं हो सकता । एक बार मुझे सम्पर्क स्थापित करने के लिये मुख्य मंत्री को अनुरोध करना पड़ा परन्तु वह भी असफल रहे । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सीधी टेलीफोन लाईन बिछाई जाय ।

दिल्ली और बम्बई की तुलना में कलकत्ता में टैलीफोन सेवा का प्रयोग करने के लिये अधिक पैसे देने पड़ते हैं । यह भेद भी समाप्त किया जाना चाहिये ।

डाक तार कर्मचारियों की वर्दियां बहुत पुराने ढंग की हैं । इन वर्दियों के स्थान पर अच्छी वर्दियां दी जानी चाहिएं । इन वर्दियों की दशा भी पुलिस की लाल पगड़ियों के समान है जिन का प्रयोग अंग्रेजों के काल में हुआ करता था । अब पुलिस कर्मचारी तो बदल गये परन्तु लाल पगड़ी की कहावत अभी तक नहीं गई । माननीय मंत्री को चाहिये कि डाक तार कर्मचारियों के साथ सलाह कर के, उन की राय ले कर उन को वर्दियां दें ।

डाक व तार विभाग अंग्रेजों के काल से समय पर कार्य निभाने के लिये प्रसिद्ध था। परन्तु अब समय का ध्यान नहीं रखा जाता। एक तार मैंने भेजा और साथ ही एक पत्र भी लिखा। वह पत्र तो पहले पहुंच गया परन्तु तार बाद में पहुंचा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विभाग में समय का अधिक ध्यान रखा जाय।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : आसाम क्षत्र और शेष भारत के बीच तार और टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। संकट काल के बाद उस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। मैं जानना चाहूंगा कि आसाम क्षेत्र तथा भारत को माइक्रोवेव पद्धति से जोड़ने के प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है। आसाम के सभी ब्लाक मुख्यालयों में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन तथा तार घर होना चाहिये। समूचे पूर्वोत्तर प्रदेश विशेष कर पहाड़ी इलाकों में संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर इस मंत्रालय को अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री प्रभात कार (हुगली) : जबकि डाक की दरें बढ़ गई हैं, डाक सेवा और भी खराब हो गई है। साधारण तार अपने गन्तव्य स्थान पर बहुत देर से पहुंचते हैं। अतः साधारण तार को डाक से भेजने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये और डाक विभाग द्वारा केवल एक्सप्रेस तारों को स्वीकार किया जाना चाहिये। बड़े नगरों में वाणिज्यिक संस्थान 'टेलेक्स' मशीन का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा संदेश उसी समय भेजा जा सकता है और तुरन्त ही उसका उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। अतः केन्द्रीय तार विभाग को भी इसी मशीन का प्रयोग करना चाहिये ताकि तार भेजने में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

देहातों में स्थित डाकघरों में मनीआर्डर फार्मों तथा अन्य फार्मों की कमी होती है जिस से ग्रामीण जनता को बहुत असुविधा होती है। इस मामले की जांच की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ग्रामीण डाकखानों में पर्याप्त संख्या में मनीआर्डर तथा अन्य फार्म हों।

कुछ डाकघरों की इमारतें बहुत बुरी दशा में हैं। रानाघाट का डाकघर उन में से एक है। वर्षा ऋतु में उसमें पानी भरा रहता है। माननीय मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

रेलवे डाक सेवा का मुख्यालय गया में है जबकि मुख्य रेलगाड़ी हावड़ा से चलती है जिसके कारण पत्र अपने गन्तव्य स्थान पर देर से पहुंचते हैं। इस की भी जांच की जानी चाहिये।

श्री मु० प० शिंकरे (मरमागोआ) : अमरीका जैसे बड़े देश में तथा यूरोप के अधिकांश देशो में डाक उसी दिन बांट दी जाती है अतः हमारे डाक और तार विभाग को भी यह प्रयत्न करना चाहिये कि देश के किसी भाग से डाला गया पत्र २४ घंटे के अन्दर अपने स्थान पर पहुंचाया जा सके चाहे मंजिल कितनी ही दूर हो। डाक सेवा के अधिक तेज कर दिये जाने तार की लाईनों पर भार काफी हद तक कम किया जा सकता है।

बर्तमान मनीआर्डर फीस बहुत अधिक है। यह नाम मात्र ही होनी चाहिये।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने डाक तथा तार विभाग के कार्य की सराहना की है ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair*

उन अनेक कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए जिनमें डाक और तार विभाग को कार्य करना पड़ा है और विशेषकर संकट की स्थिति उत्पन्न होने के बाद उसने जो कार्य किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है । डाक और तार कर्मचारियों ने दुर्गम स्थानों में उपकरणों के अभाव के बावजूद भी बहुत तत्परता से कार्य किया है । हमें ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली जब कि हमारे अग्रिम डाक घरों का देश के शेष भागों से सम्पर्क टूट गया हो ।

हमने पहाड़ी इलाकों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में डाक तथा तार घर खोलने की नीति का अनुसरण किया है । हमारा यह प्रयास रहा है कि एक उचित फासले के भीतर एक डाक तथा तार घर होना चाहिये ताकि वहां के लोगों को निकटतम डाकघर तक पहुंचने के लिये कई दिन की यात्रा न करनी पड़े । ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने में हम कुछ हानि भी उठाने के लिए तैयार हैं ।

तारों को पहुंचने में देरी न हो, इस दृष्टि से आरम्भ में हमारा प्रयत्न यह रहा है कि ट्रंक सड़कों के किनारे बसे हुए मुख्य नगरों का संबंध कोएक्सिल भूमिगत तारों से जोड़ दिया जाये और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है । आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक बम्बई, दिल्ली, कलकता तथा मद्रास के शहरों को कोएक्सिल केबलों द्वारा जोड़ दिया जायेगा । ऐसा होने से काफी बाधायें खत्म हो जायेंगी और तार जल्दी ही नहीं अपितु अधिक संख्या में भी भेजे जा सकेंगे । बाद में अन्य दूरस्थ स्थानों को भूमिगत केबलों से मिलाया जायेगा परन्तु इसमें अभी काफी समय लगेगा । मुख्य शहरों को आटोमैटिक सब्सक्राइबर डायलिंग प्रणाली से मिलाने का भी विचार है और आशा है कि भूमिगत केबलों की सहायता से टेलीप्रिंटरों तथा 'टेलेक्स' कनेक्शनों का सारे देश में जाल बिछा दिया जायेगा ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केबलों, टेलीफोन तथा दूर संचार संबंधी उपकरणों की मांग निर्यातों से पूरी की जाती थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् इंटरनेशनल टेलीफोन कारपोरेशन की सहायक ब्रिटिश कम्पनी के सहयोग से कलकता के निकट रूपनरायणपुर में हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी की स्थापना की गई । इस फैक्टरी ने उक्त ब्रिटिश कम्पनी की सहायता से बहुत ही अच्छा कार्य किया है । इस फैक्टरी के विस्तार से अथवा दूसरी फैक्टरी के स्थापित हो जाने से हम केबलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेंगे । यह प्रसन्नता की बात है कि हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी में निर्मित केबल बहुत ही उत्तम किस्म के हैं ।

बंगलौर टेलीफोन फैक्टरी ब्रिटिश टेलीफोन कम्पनी के सहयोग से स्थापित की गई थी । ब्रिटिश टेलीफोन पद्धति स्ट्रोगर (Strowger) पद्धति कहलाती है और वह उतनी उन्नत नहीं है जितनी कि क्रोस-बार पद्धति । टेलीफोन कनक्शनों की लगभग ३ लाख सब्सक्राइबरों की मांगों को पूरा करने के लिये दूसरी फैक्टरी स्थापित करना जरूरी समझा गया । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ने जो ऋण दिया है उसके आधार पर यह निर्णय किया गया है कि पहले हमें कुछ सामान स्वयं खरीदना चाहिए और क्रोस-बार की आधुनिक प्रणाली के टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिये एक कारखाना भी लगाना चाहिये ।

बंगलौर टेलीफोन फैक्टरी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है । वहां पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया जाता है । टेलीफोनों के लिये प्रियदर्शिनी का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर

[श्री अ ०कु० सेन]

शुरू कर दिया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने इस फैक्टरी को नहीं देखा है मैं उन्हें इसे देखने के लिये आमंत्रित करूंगा। वे इस फैक्टरी के कार्य को देख कर संतुष्ट हो जायेंगे।

क्रोस-बार टाइप के उपकरण बनाने के लिये विश्व के समस्त देशों से टेन्डर मांगे गये थे। पांच कम्पनियों ने टेंडर दिये जिन में से दो ऐसे थे जिन पर विचार नहीं किया जा सकता था। बाकी तीन कम्पनियों थी : एरिकसन्स आफ स्वीडन, बैल टेलीफोन कम्पनी, जोकि इंटरनेशनल टेलीफोन कारपोरेशन की सहायक बेल्जियन कम्पनी है, और जापान की निप्पन इलैक्ट्रिक कारपोरेशन।

आई० टी० आई० बहुत से इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण करती है परन्तु मुख्य इलैक्ट्रोनिक फैक्टरी भारत इलैक्ट्रोनिक्स है जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत है और बंगलौर में ही स्थित है। भारत इलैक्ट्रोनिक्स में निर्मित इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को बंगलौर टेलीफोन फैक्टरी में भी प्रयोग में लाया जाता है।

सरकार ने एक तकनीकी समिति की स्थापना की थी जिसने उन तीनों कम्पनियों के उपकरणों के उत्पादन के गुण दोषों का अध्ययन किया और एक मत से यह राय दी कि 'कम्पेल्ड फ्रक्वेन्सी सिस्टम' की देश में सब से अधिक आवश्यकता है। स्वीडन एरिकसन्स कम्पनी तथा बैल टेलीफोन कम्पनी के टेन्डरों में इस टाइप के उपकरणों का उत्पादन करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस मामले के बारे में कुछ गलत धारणायें फैलने के कारण मैं इसके बारे में विस्तार से कहूंगा। जब यह बात मेरे ध्यान में लाई गई कि इन आंकड़ों को निकालने में अनेक गड़बड़ियां की गई हैं तो मैंने इस मामले को उत्तरदायी पदाधिकारियों को सौंप दिया और इन आंकड़ों में कोई अन्तर नहीं पाया गया। मुझे इस सौदे के बारे में जो भी पत्र प्राप्त हुए मैंने उन्हें संचार मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव, श्री फिलिप को भेज दिया। श्री फिलिप आजकल आई० टी० आई के चेयरमैन हैं। दूर संचार के प्रभारी सदस्य तथा वर्तमान सचिव को भी यह पत्र भेज गये। इन तीनों अधिकारियों ने अलग अलग प्रतिवेदन देकर मुझे संतोष दिलाया कि ये आंकड़े गढ़े नहीं गये हैं। मुझे बाद में पता लगा कि कुछ लोग इस मामले में कुछ कहना चाहते थे। अतः डाक और तार के सदस्यों की, जो इस मामले में संबंधित थे, एक कांफ्रेंस बुलाई गई और इन आंकड़ों की दुबारा जांच की गई। ये आंकड़े उपकरण के संभरण के बारे में थे। जापान की कम्पनी का टेंडर सब से कम कीमत का था हालांकि वह कम्पेल्ड मलटीपल फ्रीक्वेंसी सिगनलिंग उपकरण के लिये नहीं था। उससे अधिक कीमत का टेंडर बी० टी० एम० का था और स्वीडस कम्पनी का टेंडर सबसे अधिक मूल्य का था। जहां तक पूंजी उपकरणों के संभरण तथा तकनीकी जानकारी देने का संबंध है बी० टी० एम० का टेन्डर सब से कम मूल्य का था। बी० टी० एम० का टेंडर ११५ लाख रुपये, जापानी कम्पनी का १३५ लाख रुपये और स्वीडिश कम्पनी का १६२ लाख रुपये का था। कपारखाना स्थापित करने और उपकरण देने की मिलीजुली लागत जापानी कम्पनी के सम्बंध में ४४६ लाख रुपये, "बैल टेलीफोन कम्पनी" के सम्बंध में ४६४ लाख रुपये और 'एरिकसन्स' के सम्बंध में ५७९ लाख रुपये थी। परन्तु जापानी प्रणाली को अधिक उपयोगी नहीं समझा गया और "एरिक्सन्स" का टेंडर बहुत मंहगा था और उनकी साम्य भागीदारी औरविदेशी मुद्रा की प्राप्ति संबंधी शर्तें भी कठिन थी। बैल टेलीफोन कम्पनी के प्रस्ताव के सम्बंध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बेल्जियन ऋण से पूरी की जा सकती थी जो अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : स्वीडिश कम्पनी को इस बारे में अधिक अनुभव है।

श्री अ० कु० सन : मैंने जो पहली कांफ्रेंस बुलाई थी उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया था और तकनीकी विशेषज्ञों को दोनों प्रस्तावों के गुण दोषों पर विचार करने के लिये कहा था। परन्तु वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्वीडिश कम्पनी का उपकरण बैल कम्पनी के उपकरण की तुलना में अधिक उत्तम किस्म का नहीं था। किसी विशेषज्ञ ने यह मत व्यक्त नहीं किया था कि बैल्जियन उपकरण घटिया किस्म का था। हां एक विशेषज्ञ ने यह कहा था कि "एरिकसन्स" को इस का अधिक अनुभव है और उन्होंने ही क्रोस बार प्रणाली का अविष्कार किया है। चूंकि हमें आई० डी० ए० के ऋण का उपयोग करना है और भी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा अन्य सुविधायें प्रस्ताव के स्वीकार करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि स्वीडिश कम्पनी अपनी कड़ी शर्तों को ढीला करने के लिये सहमत होती तो हम उनके प्रस्ताव पर विचार कर सकते थे परन्तु उस कंपनी के प्रतिनिधि ऐसा करने के लिये तैयार नहीं थे। हमने टेंडरों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की और हम इस परिणाम पर पहुंचे कि स्वीडन की कम्पनी का प्रस्ताव, भागीदारी की शर्तें और विदेशी मुद्रा संबंधी सुधियें ऐसी थी जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते थे अतः उन्हें अस्वीकार किया गया। अब हमारे सामने जापान और बेल्जियम की कम्पनियों के प्रस्ताव रह गये थे। यद्यपि दोनों देशों की शर्तें हमारे पक्ष में थी, फिर भी हमने दो मुख्य कारणों से बैल टेलीफोन कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहला कारण यह था कि तकनीकी विशेषज्ञों ने 'कम्पेन्ड फ्रीक्वेंसी' प्रणाली को अधिक उपयुक्त समझा और वे इस उपकरण का निर्माण आसानी से कर सकते हैं और यह दूसरा यह कि इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर के भूतपूर्व तथा वर्तमान, दोनों प्रबंध निदेशकों की, जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, यह राय थी कि बंगलौर में जापानी उपकरण की अपेक्षा बेल्जियम के उपकरण का निर्माण अधिक सरलता से हो सकता है।

मैं जापानी कम्पनी के गुणदोषों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि किसी कम्पनी की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के बारे में विशेष रूप से उनकी अनुपस्थिति में सभा में कुछ कहना उचित नहीं है।

बेल्जियम की कम्पनी के विरुद्ध कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोपों के बारे में हमें इस बात की पक्की जानकारी है कि कम्पनी या उसके किसी कर्मचारी पर कभी भी किसी प्रकार की जासूसी का आरोप नहीं था। मैंने समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को इस कम्पनी के साथ करार के बारे में निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल के सामने रखा था। इस संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों के अतिरिक्त जो अनेक प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे उनकी मैंने स्वयं जांच की और मैंने ये प्रतिनिधान जांच के लिए वित्त मंत्रालय तथा वैदेशिक काय मंत्रालय को भी भेजे। इस पर पूर्ण रूप से जांच करने के बाद सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि कंपनी पर लगाये गये जासूसी के आरोप निराधार हैं। ट्यूनिसिया के समाचारपत्रों में ये आरोप इसलिये प्रकाशित किये गये थे कि ट्यूनिसिया सरकार पर इस कम्पनी ने कुछ विशेष प्रतिकर के लिए दावा किया था। इस विवाद के कारण ट्यूनिसिया इस कम्पनी की ख्याति को समाप्त करना चाहता था।

इस कम्पनी का कार्य रूपनारायणपुर स्थित कारखाने में अत्यन्त सराहनीय है। इस कम्पनी ने देश में विभिन्न प्रकार के केबल के निर्माण में काफी सहायता दी है। इसके कार्य को देखते हुए कम्पनी पर इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

[श्री अ० कु सेन]

कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप भी निराधार है कि इस कम्पनी को कार्य के सम्बन्ध में अनुभव नहीं है। विदेशों में जहां जहां मैं गया हूं, मैंने वहां इस कम्पनी द्वारा निर्मित उपकरण देखे। इसकी संसार के सभी देशों में ख्याति है। इसलिये मैं फिर दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि बेल्जियन कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय बहुत सोच विचार कर किया गया है।

यह दुख की बात है कि डाक और तार विभाग द्वारा मकानों के निर्माण में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। अधिकांश डाकघर किराये के मकानों में हैं। कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा आवास की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। हम इस दिशा में तेजी से काम करने का प्रयत्न करेंगे जिससे हमारे डाकघर यथासंभव संख्या में विभाग की ही इमारतों में हों तथा डाक और तार कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का यथाशीघ्र निर्माण हो सके।

हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में सहकारी गृह-निर्माण समितियां स्थापित करें। जिससे उन्हें सस्ते मूल्य पर मकानों के निर्माण के लिए भूमि और सरकार से ऋण प्राप्त हो सके। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक कर्मचारी के पास अपना मकान हो। सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं को विभाग की ओर से यथासंभव सहायता देने का प्रयत्न करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से उचित राशि प्राप्त करने के लिए सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

तांबे के तार की चोरी हो जाने से कभी-कभी तार साधारण डाक से भेजने पड़ते हैं। इस चोरी को रोकने के लिए हम भूमिगत तारों की व्यवस्था कर रहे हैं और तांबे के तारों के स्थान पर कॉपर-वेल्ड तार बिछाये जा रहे हैं, क्योंकि इनका बाजार भाव बहुत कम है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा है कि डाक और तार बोर्ड में षड्यंत्र रचे जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यहां पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य के पास विशेष जानकारी है तो वे मुझे एकान्त में विस्तारपूर्वक बता सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं।

जहां तक बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य का समय से पहिले सेवानिवृत्त होने का सम्बन्ध है, उन्होंने कुछ घरेलू कारणों से अनुमति मांगी थी। उनकी मांग उचित समझी गई और उन्हें सवा निवृत्ति के बाद अधिक अच्छी नौकरी करने की अनुमति दे दी गई। इसमें कोई अनुचित कार्य का प्रश्न नहीं उठता है।

एक आपत्ति एक अधिकारी के पद को समाप्त करने के सम्बन्ध में भी उठाई गई है। इस बारे में मैं स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। चीन के आक्रमण के फलस्वरूप देश में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई थी। सीमाओं पर सशस्त्र सेनाओं के लिए डाक और तार सम्बन्धी संभरण स्थिति संकट में पड़ गई थी। सलिए डाक और तार विभाग में एक पूर्णकालिक अधिकारी की आवश्यकता पड़ी क्योंकि टेली कॉमिनिकेशन अथवा विकास अधिकारी संभरण की बढ़ती हुई

मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़, बंगलौर के प्रबन्ध निदेशक को इस पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने इस कार्य को बड़ी लगन और योग्यता से किया और उनके लगभग ८ महीने के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप संभरण की स्थिति इतनी संतोषजनक हो गई है कि उनके सेवानिवृत्त होने पर इस पद की आवश्यकता नहीं रही और यह पद समाप्त कर दिया गया।

हम प्रति वर्ष जनता द्वारा दिये गये सुझावों को दृष्टि में रख कर महान व्यक्तियों की स्मृति में डाक टिकटें जारी करते हैं। इस वर्ष राजा राम मोहन राय तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की स्मृति में टिकटें जारी करने का काम हाथ में लिया गया है। इसलिये इस समय अन्य व्यक्तियों की स्मृति में टिकटें जारी करने सम्बन्धी सुझावों पर विचार नहीं किया जा सकता।

अन्त में मैं इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा डाक और तार विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Department of Posts and Telegraphs were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९८	डाक तथा तार विभाग . .	८,९७,०००
९९	समुद्रपार संचार सेवा . .	१,४५,४८,०००
१००	डाक तथा तार (कार्यवहन व्यय) . . .	१,१३,४५,७६,०००
१०१	सामान्य राजस्व को डाक तथा तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग . . .	११,०९,८७,०००
१०२	डाक तथा तार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	२४,२९,०००
१४५	डाक तथा तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं दिया गया) . . .	३८,५३,६७,०००
१४६	डाक तथा तार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . .	४२,१७,०००

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

वर्ष १९६४–६५ के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	७७,७१,०००
३७	कृषि . .	४,००,११,०००
३८	कृषि अनुसन्धान	६,१८,२३,०००
३९	पशु-पालन . .	१,०३,५३,०००
४०	वन	१,१४,४६,०००
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	१७,०८,५२,०००
१२४	वनों पर पूंजी परिव्यय . .	१,७७,०००
१२५	खाद्यान्नों की खरीद . .	२,१९,५४,४९,०००
१२६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	६७,५३,९७,०००

उपाध्यक्ष महोदय : ये मांगें सभा के सामने हैं।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : It looks strange that on one hand the Government claims that the production and productivity in the Country has increased, and on the other hand the Government is importing foodgrains in very huge quantity. Both the positions do not reconcile with each other. So the Government will clarify and state what is the real position in the matter of foodgrains.

The Govt. had given an assurance to control prices of foodgrains, but inspite of that prices have been steeply rising and the position has considerably deteriorated. This is not an *Ad hoc* or Seasonal rise in prices. Looking to the conditions prevailing, there seems likelihood that prices will rise further. There is a great resentment among the public about food situation and in case the Government does not take adequate steps in the matter, it is feared that the position will go out of Control.

It is often said that there is shortage of sugar in the country. But that is not the factual position. In fact sugar is there and hoarded by Capitalists and mill owners in stocks. They mislead the Govt. and supply wrong statistics. The only remedy, according to my mind, is that the Govt. should take over the sugar trading in their own hand, so that the sugar problem may be permanently solved.

I fail to understand why Govt. has imposed restrictions on the movement of Gur from one state to another. These restrictions are unwarranted and lead to smuggling & black-marketing. I find that on the borders of Uttar Pradesh

and Bihar, smuggling is going on on a large scale. Govt. should therefore think in terms of removing restrictions on movement of gur, so that the prices may come down.

Capitalists of the country demand that with a view to reduce the consumption of sugar, its prices should be raised and the Govt. seems to be acting upon that. But sugar is available in black-market and not available to villagers at reasonable rates. This is being done by big people who claim to be patriots. But the Govt. is unable to find out where sugar has been kept hoarded.

Govt. claims to have caused more production of fish. But I see that in comparision to past today fish is sold at a much higher price. Similarly, they claim to have improved breeding of animals. But it is seen that previously Ghee was available at one rupee a seer, and now it is difficult to get pure Ghee. This is the state of affairs.

There is enormous increase in prices and the people are suffering a lot as a result thereof. People have to wait for long for getting ration in long queues. But the Govt. is either not aware or does not appreciate the difficulties of the public.

It is stated that fisheries are being developed. But I can say on my own personal experience that such schemes only exist on the papers. Nothing has so far been done in this direction. Similar is the fate of the other aspects of animal husbandary. The schemes to improve the cattle breeding are also on the papers alone. Practically there is no progress. A few big people bring their cattle, show them to the officers and obtain prizes. And it is declared that cattle breeding programmes are implemented. Almost same tactics are being employed in the field of vegetable production.

In this way lot of public money was being wasted on animal husbandary, fisheries, Van Mahotsavas and similar other things. In certain places in U.P., money has been granted for developing fisheries, but there was neither any pond nor any fish. That was not the way the Government should function. It was high time that all these things should be stopped. No money should be spent on such schemes which produce no result. If we continue this habit of believing wrong figures nothing would be added to the progress of the country.

Food situation is worsening and if we do not solve it then we will have to face heavy odds.

Propaganda is being carried on that cultivators should use fertilizers. But it is rally verydisheartening to note that Rourkela Fertilizer, that was sold in the market, was adulterated, though the fertilizer was received in sealed packet. My submission is that it is a very serious matter and the Government should have thorough probe into this matter and penalise those who were responsible for this anti-social act. Nobody should be allowed to play with the country's interest and earn undue profits. This is also pity that the price of the Fertilizer is so high that ordinary farmer cannot afford to buy it. And the fertilizer is being given to those who are unable to use it. People are sometimes compelled to buy fertilizer.

Government had been raising the slogan of Cooperative. There is no doubt about it that if properly developed the cooperative farming was one of the methods by which we could improve our agricultural production. There has been much ado about nothing. Government has practicallly done nothing to encourage the Cooperative. Over and above this is also an open

[Shri Sarjoo Pandey]

secret that the attitude of the bureaucratic machinery was very hostile towards Cooperative farming. The net result of all this has been that there is absolutley no progress in this direction. Our bureaucratic machinery is full of those who have been the henchmen of Britishers. We cannot bring socialism with the help of these officials.

We must also understand, that in order that the agricultural production should increase, it must be seen that cultivator gets the land. The government should see that the land is given to the aetual tiller of the land. Together with that the proper provision of adequate facilities of irrigation should also be made. This is also very necessary. The food and agriculture Department should also be responsible for Irrigation. There should be proper coordination between the different departments of the Government which are dealing in providing facilities to the farmers. When the farmers are compelled to give sugarcane to the Mills, Mills should also be asked to help the farmers.

I would also urge that the Government should start the wholesale trade in foodgrains themselves. If we allow the present plight to continue then nobody can save the country. Our enemies are standing on our borders. I feel that the Hon. Minister will not feel offended by this criticism but will give serious and dispassionate consideration to all the points, which I have placed before the House. Therein lies the good of the country.

Shri D. S. Chaudhuri (Mathura) : Although I have great regards for the Honourable Minister personally, but I want to criticize his policy. The production in the country is not increasing. In 1962-63 the production figure is 787 lakh tons while in 1961-62 this was 810 lakh tons. Similarly foodgrain imports are also increasing day by day. In 1964 we are going to import wheat worth 2,50,89,49 thousand Rupees. Our farmers are doing utmost to increase the production but their resourcelessness comes in the way. We want to increase the production, but we are not paying any attention to the economic condition of the farmer. We want milk but do not like to feed the cow. Also the farmers are not getting the adeaquate price of their produce.

Therefore my submission is that the Governgent should try to analyse carefully the causes of the fall in production. The Government should also see that the economic condition of cultivator should also improve. Until and unless we do something concrete in this direction, nothing can raise our production. I am of the opinion that it was not that our farmer required any kind of expert advice or guidance on agricultural matters. He is quite well-versed in his work and knows his job. what is required is to see that his problems and difficulties are solved. Farmers should also be assured of the remunerative price. Without that he will have no incentive to produce more. We are spending crores of rupees on imports. If that amount is spent on our own cultivators the situation can improve considerably. I [am of the opinion that Goverment help does not reach the farmers directly. I have seen the working of Council of agricultural research, Indian Central Cotton Committee, the oil seeds Committee. nobody seems to have been worried about the real fate of the cultivators. Package programme Schemes have also met with failure.

I dont think the Government policy is against the cultivator. But there are certain things which are realy deterimental to the interests of the farmers, for instance, the restrictions on the movement of Gur had meant lesser price to the cultivator and more profit for the middlemen and traders. The same is the situation regarding wheat. The proposed restrictions on wheat would ultimately benefit the hoarder and trader. If the Government had real sympathy for the poor cultivator, which is claimed it had, it must act accordingly. We have

been constantly supporting the Government for the last 12 years. Now we may be permitted to express ourselves independently and vote freely on the policy of Government regarding agriculture.

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से खाद्य तथा कृषि ने देश के राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सरकार का भी काफी ध्यान इस दिशा की ओर गया है। मेरे विचार में सरकार कृषि के क्षेत्र में गलत नीति चला रही है। वह इस मामले में अपनी आंखों पर रूस की एनक चढ़ाये हुए है और उनको यह गलत भ्रान्ति हो गयी है कि उनकी बातें समाजवादी ढांचा निर्माण कर रही है। संसद में प्रायः कीमतों की वृद्धि के बारे में चर्चा होती है। कई वर्षों से कीमतें बढ़ रही हैं। आम लोगों का दृष्टिकोण उपभोक्ताओं के हित में ही रहता है। क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस पर भी वह किसानों को भी नाराज़ करना नहीं चाहते। कांग्रेस सरकार जानती है कि वह किसानों की सहायता से ही आज सरकार की गद्दी पर विराजमान है। अतः सरकार इस दिशा में कोई ठोस कार्य न करके केवल बीच के आदमियों को ही कोसती चली जा रही है। सारा दोष बीच के व्यक्ति पर ही डाला जा रहा है परन्तु कीमतें कम होने पर अन्ततोगत्वा हानि किसान अथवा उत्पादक को ही होगी।

सरकार राज्य व्यापार करने जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि खाद्य का राज्य व्यापार करना और चावल की मिलों को सरकारी कब्जे में लेना एक गलत कदम होगा। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों में गरीबी और बेकारी बढ़ जायेगी और वह अपना खेती का पेशा छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में चले जायेंगे। इससे सारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की खाद्यान्न की कीमतों के मामले में हस्तक्षेप करके और रियाया के जीवन को अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहिए। यदि सरकार ने हस्तक्षेप किया तो इसके भारी परिणाम होंगे। खाद्यान्नों की कीमतों के मामले में हस्तक्षेप करने की बजाय, सरकार को औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए जिनसे ठेकेदार और चोर-बाजारी करने वाले भारी लाभ उठा रहे हैं। देश में ऐसे भाग हैं, जैसे रायल सीमा और राजस्थान के कुछ इलाके जहां सदैव ही अकाल रहता है। वहां अकाल की स्थिति समाप्त करने के लिए मंत्रालय को कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए। उन इलाकों में गहरे नलकूप लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिये।

मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री स्वर्ण सिंह से यह निवेदन करूंगा कि वह रैयत के जीवन में और खाद्यान्नों की कीमतों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें। यदि सरकार विशिष्ट श्रेणी की जनता की सहायता करना चाहती है, तो वह उनको सस्ते दामों पर अनाज दे। सरकार को चाहिये कि वह सीमेंट, इस्पात, लोहा, उर्वरक, कृषि औजारों, औषधियों आदि के दामों को कम करने का प्रयत्न करे। यदि ऐसा कर दिया गया, तो कृषि जिनसों के दाम अपने आप कम हो जायेंगे। मंत्री ने कीमतों को बढ़ाने का कारण प्राकृतिक विपदायें बताया है। परन्तु उन्हें कीमतों की प्राकृतिक एवं आर्थिक शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव के ऊपर छोड़ देना चाहिये।

देश में राजस्थान तथा रायलसीमा में हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है। सरकार को उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिये। जब सहारा में नलकूप खोदे जा सकते हैं, तो राजस्थान या रायलसीमा के अकालग्रस्त क्षेत्रों में क्यों नहीं खोदे जा सकते ? यदि रायलसीमा

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

में १० या १५ करोड़ रुपये खर्च करके कूएं खोदे जायें तो वहां सिंचाई के लिये पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकता है और अकाल हमेशा के लिये वहां से समाप्त हो जाये।

सूखा वाले क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिये जल नहीं, मध्यम आकार की चीनी फैक्टरियां शुरू की जायें क्योंकि गन्ने के लिये कम जल की आवश्यकता होती है। रायलसीमा में ऐसा करने की बड़ी आवश्यकता है। इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे।

देश में बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जिस को साफ कर के कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। इस के लिये बुलडोजरों, ट्रेक्टरों आदि की आवश्यकता है। सरकार को इन साधनों का प्रबन्ध करना चाहिये, ताकि अधिकाधिक भूमि खेती के योग्य बनाई जा सके। मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और इसे कार्य रूप में परिणत करें।

कृषि विभाग द्वारा इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने का काम सराहनीय है। परन्तु वनों को बेहरमी से काटा जाता है। जर्मनी में भी एक बार वृक्ष काटे गये, वर्षा बन्द हो गई। तब वहां वृक्ष काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और वर्षा होनी आरम्भ हो गई। देश में वनमहोत्सव तो शुरू किया गया, परन्तु होता यह है कि अफसरों के दफ्तरों की चार दीवारी में प्रति वर्ष वृक्ष लगाये जाते हैं जब तक वृक्ष काटने का दण्ड न रखा जायेगा, इस का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा उपबन्ध करने पर ही अच्छी वर्षा हो सकती है।

देश में आमों की खेती अच्छी होती है। और आम सभी फलों में सर्वोत्तम है। अतः इस का निर्यात बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इस के लिये शीतागार की व्यवस्था करनी होगी।

हजारों पशु प्रति वर्ष मरते हैं, क्योंकि उन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। पशु चिकित्सालय नगरों में हैं, गांवों में नहीं। सरकार को गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने चाहियें और विशेष नस्ल के पशुओं का प्रजनन बढ़ाना चाहिये जो कम खा कर अधिक काम करें।

मत्स्य पालन और सुअर पालन पर खर्च करना व्यर्थ है। उस धन को कृषि विभाग के लिये लगाना चाहिये।

कृषकों में उत्साह, जोश और काम करने की भावना होने से ही कृषि का विकास हो सकता है। परन्तु सरकार की भूमि संबंधी नीति के कारण किसानों में उदासीनता दिखाई देती है। भूमि सीमा और काश्तकारी विधानों के कारण लोग भूमि पर धन लगाने में असमर्थ हैं जब उद्योग से लोग धन कमा कर अधिक उद्योग बना सकते हैं तो किसान को क्यों अधिक भूमि रखने का अधिकार न दिया जाय? यह सर्वथा अन्याय है कि उद्योगपतियों को तो पनपने दिया जाता है और कृषकों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। अतः संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक तुरन्त वापिस लिया जाए।

देश के प्रत्येक नागरिक में असन्तोष की भावना है और किसानों में रोष सर्वाधिक है। यहां फ्रांस के आन्दोलन से पहले वाला वातावरण है। अतः मैं सरकार से कहूंगा कि वह देश की जनता की भावनाओं को अनुभव करे, क्योंकि तप्त हृदयों के उदगार सम्राटों के सिंहासनों को हिला दिया करते हैं। अतः सरकार को सतर्क रहना चाहिये।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : Agriculture is the major industry of our country and foodgrains or food is the primary need of human beings. As such importance of agriculture and food need not be over emphasised. No doubt, Govt has done something for agriculturists, but much remain still to be done for improving the condition of agriculturists. Our agriculturists are in deplorable condition, and we have to uplift them from poverty and backwardness.

Capitalists of the country behave like man-eaters and still they are becoming fat. They exploit poor people, and agriculturists by themselves are unable to get rid of them. As such the responsibility falls on the Govt. But Govt. is not paying due attention to ameliorate their lot.

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी पीठासीन हुए
SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY *in the Chair*]

I do not admit that production has gone down. In last two years natural calamities are responsible for less production. This is a temporary phase, and we need not be disappointed. There is vast land in the country which is lying uncultivated. We should reclaim it and bring under cultivation. Five years back it was stated that the land lying on both sides of railway lines will be brought under cultivation, but nothing is done. The land should be distributed among landless cultivators. Committees should be formed which should ensure that no land remains uncultivated and the land is given to landless agriculturists. Strict action is required for this purpose. We shall have to work sincerely & honestly and bring every inch of cultivable land under cultivation to solve the food problem.

It is a matter of regret that we are utilising good culturable land for setting up factories, buildings and houses. There is no need of expansion of big cities. Small cities and towns should be developed. Factories and buildings can be constructed on waste or uneven land and culturable land can be utilised for agriculture Government. should change their policy, which is wrong, and make proper use of land for griculture. No land should be allowed to remain without cultivation.

The land which gives us food, should be given proper manure and fertilisers to keep its fertility. We should bring a scientific outlook in the Country Experiments of usage of fertilisers have borne good fruits. We should disseminate the results of researches conducted into agricultural aspects, among farmers. But I see that the extension and publicity work in not satisfactory. Government should make every effort to strengthen and improve their machinery so that the Common farmer may benefit from scientific knowledge and produce more by intensive cultivation. We must propagate the scientific researches in villages extensively.

Govt. should pay attention to the implementation and commercialisation of researches. Scientists should be given aid and facilities for conducting research, which is so essential for our progress.

Govt. provides every facility, *i.e.* cheap credit, cement, iron, steel etc. for setting up industries. But these facilities are not given to farmers, as *taccavi* loans for sinking wells, cement or other material required for agriculture. Unless we meet out the requirements of agriculturists,the country cannot make progress. All these facilities should be provided to agriculturists.

Small farmer serves the country most, like a soldier defending our frontiers. Similarly labourers are doing important work. We should do something for them. Farmers with 5 Acres of land should be exempted from revenue.

I will suggest that a register should be maintained by farmers to indicate the progress made by him in the matter of production and loans or taccavis should be granted on the basis of the progress shown by agriculturists. This will go to increase production.

Every farmer should divide his land into two parts; on one part he should grow cash crops, and on the other part he should grow foodgrains.

Factories should be set up to process cash crops in a particular area. Where sugarcane is grown, sugar factories may be established on cooperative basis.

Irrigation & use of fertilisers should be encouraged. Where a farmer is unable to dig a well, a well may be sunk for him and the cost may be realised from him in easy instalments.

Gross, which grows in forests, is often burnt. Govt. should get it cut and processed and then sell it in villages on cheap rates for the animals.

Costing of crops should be undertaken. When cost of production of other Commodities is done, why not foodgrains cost of production be assessed. Govt. should see to it and subsidise the prices of foodgrains.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
३६	१	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	खाद्य तथा कृषि प्रशासन में समन्वय का अभाव	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
३६	२	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	खाद्यान्नों के आयात पर अधिक निर्भर रहने का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
३६	४	श्री प्र० के० देव	खाद्यान्नों के दामों को बढ़ने से रोकने में असफलता	१०० रुपये
३६	५	श्री प्र० के० देव	खाद्यान्न समाहार की नीति	१०० रुपये
३६	६	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल खाद्य खण्ड को समाप्त करना	१०० रुपये
३६	७	श्री प्र० के० देव	फसल की कटाई के समय समाहार मूल्य नियत करना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३६	८	श्री प्र० के० देव	कृषकों को कम ब्याज पर ऋण देना	१०० रुपये
३६	९	श्री प्र० के० देव	सूरतगढ़ फार्म का कार्य-संचालन	१०० रुपये
३६	१०	श्री प्र० के० देव	कृषि क्षेत्र में सहकार की असफलता	१०० रुपये
३६	११	श्री प्र० के० देव	बड़े पैमाने पर समुद्र से मछली पकड़ना और अन्य समुद्रीय वस्तुओं की प्राप्ति ।	१०० रुपये
३७	१२	श्री प्र० के० देव	शीतागार संयत्रों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन	१०० रुपये
३६	१३	श्री प्र० के० देव	गन्ने की कीमत बढ़ाना	१०० रुपये
३६	१४	श्री प्र० के० देव	गुड़ की चोरबाजारी रोकना	१०० रुपये
३६	१५	श्री प्र० के० देव	छोटे ट्रैक्टरों का बड़े पैमाने पर निर्माण	१०० रुपये
३७	१६	श्री प्र० के० देव	छोटी जोत की चकबन्दी	१०० रुपये
३६	१८	श्री प्र० के० देव	खाने की आदतों को बदलने के के लिये विस्तृत प्रचार	१०० रुपये
३६	१९	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	चावल का उत्पादन बढ़ाने में असफलता	१०० रुपये
३६	२०	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	छोटी सिंचाई व्यवस्था सस्ते दामों पर	१०० रुपये
३६	२१	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	मूल्य स्थायीकरण समिति का स्थापित न किया जाना	१०० रुपये
३६	२२	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	गुड़ के अन्तर्राज्यीय आने जाने पर प्रतिबन्ध न हटाना	१०० रुपये
३६	२३	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	कृषकों को न्यूनतम और उचित कीमतें न मिलना	१०० रुपये
३६	२४	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	पटसन उत्पादन के लिये सहायता और उड़ीसा के पटसन उत्पादकों को न्यूनतम मूल्यों का आवश्वासन	१०० रुपये
३७	४०	श्री प्र० के० देव	कृषि श्रमिकों की हालत को सुधारने की जरूरत	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३७	४१	श्री प्र० के० देव	खण्ड मुख्यालय में भूमि विश्लेषण और विशेषज्ञ प्रविधिक सलाह देने की जरूरत	१०० रुपये
३९	६५	श्री प्र० के० देव	बढ़िया नस्ल के पशुओं का प्रजनन और वितरण	१०० रुपये
३९	६६	श्री प्र० के० देव	जरसी पशुओं का पड़े पैमाने पर प्रजनन	१०० रुपये
४०	७३	श्री प्र० के० देव	वन अनुसन्धान संस्था देहरादून आदि में वन्य पशुओं सम्बन्धी स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम ।	१०० रुपये
४०	७४	श्री प्र० के० देव	राज्यों में वन्य पशु प्रशिक्षण प्राप्त जीव शास्त्री की नियुक्ति	१०० रुपये
४०	७५	श्री प्र० के० देव	कृमि नाशक दवाइयों के अन्धा-धुन्ध प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	७६	श्री प्र० के० देव	देशान्तरगामी पक्षियों के लिये विनियम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	७७	श्री प्र० के० देव	कुछ वन्य पशुओं के पूर्ण संरक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	७८	श्री प्र० के० देव	शिकार के लिये एल० जी० एस० जी० कारतूसों के उपयोग पर प्रतिबन्ध	१०० रुपये
४०	७९	श्री प्र० के० देव	कुछ वन्य पशुओं के प्रजनन क्षेत्र खोलना जिन की खालों की निर्यात के लिये मांग है।	१०० रुपये
४०	८०	श्री प्र० के० देव	भारतीय हाथी को मोर के समान राष्ट्रीय पशु घोषित करना ।	१०० रुपये
४०	८१	श्री प्र० के० देव	दण्डकारण्य क्षेत्र में वनों को बड़े पैमाने पर काटे जाने से रोकने की जरूरत	१०० रुपये
४०	८२	श्री प्र० के० देव	बिना खेती वाली बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर बोने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४०	८३	श्री प्र० के० देव	राजस्थान व गुजरात में मरु-भूमि में वन रोपण योजना को लागू करना	१०० रुपये
४०	८४	श्री प्र० के० देव	झूमिया को बन्द करने से पहले आदिम जाति लोगों को वैकल्पिक काम धन्धे देने की जरूरत	१०० रुपये
४०	८५	श्री प्र० के० देव	छोटे वन उत्पाद के उपयोग के संबंध में एकाधिकार प्रणाली की समाप्ति की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	८६	श्री प्र० के० देव	वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये राज्यों में राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना	१०० रुपये
४०	८७	श्री प्र० के० देव	तेजी से समाप्त होने वाले वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये ठोस उपायों की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	८८	श्री प्र० के० देव	नवीन जाति के स्तन से दूध पिलाने वाले पशुओं को रखना	१०० रुपये
४०	८९	श्री प्र० के० देव	विदेशी पर्यटकों को पशुओं को न मारने देना बल्कि फोटोग्राफ लेने देना	१०० रुपये
३६	९९	श्री विश्राम प्रसाद	खाद्यान्न को राजकीय व्यापार में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
३६	१००	श्री विश्राम प्रसाद	भूमि सुधार करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
३६	१०१	श्री विश्राम प्रसाद	उत्पादन बढ़ाने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।

१	२	३	४	५
३६	१०२	श्री विश्राम प्रसाद .	खाद्यान्नों की कीमतों को रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
३६	१०३	श्री विश्राम प्रसाद .	सस्ती दुकानों को लगातार खाद्यान्न देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१०४	श्री विश्राम प्रसाद .	अधिकता वाले क्षेत्रों में ठीक ढंग से समाहार करने की जरूरत	१०० रुपये
३६	१०५	श्री विश्राम प्रसाद .	सभी अत्यावश्यक पदार्थों के लिये समर्थन नीति की जरूरत	१०० रुपयेये
३६	१०६	श्री विश्राम प्रसाद .	चावल की कीमतें निर्धारित करना	१०० रुपये
३६	१०७	श्री विश्राम प्रसाद .	किसानों से धान खरीदना	१०० रुपये
३६	१०८	श्री विश्राम प्रसाद	सरकारी स्टाक से खाद्यान्न का वितरण	१०० रुपये
३६	१०९	श्री विश्राम प्रसाद	बफर स्टाक बनाने की जरूरत	१०० रुपये
३६	११०	श्री विश्राम प्रसाद .	खाद्यान्न की सट्टेबाजी रोकना	१०० रुपये
३६	१११	श्री विश्राम प्रसाद .	भण्डार क्षमता को बढ़ाना	१०० रुपये
३६	११२	श्री विश्राम प्रसाद .	खाद्यान्न के समुचित संरक्षण की जरूरत	१०० रुपये
३६	११३	श्री विश्राम प्रसाद .	सहायक खाद्य का प्रचार व व्यावहारिक पौष्टिक आहार संवर्धन की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	११४	श्री विश्राम प्रसाद .	मत्स्य ग्रहण का निकाय	१०० रुपये
३६	११५	श्री विश्राम प्रसाद .	चीनी उत्पादन की कमी को रोकना	१०० रुपये
३६	११६	श्री विश्राम प्रसाद .	गुड़ का समान वितरण	१०० रुपये
३६	१२९	श्री रंगा .	रायलसीमा में मध्यम दर्जे की भारी फैक्टिरियां लगाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३७	१३१	श्री विश्राम प्रसाद .	कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को तेज करना	१०० रुपये
३७	१३२	श्री विश्राम प्रसाद .	प्रशासन की गतिविधियों में और समन्वय की जरूरत	१०० रुपये
३७	१३३	श्री विश्राम प्रसाद .	कृषि विकास के लिये राज्यों को अधिक सहायता देने की जरूरत	१०० रुपये
३७	१३४	श्री विश्राम प्रसाद .	अग्रिम दुग्ध योजना का अधिक नगरों और कस्बों में विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१३५	श्री विश्राम प्रसाद	भूमि परीक्षण कार्यक्रम में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१३६	श्री विश्राम प्रसाद	प्रयोगात्मक नल कूप संगठन के कार्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१३७	श्री विश्राम प्रसाद	गोसदन योजना के कार्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१३८	श्री विश्राम प्रसाद	दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य के मूल्यांकन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१३९	श्री विश्राम प्रसाद	कृषि जानकारी कार्यक्रम को तीव्र करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१४०	श्री रंगा	किसानों को खेती के लिये समुचित पूंजी की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
३७	१४१	श्री रंगा	सिंचाई के लिये भूमि के नीचे का पानी काम में लाने में असफलता	१०० रुपये
३७	१४२	श्री रंगा	किसानों को उर्वरक आदि उपलब्ध कराने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३७	१४३	श्री रंगा	किसानों को रियायती मूल्य पर सीमेंट आदि देने में असफलता	१०० रुपये
३७	१४४	श्री रंगा	किसानों के लिये लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता	१०० रुपये
३७	१४५	श्री रंगा	नियंत्रण आदि हटाने में असफलता	१०० रुपये
१२५	१४६	श्री विश्राम प्रसाद	खाद्यान्नों का आयात बन्द करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
३६	१४७	श्री यशपाल सिंह	वितरण एजेन्सी की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१४८	श्री यशपाल सिंह	कृषि आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१४९	श्री यशपाल सिंह	गुड़ के आने-जाने से प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१५०	श्री यशपाल सिंह	गन्ने के मूल्य में वद्धि की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१५१	श्री यशपाल सिंह	कृषि उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की आश्यकता	१०० रुपये
३६	१५२	श्री यशपाल सिंह	फसल बीमा चालू करने में विलम्ब	१०० रुपये
३६	१५३	श्री यशपाल सिंह	किसानों को बिजली देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१६६	श्री यशपाल सिंह	भूमि सुधार नीति	१०० रुपये
३८	१७४	श्री यशपाल सिंह	छोटे ट्रेक्टरों की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१७५	श्री यशपाल सिंह	वन सम्पदा के परिरक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१७६	श्री यशपाल सिंह	वनों की रक्षा के लिये अधिक धन देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१२५	१७७	श्री यशपाल सिंह	आयात संबंधी नीति	१०० रुपये
१२५	१७८	श्री यशपाल सिंह	गेहूं का संग्रह	१०० रुपये
३६	१८४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	गन्ने के उत्पादकों के सम्मुख उपस्थित संकट	१०० रुपये
३६	१८५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	चीनी मिलों पर नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१८६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	गन्ने का रस निकालने के लाइसेंस की ऊंची दर	१०० रुपये
३६	१८७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	खाद्यान्नों में राज्य-व्यापार	१०० रुपये
३६	१८८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सिंचाई संबंधी कठिनाइयां	१०० रुपये
३६	१८९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	खाद्यान्नों के व्यापार में मुनाफाखोरी समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१९०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	अधिक और ऊजड़ भूमि बांटने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१९१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भूमि सुधार लाने में असफलता	१०० रुपये
३६	१९२	श्री कर्णी सिंहजी	खाद्यान्नों का आयात समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१९३	श्री कर्णी सिंहजी	खाद्यानों की मूल्य वृद्धि रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१९४	श्री कर्णी सिंहजी	राजस्थान में अकाल की परिस्थितियां दूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१९८	श्री कर्णी सिंहजी	राजस्थान भूमि के नीचे पानी की खोज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१९९	श्री कर्णी सिंहजी	नापा सार (बीकानेर) में प्रयोगात्मक नल कूप लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३७	२००	श्री कर्णी सिंहजी	किसानों को उर्वरक देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	२०३	श्री कर्णी सिंहजी	राजस्थान में प्रस्तुत अकाल के दौरान कुछ अच्छी नस्ल के पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२६	२०७	श्री कर्णी सिंहजी	राजस्थान नहर संबंधी योजनाओं को समन्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	२०८	श्री सरजू पाण्डेय	कृषि उत्पादों, कच्चे माल और कारखाने में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन बनाये रखने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
३६	२०९	श्री सरजू पाण्डेय	खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	२१०	श्री सरजू पाण्डेय	खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
३६	२११	श्री सरजू पाण्डेय	चीनी की मिलों पर नियंत्रण करने में असफलता	१०० रुपये
३६	२१२	श्री सरजू पाण्डेय	खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	२१३	श्री सरजू पाण्डेय	छोटी सिंचाई परियोजनायें कार्यान्वित करना	१०० रुपये
३६	२१४	श्री सरजू पाण्डेय	गन्ना उत्पादकों का संकट दूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	२२०	श्री सरजू पाण्डेय	किसानों को उर्वरक देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	२२१	श्री सरजू पाण्डेय	कृषि को उन्नत ढंग से करने की आवश्यकता	१०० रुपये

सभापति महोदय : यह सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : देश में खाद्य-संकट विद्यमान है । खाद्यान्नों के मूल्य बहुत ऊंचे हो गये हैं । सरकार इस के लिए यह तर्क उपस्थित करती है कि अनावृष्टि और बाढ़ों के कारण यह संकट उपस्थित हुआ है । किन्तु यह कारण तर्कसंगत नहीं, क्योंकि बाढ़ और अनावृष्टि की परिस्थितियां तो हमेशा से देश में उत्पन्न होती रही हैं । हां, जनसंख्या में वृद्धि होने से स्थिति पर अवश्य प्रभावपड़ा है । १९४७ से १९६१ के बीच जनसंख्या में ७ करोड़ की वृद्धि हुई है । यहां प्रति व्यक्ति 'कैलारी' का औसत भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है । १९६६ तक हमें १० करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी जबकि हम केवल ८ करोड़ टन का उत्पादन कर पायेंगे । इस प्रकार २ करोड़ टन की कमी रहेगी । इस कमी को दूर करने के लिये सघन और विस्तीर्ण कृषि की और "अधिक अन्न उपजाओ" आंदोलन आरंभ करने की आवश्यकता है ।

जहां तक सघन कृषि का प्रश्न है हमें उर्वरको आदि के प्रति यूनिट उपभोग पर ध्यान देना होगा । हमारे देश में उर्वरकों का उपभोग भी अन्य सब देशों से कम है । सरकार को चाहिये कि सरकारी कारखानों के उर्वरकों को लागत के मूल्य बेचें ।

यहां पर सघन कृषि करने के लिये व्यापक क्षेत्र है । सरकार इस ओर ध्यान दे ।

राजस्थान में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना सूरतगढ़ फार्म के पास स्थापित किया जाये ; क्योंकि वहां निकट ही जिप्सम पाया जाता है ।

इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है । इस देश में कुल क्षेत्र के ४४.०६ प्रतिशत भाग पर कृषि होती है । कुल सिंचित क्षेत्र ७ करोड़ एकड़ ही है । हमें चाहिये कि १० करोड़ एकड़ क्षेत्र बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के और ७.५० करोड़ एकड़ क्षेत्र छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लायें ।

हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता अत्यधिक है और जनसंख्या भी प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है । अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बना कर अधिकाधिक उर्वरकों और बीजों का प्रयोग कर के और सिंचाई तथा मशीनीकरण की सुविधायें बढ़ा कर उक्त समस्या को हल किया जा सकता है ।

देश में २०४३६० लाख टन चीनी का उत्पादन होता है जिस में से अधिक मात्रा विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए विदेशो में भेजी जाती हैं । किन्तु जब चीनी की कमी होती है तो लोगों में उन्माद सा पैदा हो जाता है जिससे कमी और अधिक हो जाती है । इसके लिए मिठास की कृत्रिम की वस्तुएं अधिकाधिक पैदा करनी चाहिये ।

राजस्थान के अकाल में माननीय सदस्यों और मंत्रालय ने बहुत सहायता की है किन्तु राज्य सरकार ने लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किया । किन्तु अब स्थिति कुछ काबू में है ।

भारत सरकार पी० एल० ४८० के अन्तर्गत काफी चारा राजस्थान को दे रही है किन्तु उन्हें ध्यान रखना चाहिये चारे के वितरण में स्थानीय राजनीति हस्तक्षेप न करे ।

उत्तर के क्षेत्र में ४००० गांवों में दुर्भिक्ष फैला हुआ है। उस क्षेत्र में सड़क का निर्माण यदि पूरा न हुआ तो सारा पैसा फ़ज़ूल खर्च हो जायगा। बीकानेर की ४½ लाख की जनसंख्या में केवल २३,००० लोगों को सहायता दी गई है। ७५ से ८० प्रतिशत लोगों को अभी सहायता देनी है।

अकालग्रस्त क्षेत्र में और सुविधाओं की भी आवश्यकता है जैसे सस्ते अनाज की दुकानें, श्रमिकों के लिए कड़ी धूप में बचाव के स्थान आदि। वहां पर्याप्त चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था नहीं की गई। पीने के पानी की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। ये सब व्यवस्थाएं तुरन्त करनी चाहियें। वहां बुनाई केन्द्र भी खोलने चाहियें।

राजस्थान में जहां खारी पानी है कुओं से भी पीने के पानी की आवश्यकता पूरी नहीं होती। राजस्थान नहर से राजस्थान पाकिस्तान सीमा के लगभग ४०० मील के क्षेत्र में सिंचाई की जायगी और उस से पीने के पानी की समस्या कुछ हद तक हल होगी। पिछले ५० वर्षों से गाड़ी द्वारा वहां पानी पहुंचाया जाता है और लोगों को १० से २० मील तक की दूरी पर जा कर पानी लाना पड़ता है। प्रधान मंत्री मानववाद और समाजवाद की विचारधारा के कारण इस पक्ष में हैं कि वहां शीघ्र पानी की व्यवस्था करनी चाहिये किन्तु यह परियोजना स्वास्थ्य और सिंचाई मंत्रालयों के बीच घूम रही है और अभी तक कुछ नहीं किया गया।

वहां गाय की बढ़िया नस्ल पाई जाती है जो चारे की कमी के कारण नष्ट हो रही है। कई स्थानों पर चारे के डिपो खोले गये हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मोटर गाड़ियों के अभाव के कारण उस का यातायात नहीं हो सकता।

मैं राजस्थान के लाखो लोगों की ओर से सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के दुर्भिक्ष में जिसके हम आदी हो चुके हैं बहुत सहायता की है।

देश में इस बात की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह अपने कार्यों से नये भारत का निर्माण कर रहा है।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : हमारी आर्थिक विकास की दर २.४ और जनसंख्या की वृद्धि की दर २.३ है। १९६१-६२ और १९६२-६३ के बीच खाद्यान्न के उत्पादन में २.८ प्रतिशत कमी हुई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

रिपोर्ट में इस वर्ष अच्छी फसल होने की जो आशा दिखाई गई है वह दुराशा में परिणत होती रही है।

खरीफ की फसल अक्तूबर नवम्बर में आ जाती है किन्तु उस के वास्तविक आंकड़े मार्च तक नहीं दिये जाते।

सामूहिक और जोरदार कार्यक्रमों के बावजूद हमें कोई सफलता नहीं मिली जिस का कारण यह है कि हमारी कृषि मौसम पर निर्भर करती है।

कृषि के सम्बन्ध में मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहती हूं एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दल ने बहुत पहले बताया था कि बहुत बड़ी संख्या में कृषि श्रमिकों को उपयोग में नहीं लाया जाता हम सुनते रहते हैं कि कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय बहुत काम कर रहे हैं किन्तु फिर भी हमें कोई सफलता नहीं मिली । व्यापक के रूप से कोई साधन अपनाना चाहिये ।

भूमि सुधार की यह स्थिति है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद में भूमि का पुनर्वितरण नहीं हुआ और काश्तकार को भूमि नहीं मिली । कारण यह है कि हमारी नीति स्थिर नहीं है और किसान को कोई भी स्थिति के अनुसार नये विचार प्रभावित नहीं करते । यदि मद्रास और पंजाब के क्षेत्रों में प्रगति की जा सकती है तो क्या कारण है कि अन्य क्षेत्रों में प्रगति अवरुद्ध क्यों है ?

"एग्रिकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया" के आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न की फसलों के आंकड़े १९५३ में ७८ थे जो १९६३ में १११ हो गये किन्तु निर्वाह व्यय ८२ से ११३ हो गये । इसी कालावधि में अमरीका में खाद्यान्न के आंकड़े ९२ से १०२ और निर्वाह व्यय के आंकड़े ९३ से १०५ हो गये । यही कारण है कि यहां खाद्यान्न के मूल्य इतने बढ़ गये हैं । माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और यदि कोई कार्यवाही न की गई तो हम बहुत विकट परिस्थिति में फंस जायेंगे ।

पता नहीं सरकार दीर्घकालीन और अल्पकालीन नीतियों को क्यों कार्यान्वित नहीं करती ? रिपोर्ट में कृषि योजना के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि फसलों के सम्बन्ध में क्या योजना है । पश्चिम बंगाल पटसन की फसल के कारण चावल की उपज में अभाव का क्षेत्र है । क्या हम इसी तरह अभाव की स्थिति में रहेंगे ।

गेहूं के क्षेत्रों की जो स्थापना की गई है उन की संख्या बहुत अधिक है और अधिक उत्पादन वाले राज्य अपनी मर्जी से अभाव के राज्यों से मूल्य ले सकते हैं । अन्तर्राज्यिक व्यापार न लाभ न हानि के आधार पर होना चाहिये ।

जब स्थिति की यह मांग है तो सरकार किसी प्रकार के नियंत्रण और राशनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करती । मैं ने कलकत्ता के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था और यह सुझाव नया नहीं है बल्कि राशनिंग को समाप्त करने वाले श्री रफी अहमद किदवई ने भी कहा था कि देश के कुछ नगरों में राशनिंग करना चाहिये । कलकत्ता एक ऐसा ही नगर है । वहां बहुत मात्रा में अनाज की खपत होती है और लोगों में खरीद करने की अधिक क्षमता है जिस कारण काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है । अतः ऐसे नगरों में राशनिंग की व्यवस्था करनी चाहिये ।

किसानों को मूल्य सम्बन्धी सहायता देने से ही उन्हें अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन दिया जा सकता क्योंकि मध्य का व्यापारी अधिक मुनाफा कमाता है । बाहर से अनाज मंगाने पर हम अत्यधिक खर्च कर रहे हैं और कृषि श्रमिकों का उपभोग नहीं कर रहे बल्कि जब दुर्भिक्ष की स्थिति होती है तो उन्हें कुछ सहायता दे देते हैं ।

आशा है नये मंत्री नये दृष्टिकोण को अपना कर समस्या को हल करेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : I request that time for the debate on Food may be extended because it is an important subject.

Mr. Speaker : If the Members have any proposal to extend the time they may move before the House.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस विषय के लिये १२ घंटे का समय होना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : शनिवार को चर्चा जारी रखी जाए और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित कर दिया जाए ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके लिये हम सहमत नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : सभा शनिवार को एक घंटा अधिक बैठे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । क्या सभा ६-३० तक बैठक के लिए तैयार है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री द्विवेदी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) खाद्य तथा कृषि के मामले में हम बुरी तरह विफल हुए हैं । इस से प्रतीत होता है कि ३५८.३५ करोड़ रुपया व्यर्थ खर्च किया जा रहा है । इस क्षेत्र की सारी अर्थ-व्यवस्था गतिहीन है।

रिपोर्ट में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि २३ लाख टन की कमी हुई है । कृषि सम्बन्धी विफलता का वार्षिक उत्पादन और राष्ट्रीय आय दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है । इस गतिहीनता के बारे में सरकार कहती है कि यह भी प्रगति है क्योंकि हम बढ़ती हुई जन संख्या के साथ कृषि के आर्थिक विकास की गति को समन्वित कर सके हैं ।

चावल की स्थिति के बारे में कहा गया है कि हम दो तीन वर्ष में आत्मनिर्भर हो जायेंगे । यह बहुत ही साहसपूर्ण कथन है ।

मंत्री महोदय ने वचन दिया है कि सारी नीति को किसानों के अनुकूल बनाया जा रहा है किन्तु अभी तक तो वह नीति विदेशी व्यापार के अनुकूल थी । किन्तु फिर भी हमें बड़ी मात्रा में बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है ।

इसका कारण यह है कि एकीकृत प्रशासन नहीं है और एकीकृत मूल्य नीति नहीं है । दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी सहायता का २६ प्रतिशत खाद्यान्न का निर्यात करने में खर्च किया जाता है । यह स्थिति देश के सम्मान के प्रतिकूल है ।

रिपोर्ट में स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं बताये गये । यह तर्क व्यर्थ है कि मौसम की खराबी के कारण हम विफल हुए हैं ।

इस समय कृषि प्रशासन का काम इतना बिखरा हुआ है कि किसान को पता नहीं होता कि उसे सहायता प्राप्त करने के लिए किस विभाग या मंत्रालय के पास जाना चाहिये । भूमि सुधार और सस्ते मूल्य की वस्तुओं का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । केन्द्रीय मंत्रालय तो केवल आयातित अनाज का वितरण मात्र करता है । कृषि से सम्बंधित विभागों और मंत्रालयों का एकीकरण करना चाहिये ।

उत्पादन समिति और समन्वय समिति के अलावा एक अन्य समिति बनायी गयी थी जिसने सिफारिश की थी कि उत्पादन और सरकारी सेवाओं के सम्बंध में एक संगठन स्थापित करना चाहिये ।

इस सिफारिश को केवल राजस्थान और पंजाब ने कार्यान्वित किया। मद्रास,मैसूर और गुजरात ने कहा कि ऐसे संगठन से काम नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत बड़ा हो जाता है और कि उन्होंने पहले ऐसे संगठन बनाये थे जो विफल रहे हैं। कृषि उत्पादन के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर वास्तव में ध्यान नहीं दिया जा रहा।

१९५७ में नियुक्त की गई एक समिति ने मूल्य स्थिर करने के बारे में सिफारिश की थी किन्तु उसकी अवहेलना की जाती रही जिससे आज की स्थिति पैदा हो गई है। समिति ने कहा था कि अतिरिक्त अनाज के क्षेत्र अलग कर देने चाहिये। अब उसी बात को अन्य ढंग से अपनाया जा रहा है। सीमिति ने सीमित समाहार और थोक व्यापार के समाजीकरण की सिफारिश की थी जो बहुत क्रान्तिकारी नहीं थी। किन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

मुल्य का प्रश्न जब भी उठाया जाता है यही कहा जाता है कि किसानों और उपभोक्ताओं में संघर्ष है। वास्तव में ऐसा कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि इस देश में छोटे छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है और उन्हें अनाज खरीदना भी पड़ता है। यदि लाभदायक मूल्य निर्धारित कर दिये जाएं तो न केवल उपभोक्ता संतुष्ट हो जायगा बल्कि किसान को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मुल्य संबंधी सहायता से कोई लाभ नहीं होगा। मूल्य का निर्धारण स्वेच्छा से नहीं कर देना चाहिये। इस समय सरकार की जो नीति है उससे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। अमरीका, जापान और इंग्लैंड ने अपने किसानों को प्रोत्साहन दे कर ही अपनी अर्थ व्यवस्था को स्थिर किया है। अतः सरकार को निर्णय करना है कि क्या वे किसानों को हानि पहुंचा कर उद्योगपतियों का पोषण करना चाहती है ?

गांवों में किसानों को न विपणन की सुविधाएं प्राप्त हैं न भूमि अधिकार की सुरक्षा है। सहकारी खेती की बातें कही जा रही हैं। किन्तु ६५० लाख किसानों को यह अनुभव कराना बहुत आवश्यक है कि उन्हें कृषि से लाभ प्राप्त होगा। किन्तु राज्य किसानों पर अधिकाधिक कर लगा रहे हैं जिससे वे हतोत्साहित ही होंगे। ५ करोड़ छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिये।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद का कहना है कि कृषि उत्पादन में ५ प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये। हम प्रति एकड़ उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। मौसम पर ही नहीं बल्कि किसानों पर भी आरोप लगाया जाता है कि वह पुराना हल प्रयोग करता है। पानी का इस्तेमाल नहीं करता। किन्तु इस स्थिति का कारण यही है कि आप उद्योगपतियों को तो सभी प्रकार की सहायता देते हैं किन्तु किसान को यदि पानी देते हैं तो उस उससे योजना का सारा खर्च वसूल कर लेना चाहते हैं जिसके द्वारा पानी मुहैया किया गया है। पानी की व्यवस्था के बिना केवल उर्वरक से भी उत्पादन नहीं बढ़ सकता। कटक चावल गवेषणा संस्था का कहना है कि हरी खाद से ५ वर्ष में चावल का उत्पादन २५०० से ३५०० टन किया जा सकता है। अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि किसान किसी पर निर्भर किये बिना हरी खाद का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि करे। मद्रास की तरह दूसरे राज्यों में भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

मंत्रालय को अपनी नीतियों को ठोस बनाना चाहिये न केवल किसान के सम्बंध में बल्कि कराघान, पानी, विपणन और किसान की अन्य आवश्यकताओं के संबंध में भी। तभी मंत्री का इन मांगों के लिए समर्थन मांगना न्यायोचित होगा।

Shrimati Satyabhama Devi (Jahanabad) : I rise to support the demands for grants relating to the Ministry of Food and Agriculture.

There is talk everywhere in the House and outside about shortage of foodgrains. But in spite of number of projects we find that there is less production of goodgrains than the requirement of the country and there is no hope of improvement this year also. To make up the shortage of foodgrains we have to purchase grains from foreign countries worth hundreds of crores of rupees, which is a matter of shame.The planning should be on fields, and not on paper alone.

The prices are rising enormously. Agricultural labourer does not get sufficient wages. The public is experiencing great difficulty. Govt. will have to solve the problem. Main thing is to increase production.

Farmer has to depend upon nature. Govt. should provide facilities of irrigation by way of canals, wells, tanks, minor irrigation schemes. As such Food & Agri. Ministry should take up the question of miner & medium irrigation, and farmers will help in this endeavour. This programme should be chalked out and implemented by districts. In my constituency people have to wait for long for getting drinking water. This in the condition in Gaya district. Govt. should realise their responsibility and fulfil it with sincerity and honesty. It is the prime responsibility of the Govt. to provide food for the people. I hope Govt. will make efforts in this direction.

Shri Bagri (Hissar) : I cannot help appreciating Sardar Swaran Singh's idea of price fixation of foodgrains with a view to check fluctuation of price of foodgrains in between two crops. But if the difference between the minimum prescribed prices and the maximum prices is more than 16% there will be no use of price fixation. I have heard that forty to fifty per cent higher prices will be fixed. That will be harmful for the country.

India is predominantly an agricultural country and only that ministeris considered successful who can create an atmosphere of production within the country, by which all may be fed. The minister who depends upon imports cannot be called a successful minister. For that purpose we should provide more and more facilities to farmers to produce more and make the country self-sufficient in the matter of foodgrains. A definite target and policy should be determined.

Out of 30 crore acres of culturable land, only 6 crore acres of land is irrigated. We should provide major, medium and minor irrigation by constructing big and small dams,wells,tanks and other ways for irrigating the remaining 24 crore acres of land. We should do something to reclaim 3 crore acre of land submerged in water. There should be bridges under big dams.

There is a condition of famine in Haryana, Rajasthan,and Gujerat. Delhi is in a better condition because of the kind attitude of Govt. 29 kilos of sugar *per capita* is given in Delhi, while in other States only 3 kilos of sugar is given. This is an example of congress socialism, of uneven distribution.

18 crore acres of land can be made cultivable. Govt. evicts the backward classes from land, who labour hard to make the land worth cultivation. Govt. acquires land from cultivators for factories or other things, which is bad. The culturable land should not be spoiled in this way.

It is strange that in Punjab production is not much, but betterment levy is charged from cultivators. It is shameful that this levy is levid where there is no betterment in the condition of farmers. This levy should be stopped.

Prime minister once said that he would hang black-marketeers/hoarders when there was famine in calcutta. I do not talk of giving them capital sentence, that their properties should be confiscated and they should be given strictest punishments, who sell adulterated things.

Eggs & fish are sent to Ceylon and Burma. When our country is hungry, why these foods are exported. We must not export food stuffs at any cost.

Corruption is rampant in this department. Instead of capable scientists less capable and experienced people are placed on high positions, which should be avoided.

Manure is made available at high prices. We should encourage carbonic manures. Green manure and cowding are most suitable in Indian conditions.

There is famine like condition in Punjab, Rajasthan and Gujrat People die of hunger. Because of the bad condition of the ministry in Punjab, they are not paying attention to this problem. So I shall appeal to the Union Minister for food and agriculture that he should himself see the condition there and declare Punjab as a famine stricken state. The people want employment. I fear the people may not revolt when thay do not get work to do and food to eat.

Our Govt. talks of fighting against China & Pakistan. Prime Minister mad a promise in the House, but when the Chinese Premier was allowed to fly over our land, no voice was raised against that. The reason is that 95% of self-respecting persons because of hunger, are not able to raise weapons against the enemy, otherwise it could not have happened like that. There is shortage of fodder in Hissar District and much less fodder has been given than the requirement. I therefore appeal to the minister for food and agriculture to look into all these things seriously and take necessary steps to give relief to the people and the country.

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह सराहनीय बात है कि मंत्रालय की मांगों पर बोलने वाले सदस्यों ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। यह अपने आप में विश्वास पैदा करता है जो देश के विकास के लिए आवश्यक है ।

इस समय खाद्यान्नों की स्थिति चिन्ताजनक है और चीनी का संभरण भी अच्छी तरह नहीं हो रहा है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय स्थिति का सामना करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है और समस्या को हल करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं ।

मंत्रालय की सबसे बड़ी सफलता यह है कि सहकारी क्षेत्र में शक्तिशाली चीनी उद्योग की स्थापना की गई है। इस समय देश में सहकारी चीनी मिलों की संख्या ५७ है जब कि यह संख्या पहली पंचवर्षीय योजना आरम्भ करते समय केवल तीन थी, इन मिलों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता ८.३ लाख टन है जबकि सारे चीनी उद्योग की कुल लाइसेंस प्राप्त संख्या ३३.६ लाख टन है ।

देश में चीनी की और आवश्यकता को पूरी करने के लिए सहकारी क्षेत्र में कुछ और चीनी मिलें खोली जायेंगी। इस समय मंत्रालय के पास सहकारी क्षेत्र चीनी मिलें खोलने के लिए लाइसेंसों के लिए ७३ प्रार्थनापत्र पड़े हैं। इन प्रार्थनापत्रों पर विभिन्न दृष्टिकोणों अर्थात्, गन्ने के संभरण की सुविधा, आर्थिक स्थिति, आदि, से विचार किया जा रहा है। गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलें खोलने के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी ।

[श्री f

वर्ष १९६२–६३ में सहकारी क्षेत्र में ४१ चीनी मिलों ने ४.४ मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया जब कि देश की १८६ मिलों ने कुल २१.६ लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। यह कुल चीनी के उत्पादन का २२ प्रतिशत है जब कि यह वर्ष १९५५–५६ में केवल १.४ प्रतिशत था।

देश के कुछ भागों में सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। सरकार इस संबंध में कमियां दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों में काफी प्रगति हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन क्षेत्रों में नवीन प्रजातंत्रीय नेतृत्व का विकास हो रहा है।

श्री रंगा (चित्तूर) : सभी निदेशक राज्य सरकारों द्वारा नामांकित होते हैं।

श्री शिन्दे : कुछ स्थानीय लोग रखने पड़ते हैं। डा० गाडगिल ने कहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात सहकारी चीनी फैक्टरीयां स्थापित हुई हैं। दूसरी बात वह अनुभव के आधार पर सहकारी क्षेत्र में परिशोधन उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इसलिये ग्रामीण समाज में कृषि जन्य वस्तुओं के विपणन और परिशोधन की आवश्यकता मानी गई है।

श्री खाडिलकर : क्या राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में मिलों पर कब्जा करने के बारे में भुवनेश्वर संकल्प के विरुद्ध एक शासकीय टिप्पण तैयार किया गया था ?

श्री शिन्दे : डा० गाडगिल ने भुवनेश्वर संकल्प का स्वागत किया है। मा० सदस्य की बात ठीक नहीं है। बल्कि खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभापतित्व में एक सम्मेलन में फैसला किया गया कि सहकारी क्षेत्र के सभी मिलों को लाइसेंस लेने चाहियें।

गन्ना अनुसंधान कार्य देश के बहुत से स्थानों पर होता है परन्तु मुख्य कार्य तो कोयम्बटूर में होता है, वहां संसार के सर्वोत्तम किस्म के गन्ने की किस्म का विकास हो पाया है। गन्ने की किस्म आस्ट्रेलिया में बहुत विकसित है, किन्तु वे लोग भी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार सामग्री का उपयोग करते हैं, यह हमारे लिये गर्व का विषय है। काफी समय पहले कोयम्बटूर अनुसंधान संस्था में गन्ने की कई किस्में निकाली गई थीं, जिन में सी ७४० प्रमुख है, और उनके द्वारा भारत में गन्ने की खेती में आमूल परिवर्तन होने की संभावना थी। यह किस्म संसार की सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। इससे १२–१३ प्रतिशत तक चीनी निकलती है और इसको १५ या १६ प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है। सी-७४० की प्रति एकड़ उपज भी बहुत अच्छी होती है। हजारों किसान इससे लाभ उठा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है, मैं उस की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। वे लोग धन्यबाद के पात्र हैं। इस किस्म में प्रवारा किस्म से भी अधिक चीनी प्राप्त होती है। परन्तु भारत में प्रमुख समस्या यह है कि अनुसंधान के परिणामों को किस प्रकार बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक खेतों तक पहुंचाया जाये। फोर्ड फाउंडेशन ने प्रति एकड़ उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश व्यक्त की है। किसानों को इस को अधिकाधिक अपनाना चाहिये। इस दिशा में संतोषजनक कार्य हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

संविधान के अनुच्छेद १४३ के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को मामले निर्दिष्ट करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* REFERENCE OF MATTER BY PRESIDENT TO SUPREME COURT UNDER ARTICLE 143 OF CONSTITUTION

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं सभा को सूचना देता हूं कि राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के बीच हाल ही में क्षेत्राधिकार और अधिकारों सम्बन्धी विवाद के मामलों का निर्देश संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को किया है।

अनुदानों की मांगें — जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The successes and achievements mentioned by Mr. Shinde are merely on paper and do not reach the farmers, and shortage of Gur and Sugar is an example thereof. So long as Govt. keeps engaged in statistics, the food problem cannot be solved. Nowhere in the report it has been shown that package programme is successful in such and such areas. As such this report is merely misleading.

[श्री थिरुमल राव पीठासीन हुए
[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]]

Instead of solving food problem , they have complicated it more. The reason is that we do not cure the root causes. Village sucheme are not formulated properly. Fertilizers, seeds, etc. are given, wells are sunk, but all sample surveys are recorded while sitting at home or office. Govt. tries to conceal realities, and wheat imported under PL- 480 is given to people.

Punjab, surplus in wheat production, is being supplied with imported wheat. Unless farmers are given due return for their labour, production is not likely to rise.

Whole time or part time farmers do not get sufficient for their livelihood. Scientists find costing of agricultural production difficult. A farmer must get sufficient price to enable him to live peacefully.

It is claimed that cooperative sugar mills have incerased. But if the position regarding Gur remains as it is, sugar mills would not get sugarcane.

Irrigation has not been increased in Suratgarh & Jaisalmer farms according to their requirement. It is impossible to effect increased production, unless difficulties of farmers are solved. A suitable atmosphere has to be created for that.

Fifteen lakh villagers have joined armed forces. It should be seen what will be its result on agriculture. Production is not increasing in proportion to increase in population. In this condition free trade and check on prices is not

[Shri Kashi Ram Gupta]

possible. The problem cannot be solved by Govt. taking over trading in foodgrains. Govt. should therefore chalk out ten years plans for agriculture and food. There is shortage of 38 lakh tons of grains. Govt. blames traders but does not guarantee them against loss. Govt. should think scientifically on controlling the system of distribution. It should be planned how imported wheat should be distributed on a long term basis. Govt. should open fair price shops in good number in places with more than one lakh of population.

Govt. should stick on a definite policy of production & distribution. If people leave the bad idea framed about imported foodgrains, the prices are likely to come down. Govt. should spend their own money on purchase of grains, and should not leave this on traders who believe in individual gains only.

Govt. should not interfere in prices at the time when grains are coming in the market. The grains should come to Govt. and then given to agencies which work under control by Govt. Prices should not be fixed, because that will restrict the farmer to bring his produce in the market.

We should not displace small or retail sale traders. We should encourage and develop cooperation. Politics should not be allowed to enter cooperative movement. There should not be discrimination between congressmen and opposition people.

A member has complained about non-availability of jawans for armed forces. But that is not true. People were coming forward but they are not recruited due to Trichoma disease. This disease is due to non availability of good food. So good food in sufficient quantity must be made available for farmers so that they may be in a position to work hard and produce more. For that ten years' plans should be formulated.

श्री शं० शा० मोरे : सभापति महोदय, सरकार कृषि के सम्बन्ध में उसी नीति पर चलती आ रही है जिस पर अंग्रेज चलते थे । किन्तु उन लोगों का ध्येय साम्राज्य को बनाये रखना था किन्तु हमारा ध्येय समाजवाद की स्थापना करना है । समाजवाद चीजों के अभाव पर आधारित नहीं होता । इसलिये सरकार को चाहिये कि अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करे । जापान में कृषि के सम्बन्ध में एक कानून बनाया गया है । हमारी सरकार को भी यही करना चाहिये । किन्तु इस मंत्रालय के और योजना आयोग के प्रतिवेदनों को पढ़ने से पता चला है कि अभी वे इस कार्य में वास्तविकता नहीं ला पाये हैं । देश में कृषि की समस्या अत्यन्त जटिल हो गई है और यदि इसके लिये कुछ नहीं किया गया तो देश के लिये एक संकट उपस्थित हो जायेगा ।

कृषि सम्बन्धी नीति कुछ मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिये । पहला सिद्धान्त तो यह है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये । यहां वर्षा काफी होती है किन्तु सारा पानी समुद्र में चला जाता है उसे सिंचाई के उपभोग में लाया जाये ।

एक सदस्य ने सुझाव दिया था कि विस्तीर्ण कृषि की जाये । किन्तु उसके लिये भूमि कहां से आयेगी ? इसलिये हमें सघन कृषि पर ही ध्यान देना होगा । इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को पानी, खाद आदि आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जायें ।

मूल्य स्थैर्य नीति किसानों के साथ एक धोखा है वे उचित मूल्य की बात करते हैं, किन्तु लाभदायक मूल्य की बात नहीं करते । पिछले १० या १५ वर्षों में कई समितियों ने यह सिफारिश की है कि किसान को लाभदायक मूल्य मिलने चाहियें । वह भूमि पर और सिंचाई आदि

पर रुपया लगाता है । खाद्य मूल्य समिति ने भी यह कहा था कि किसानों को उचित मूल्य मिलने चाहियें। इस समिति का कहना है कि उचित मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के अतिरिक्त किसान के निर्वाह-परिव्यय का भी ध्यान रखा जाये । इस समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार आवश्यक आधार-सामग्री एकत्रित करने की व्यवस्था करे । सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

दूसरी बात यह है कि योजनायें बनाते समय किसान को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये । यदि उसे प्रोत्साहन दिया जायेगा तो वह परिश्रम भी अधिक करेगा और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा ।

हमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये एक दस-वर्षीय कार्यक्रम बनाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कृषि के लिये आवश्यक उर्वरकों की मात्रा के विषय में अनुमान लगा लिया है । जब तक हम किसानों को काफी तादाद में उर्वरक उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा ।

कृषि हमारा मुख्य उद्योग है । फिर भी हम खाद्यान्नों के आयात पर आधारित रहते हैं । "अधिक अन्न उपजाओ" समिति ने आयात के खतरों के विषय में प्रकाश डाला है । हमें आयात किये जाने वाले खाद्यान्न के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है और उसे यहां कम दाम पर बेचना पड़ता है । इसमें हमारी विदेशी मुद्रा भी काफी खर्च होती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित करे कि १० वर्ष के अन्दर खाद्यान्न का आयात बन्द कर दिया जायेगा । मैं रक्षित भंडार बनाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इससे हमें विदेशों पर और अधिक निर्भर रहना पड़ेगा ।

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्ली) : कृषि मंत्री ने कल जो कुछ कहा उसका तात्पर्य यह था कि कृषि उत्पादन को हम वर्ष के आधार पर नहीं अपितु एक लम्बे काल के आधार पर करना चाहिये । इस दृष्टि से देखते हुए पिछले ५ वर्षों में उत्पादन १६ लाख टन बढ़ा है; किन्तु गत २ वर्षों को देखते हुए उत्पादन २३ लाख टन कम हुआ है । हमारे प्रयत्नों के बाद भी यह कम होता जा रहा है ।

तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से पता चलता है कि व्यापारिक फसलों को छोड़कर, खाद्य की सभी फसलों का उत्पादन कम हुआ है और तीसरी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोई आशा दिखाई नहीं देती । यदि हम आयात पर ही आश्रित रहे तो देश की क्या स्थिति होगी ?

किसान व्यापारिक फसलों की ओर झुक रहे हैं क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन में उन्हें लाभ नहीं होता । हमें उद्योग के लिये आवश्यक फसलों का अनुमान लगाना चाहिये । इसके बाद शेष भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहिये । किसान को ऊंचे मूल्य देकर उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । हमारी योजना कृषक-प्रवण होनी चाहिये जब कि इस समय वह उपभोक्ता प्रवण है । खाद्यान्नों के आयात पर विदेशी मुद्रा का व्यय बढ़ता ही जा रहा है, इससे एक दिन देश पर विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

[श्री मि० सू० मूर्ति]

अभी कृषक को सुधरे हुए उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। ऐसे उपकरण बनाने वाले कारखानों को प्रोत्साहन दिया जाये। 'रेडियो आइसोटोप' भी अभी प्रयोगात्मक स्थिति पर ही हैं।

चीनी के सम्बन्ध में भी इस वर्ष उत्पादन लक्ष्य कम हुआ है। यदि हमें निर्धारित मात्रा में निर्यात करना है तो आन्तरिक उपयोग की मात्रा कम करनी पड़ेगी। चीनी के सम्बन्ध में हमारी नीति असफल सिद्ध हुई है।

Shri Kachhavaiya (Dewas) : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री मि० सू० मूर्ति : इस बात की जांच की जाये कि कारखाने प्रोत्साहन न मिलने के कारण जान बूझ कर उत्पादन में कमी कर रहे हैं अथवा किसानों द्वारा गन्ना नहीं दिया जा रहा।

किसानों को अर्थ-सहायता दी जानी चाहिये। इससे वे खाद्यान्नों की फसलों को अधिक मात्रा में उगायेंगे।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : किन्तु हमें व्यापारिक फसलों की भी आवश्यकता है।

श्री मि० सू० मूर्ति : हमारे उद्योगों की खपत के लिये ही उनकी आवश्यकता है, निर्यात के लिये नहीं।

हम तम्बाकू आदि व्यापारिक फसलों को बेचने के लिये विदेशों में मंडी खोजते रहते हैं। इसके स्थान पर इनका उत्पादन कम कर दिया जाये।

रासायनिक खाद के मनचाहे प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। मेरा निवेदन है कि खंड विकास स्तर से लेकर केन्द्र तक भूमि रसायनशास्त्री नियुक्त किये जायें जो भूमि का परीक्षण कर रासयनिक खाद की मात्रा निश्चित किया करें। इस खाद का दूसरा प्रभाव यह है कि इससे खाद्यान्न की पोषक क्षमता कम हो जाती है। न्यूज़ीलैंड में परीक्षा करके इस तथ्य का पता लगाया गया था। वहां इस खाद्यान्न को खाने से लोगों को तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये।

हर्ष की बात है कि अखिल भारतीय कृषि सेवा की स्थापना की जा रही है। किन्तु खंड सार के विभागों को भी सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : The sacred Vedas have given great importance to the usefulness of cow, who gives milk which is very essential for our health and longevity. Cow eats everything whichever is given to her, and in return gives valuable milk, ghee etc. As such we should respect her like mother and do everything for her protection and development. Cowding is very useful manure and capable of growing crops for three years,and works even in the absence of water. It is our utmost duty to stop cow slaughter. Gandhi, Tilak and Dayanandji all desired stoppage of Cow slaughter. But it is a matter of shame that cow slaughter has increased under Congress rule. We must stop it, and allow cows and milch animals to live.

I am not against use of tractors. But we should not emulate example of America, whose area in three times more than ours, and population one third. It is the duty of king to protect cow, which gives milk & cowdung which if used in agriculture can produce more goodgrains.

The problem of foodgrains is very acute. But the minister knows little about this subject. No person should be made incharge of a department unless he has complete knowledge of the concerned subject.

Unless there is plenty of foodgrains in the market, how can the price come down ? There is only one solution that is, we should wholeheartedly work for increasing production Instead of tractors we should depend on bullocks for agriculture whose night soil is also useful for maintaining fertility of the lands.

The canals should be made pucca, so that the land in the catchment area should not get moisture. Minister should pay attention towards it.

Most important thing in the administration should be that the person which is incharge of food problem should be made fully responsible for that. Since the time Sardarji has taken over the department, the food problem has become more complicated.

The wheat imported from America is good for nothing. Punjab wheat is being sent out and American worthless wheat is being given to Punjab. It is strange.

It is a matter of regret that cultivable land is brought under construction of factories and buildings, which could easily be built on uneven land. This wastage of cultivable land should be stopped. Ministers should live in small houses and on the plots, where grass is grown, vegetables should be grown.

I see fruitless trees grown in Bungalows. Instead trees of fruits should be grown there. No inch of land should be left where there is no vegetation, fruits or cultivation. In this way we can solve food problem by increasing production. The minister should pay more attention towards protection of cow and bring all cultivable land under cultivation.

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २८ मार्च, १९६४/८ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday the 28th March, 1964/Chaitra 8, 1886 (Saka)

———

१

GMGIND—LSIII—260(Ai)LS—25-6-64—600.